PPC.198
1500

वार्षिक योजना
1972-73

भारत सरकार
योजना आयोग

विषय सूची

	पृष्ठ
भूमिका	(i)
1. दृष्टिकोण	1
2. योजना की रूपरेखा	5
3. योजना की वित्तीय-व्यवस्था	36
सामाजिक न्याय के लिए मुख्य कार्यक्रम	
4. ग्रामीण विकास और रोजगार	53
5. विशेष रोजगार की स्कीमें	64
6. प्रारम्भिक शिक्षा	70
7. पोषाहार कार्यक्रम	77
8. नगर विकास, आवास तथा गंदी बस्तियों का सुधार	85
9. ग्रामों में जल आपूर्ति	89

भूमिका

अब तक जिस प्रकार काम किया जाता रहा है, उसके अनुसार वार्षिक योजना बाद में वित्तीय वर्ष के दौरान तैयार की जाती रही है और उसमें आयोजन परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त सामग्री का समावेश किया जाता रहा है। इस प्रणाली के विपरीत अब, केन्द्रीय बजट रखने के बाद, यथाशीघ्र वार्षिक योजना 1972–73 प्रस्तुत की जा रही है। संसद् में विचार-विमर्श को सुविधा प्रदान करने और दस्तावेज की संचालनात्मक उपयोगिता बढ़ाने की मंशा से यह किया जा रहा है। केन्द्रीय बजट में सम्मिलित आयोजन स्कीमों के विस्तृत प्रावधान का उल्लेख "योजना-बजट सम्बन्ध" के अन्तर्गत किया गया है। वार्षिक योजना में समस्त आयोजन की संक्षिप्त रूपरेखा दी गयी है। दृष्टिकोण और पुनःस्थिति-निर्धारण, योजना की वित्तीय-व्यवस्था, और चौथी योजना के अंग के रूप में रोजगार के अवसरों तथा अधिक सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जिन स्कीमों को योजना में बढ़ाया गया है या शामिल किया गया है, पर विशेष अध्याय लिखे गये है।

अध्याय 1

दृष्टिकोण

चौथी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया गया था कि हमारे विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को और आगे बढ़ाने के लिए वार्षिक योजना 1972-73 में किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से आवश्यक तालमेल बढ़ाने का काम किया जायेगा। मूल्यांकन दस्तावेज में जिन चार दिशाओं में कार्य करना आवश्यक समझा गया वे थे :—

योजना का अच्छा कार्यान्वयन और अधिक परिव्यय, त्रुटियों का निराकरण, केन्द्र तथा राज्यों में संसाधन जुटाना, अधिक स्वावलम्बन और रोजगार तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई स्कीमों पर अधिक खर्च करना।

2. यह संतोष का विषय है कि दीर्घकालीन विकास और अधिक सामाजिक न्याय के लिए वांछित संसाधनों में बिना कटौती किए देश ने बंगला देश से विस्थापितों के आगमन, पाकिस्तान के साथ युद्ध, विस्थापितों की वापिसी तथा पुनर्वास बंगला देश को दी गई सहायता के कारण बढ़े हुए व्यय का भार वहन किया। वर्ष 1971-72 के योजना परिव्ययों में कोई कटौती नहीं की। वर्ष 1971-72 के दौरान और केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए 1787 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। यह 1971-72 के परिव्यय से 332 करोड़ रुपये अधिक था। यह एक वर्ष में काफी ज्यादा वृद्धि का द्योतक है। इन दो वर्षों में केन्द्र ने संसाधन जुटाने के लिए जो अभूतपूर्व प्रयत्न किए उन्हीं के कारण यह संभव हो पाया है।

3. मई, 1971 में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में जो अतिरिक्त कर लगाये गये उनसे पूरे वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित प्राप्ति तथा अक्तूबर व दिसम्बर, 1971 में जो उपाय अपनाये गये उनके कारण 500 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी। वर्ष 1971-72 के बजट में बाजार उधार और छोटी बचतों से प्राप्त होने वाली राशि में 156 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए। बंगला देश के विस्थापितों को राहत पहुंचाने के लिए जो अतिरिक्त उगाही की जा रही है उसको छोड़कर भी, केन्द्र द्वारा 1972–73 में 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायेंगे जो कि सारी रकम राज्यों को दे दी जायेगी। योजना के प्रथम चार वर्षों में केन्द्र द्वारा 2900 करोड़ रुपये (जो कि सारा राज्यों को दिया जायेगा) जुटाये जायेंगे। इस प्रकार योजना अवधि में यह राशि 2100 करोड़ रुपये के मूल योजना लक्ष्य से काफी ज्यादा होगी।

4. योजना में राज्यों द्वारा अतिरिक्त कराधान द्वारा 1098 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु राज्यों द्वारा योजना के पहले तीन वर्षों में जो कदम उठाये गये, उनसे योजना अवधि में 777 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। राज्यों के साथ 1972-73 की वार्षिक योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के बारे में जो बातचीत हुई, उसके परिणामस्वरूप राज्य इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वे 88 करोड़ रुपये के कर लगायेंगे । योजना वित्तीय-व्यवस्था प्रणाली के अन्तर्गत उनसे इस सम्बन्ध में भरपूर प्रयत्न करने की अपेक्षा की गई है । अतः योजना के अन्तिम वर्ष में भी राज्यों को और संसाधन जुटाने पड़ेंगे। इस सम्बन्ध में अक्तूबर, 1971 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय के मुताबिक, कृषि आय तथा सम्पत्ति कराधान सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्रीय राज्य वित्तीय सम्बन्ध ठीक बनाये रखने के लिए ओवरड्राफ्टों से बचना, एक अत्यन्त आवश्यक काम है। इस सम्बन्ध में 1972-73 में एक खास योजना शुरू की जायेगी। वर्ष 1972-73 में केन्द्र द्वारा जो नये कर लगाये जायेंगे उनसे राज्यों को 50 करोड़ रुपये की एक खासी रकम मिलेगी । इससे उनकी माली हालत में काफी सुधार हो जायेगा ।

5. वर्ष 1972-73 की योजना का खर्चा 3973 करोड़ रुपये होगा। यह 1971-72 की योजना खर्चे (3158 करोड़ रुपये) से 815 करोड़ रुपये अधिक होगा। केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए 1971-72 में 1701 करोड़ रुपये का खर्च रखा गया था जबकि 1972-73 में 2307 करोड़ रुपये का खर्च रखा गया है । यहां भी यह पूर्व की अपेक्षा 36 प्रतिशत अधिक होगा । राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1972-73 के दौरान 1666 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। यह 1457 करोड़ रुपये के 1971-72 के स्वीकृत योजना व्यय से 209 करोड़ रुपये अधिक है। यह 14 प्रतिशत वृद्धि बताता है।

6. वर्ष 1972-73 में अधिक योजना परिव्यय दो बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। पहला काम यह होगा कि मध्यावधि मूल्यांकन के समय जो त्रुटियां देखने में आई, उनको दूर करने पर खास ध्यान दिया जा सके और दूसरा काम यह है कि समय की पुकार यानी स्वावलम्बन और सामाजिक न्याय की प्रगति पर विशेष बल देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। योजना की रूपरेखा नामक अध्याय में कपास, और तिलहन के लिए विशेष उत्पादन कार्यक्रम दिए गए हैं। इन तीनों जिन्सों को मिलाकर, हमारे व्यापार में लगभग 40 प्रतिशत का घाटा होता है। इस्पात और उर्वरकों की वर्तमान क्षमता से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के साथ-साथ उर्वरक के विस्तार और नई परियोजनाओं के लिए भी कार्यक्रम बनाये गए हैं । पटसन और सूती कपड़ा जैसे निर्यात-उन्मुख परम्परागत उद्योगों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इन कार्यक्रमों का स्वावलम्बन के प्रयत्नों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा । सार्वजनिक

विनियोजन में वृद्धि होने के कारण योजना परिव्यय में भी बढ़ोतरी कर दी गई है । इससे अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा तेजी आयेगी और सर्वतोमुखी प्रोत्साहन मिलेगा । सरकारी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की कार्य समिति, सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें लाभप्रद बनाने के बारे में प्रत्येक उद्यम के लिए अलग-अलग सिफारिशें देने का काम कर रही है । इसी प्रकार सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों का योजना आयोग द्वारा उद्योग वार अध्ययन कर निर्णय लिए जा रहे हैं । विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति अनेक प्राथमिकता अन्वेषण करने के काम में लीन है। इससे मध्यम तथा दीर्घकालीन आधार पर आयात प्रतिस्थापन करना सम्भव हो सकेगा।

7. चौथी योजना की जिन स्कीमों में समाज कल्याण के तत्व हैं उन पर अधिक बल देने की आवश्यकता को मानते हुए, प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत 1970-71 के केन्द्रीय बजट में कई नये काम और अधिक प्रावधान शामिल किए गए । इसमें लघु कृषक और कृषि श्रमिक स्कीमें, बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम, आवास और नगर विकास, ग्रामीण पेय जल संभरण तथा औद्योगिक कामगारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के काम आते हैं। वर्ष 1971-72 के बजट में एक नया काम आरम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार के लिए 50 करोड़ रुपये और शिक्षित बेरोजगारों के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। 1972-73 की वार्षिक योजना में, शिक्षित बेरोजगारों, प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार, मुख्य शहरों में गंदी बस्तियों का सुधार, ग्रामीण जलपूर्ति और गांवों में आवास स्थानों से सम्बन्धित विशेष कल्याण कार्यक्रम के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो कि पहले से काफ़ी ज्यादा है । यह व्यवस्था पहले से ही ग्रामीण रोजगार, सूखाग्रस्त क्षेत्र, लघु कृषक, नाममात्र के कृषक व कृषि श्रमिक, और बारानी खेती के लिए किए गए 90 करोड़ रुपये के प्रावधान तथा पोषाहार के लिए किए गए 21.5 करोड़ रुपये के प्रावधान के अलावा हैं। वार्षिक योजना दस्तावेज में ग्रामीण रोजगार व विकास, प्रारम्भिक शिक्षा विशेष कार्यक्रम स्कीमें, पोषाहार, आवास और गंदी बस्तियों का सुधार तथा ग्रामीण जलपूर्ति पर जो पृथक्-पृथक् अध्याय हैं, उनमें इन विशेष स्कीमों के स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

8. लोगों की आधारभूत निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये स्कीमें बनाई गई हैं। आवश्यकता के अनुसार सहायता इस प्रकार प्रदान की जायेगी, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं का निराकरण हो सके। इसके अलावा ये स्कीमें इस प्रकार तैयार की गई हैं जिससे पर्याप्त समन्वय प्राप्त किया जा सके और खर्चे के कथित स्तरों से अधिकतम प्रभाव दिखाया जा सके। राज्यों को दी जाने वाली सहायता 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगी। ये अतिरिक्त संसाधन इसी प्रकार के कार्यों के लिए राज्य योजनाओं में पहले से निर्धारित परिव्ययों के पूरक के रूप में कार्य करेंगे और इनके स्थान पर अन्य स्कीम प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं होगा । आवश्यकता तथा

समावेशन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्य एक या अधिक स्कीमों से लाभान्वित होंगे। हां, कहीं सम्भव हो राज्य सरकारें अपने संसाधनों, अपने बजट के साधनों या संस्थागत साधनों से इस प्रावधान में वृद्धि करेंगे ताकि यह बहुविध प्रभाव दिखा सके।

9. ग्रामीण रोजगार और विकास सम्बन्धी स्कीमों के कम्पलेक्स पर मुख्य बल इस प्रकार दिया जाय जिससे उनके कारगर कार्यान्वयन से अधिकतम प्रभाव परिलक्षित हो सके। विशेष रोजगार स्कीमों से न केवल शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा वरन् समेकित ग्रामीण सर्वेक्षण करने, प्रारंभिक स्कूलों में कर्मचारी उपलब्ध करने, ग्रामीण जलपूर्ति स्कीमों को बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना रोजगार खंड करने वाले उद्यमों की स्थापना करने में भी सहायता देगा। प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापकों को रोजगार देने के अलावा पिछड़े राज्यों में दाखिला की संख्या भी बढ़ायेगा। इसमें विशेष बल लड़कियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्कूल खोलने पर दिया जायेगा। कक्षा के कमरों के बनाने पर ग्रामीण लोगों को भी रोजगार मिलेगा। पोषाहार कार्यक्रम मुख्यतः आदिम जाति क्षेत्रों तथा शहरी गंदी बस्तियों के बच्चों को लाभान्वित करेगा। गंदी बस्तियों का सुधार महत्वपूर्ण नई स्कीम है। इससे उन शहरों की गंदी बस्तियों के निवासी लाभान्वित होंगे जिनमें भारत की कुल संख्या का 27 प्रतिशत जन समुदाय निवास करता है। यह आवास और शहरी विकास निगम द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले तथा कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र के विकास की विशेष स्कीमों के लिए निर्धारित धनराशि में वृद्धि करेगा। राज्य ग्रामीण जलपूर्ति के लिए अब जो व्यवस्था कर रहे हैं उससमें ग्रामीण जल उपलब्धि के लिए इस अतिरिक्त व्यवस्था से महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इससे वे राज्य अधिक लाभान्वित होंगे जिनमें अनेक गांव निरन्तर अभाव व हैजा और नहरुआ उत्पीड़न जैसे स्वास्थ्य संकटों का सामना करने होते हैं।

10. वार्षिक योजना में स्कीमों के लिए जो अलग-अलग प्रावधान दिखाया गया है, वह अस्थायी है। आवश्यकताओं तथा काम की समताओं के अनुसार विनियोजन किया जा सकता है। परन्तु यह विनियोजन या तो एक स्कीम के अन्तर्गत ही करना होगा। अथवा फिर समस्त प्रावधान के अन्तर्गत करना होगा। वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना के पुनःनिर्धारण में वर्तमान में गुणात्मक परिवर्तन लाने और विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान रखने के अलावा, यह पांचवीं योजना में अधिक सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिशा में भरपूर प्रयत्न के लिए सुदृढ़ आधार व अनुभव भी प्रदान करेगा।

अध्याय 2

योजना की रूपरेखा

1972-73 की वार्षिक योजना बनाते समय नई स्थिति के कारण पैदा होने वाली आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से जिन कमियों तथा त्रुटियों का पता चला उन्हें दूर करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली स्कीमों के लिए काफी अधिक व्यवस्था करना ।

2. वार्षिक योजना में (क) दिए गए वचनों, (ख) पूर्व वर्ष के बकाया व्ययों, (ग) लगभग पूरे होने वाले निर्माण कार्यों को पूरा करना, (घ) अन्य चालू निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूरा करना तथा (ङ) पहले से ही बनाई गई क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग, को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम जनता को प्राथमिक शिक्षा, पेय जल, आवास तथा संचार सम्बन्धी कुछ न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हों, 1972-73 के दौरान संसाधनों के आबंटन में तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पर्याप्त वृद्धि की जायेगी । विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर बनाने पर अधिकतम ध्यान दिया जायेगा । वर्तमान परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं एवं रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्यक्रमों को सप्रयोजन आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए गए हैं । 1971-72 में रोजगार अवसर बनाने के लिए जो विशेष स्कीमें प्रारम्भ की गई थीं उनका तेजी से कार्यान्वयन करने पर बल दिया जायेगा ।

3. पांचवी योजना अवधि में आरम्भ में की जाने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करने की दृष्टि से यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय मंत्रालय अन्वेषण तथा अध्ययन के लिए आवश्यक संसाधन जुटायेंगे ताकि पांचवीं योजना तैयार करने के लिए पर्याप्त सुनियोजित परियोजनाएं तैयार की जा सकें ।

योजना परिव्यय

4. 1972-73 के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 3973.42 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की परिकल्पना की गई है जो सरकारी क्षेत्र के चौथी योजना परिव्यय के लगभग 25 प्रतिशत अंश का प्रतिनिधित्व करता है। यह पहले

वर्ष के 3158 करोड़ रुपये के परिव्यय से 25.8 प्रतिशत अधिक है। 1971-72 के परिव्यय के साथ तुलना करते हुए 1972-73 के परिव्यय का वितरण यहां नीचे की सारणी में दर्शाया गया है:—

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	योजना परिव्यय 1971-72	योजना परिव्यय 1972-73
1. केन्द्र	1559.16	2144.20
2. केन्द्र प्रायोजित . . .	141.50	162.97
3. संघ शासित क्षेत्र . . .	69.11	64.50
4. राज्य	1387.91	1601.75
जोड़ . .	**3157.68**	**3973.42**

5. चौथी योजना के पहले चार वर्षों के परिव्यय तथा चौथी योजना के अनुमान इस प्रकार है:—

सारणी 1: की योजना व्यय प्रगति

(करोड़ रुपये)

	केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	जोड़
चौथी योजना (1969-74)	**8870.69**	**7041.47**	**15912.15**
1969-70 (वास्तविक)	1022.67	1159.67	2182.34
1970-71 (प्रत्याशित)	1305.64	1336.84	2642.48
1971-72 (परिव्यय)	1700.66	1457.02	3157.68
1972-73 (परिव्यय)	2307.17	1666.25	3973.42
1969-73 जोड़	6336.14	5619.78	11955.92

6. 1971-72 के परिव्यय की तुलना में 1972-73 का केन्द्रीय स्कीमों का परिव्यय लगभग 585 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वर्ष गैर-योजना स्कीमों के लिए लगभग 105 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। ये गैर-योजना स्कीमें हैं:—ग्राम रोजगार के लिए तूफानी स्कीम, सूखाग्रस्त क्षेत्रों की स्कीमें, शिक्षित बेरोजगारों की स्कीमें आदि। इन्हें अब योजना में शामिल कर लिया गया है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 1971-72 की तुलना में 1972-73 के लिए 21.5 करोड़ रुपये का अधिक परिव्यय है। तुलनात्मक आधार पर (अर्थात् 1972-73 के लिए मणिपुर तथा त्रिपुरा के परिव्यय

को संघ शासित क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल करके) संघ शासित क्षेत्रों के लिए 13 करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था की गई है। राज्यों के लिए लगभग 198 करोड़ रुपये के अधिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है। जिसमें मणिपुर तथा त्रिपुरा जिन्हें 1972-73 में राज्यों के अन्तर्गत दिखाया गया है, का परिव्यय सम्मिलित नहीं है ।

राज्यों की 1972-73 की वार्षिक योजना बनाते समय मूल उद्देश्य रहा है विकास की नियमित गति को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ाना। अतएव उत्पादन परक क्षेत्रों, रोजगार परक कार्यक्रमों, कमजोर वर्ग के लाभ के लिए स्कीमों आदि पर अधिक बल दिया गया है। 198 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय का एक तिहायी (एक बटा तीन) निम्नांकित सामाजिक सेवाओं के विस्तार के लिए हैं:— शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की सप्लाई तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण । अतिरिक्त परिव्यय का लगभग बीस प्रतिशत कृषि कार्यक्रमों के लिए है जिसमें सहकारिता भी शामिल है। गांवों के विकास तथा लघु उद्योगों और सड़कों के निर्माण के लिए भी अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि नियोजित सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध सम्पूर्ण संसाधनों के अन्तर्गत वे पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों के द्रुतगामी विकास के लिए अनुपातिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक नियतन करें।

7. 1972-73 में राज्यों को केन्द्र द्वारा दी जानेवाली सहायता को दर्शाते हुए प्रत्येक राज्य की योजना परिव्यय का वितरण सारणी–2 में दर्शाया गया है। संघ शासित क्षेत्रों के परिव्यय का वितरण सारणी–3 में दर्शाया गया है । ब्यौरा क्रमशः अनुबन्ध 1 तथा 2 में दिया गया है:—

सारणी 2 : योजना परिव्यय, 1972-73–राज्य

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य	केन्द्रीय सहायता	राज्यों के संसाधन	योजना परिव्यय
10	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश . . .	46.56	58.44	105.00
2.	असम	32.96	7.29	40.25
3.	बिहार	65.57	34.43	100.00
4.	गुजरात	30.65	75.35	106.00
5.	हरियाणा	15.23	66.77	82.00

सारणी 2 — (जारी)

0	1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश . . .	22.00	4.57	266.57
7.	जम्मू तथा कश्मीर . .	32.00	4.00	366.00
8.	केरल	33.95	30.05	644.00
9.	मध्य प्रदेश . . .	50.83	58.17	1099.00
10.	महाराष्ट्र . . .	47.63	157.96	2055.59
11.	मणिपुर	7.50		77.50
12.	मेघालय	7.22	1.03	88.25
13.	मैसूर	33.56	38.74	722.30
14.	नागालैंड	7.59	1.41	99.00
15.	उड़ीसा	31.04	26.38	577.42
16.	पंजाब	19.59	65.41	855.00
17.	राजस्थान . . .	42.68	22.32	655.00
18.	तमिलनाडु . . .	39.19	77.16	1166.35
19.	त्रिपुरा	8.00		88.00
20.	उत्तर प्रदेश . . .	102.04	122.96	2255.00
21.	पश्चिम बंगाल . . .	42.87	30.65	733.52
	जोड़ . .	718.66	883.09	16011.75

सारणी 3 : योजना परिव्यय, 1972-73—संघ शासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	संघ शासित क्षेत्र	योजना परिव्यय
0	1	2
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . . .	3000.00
2.	चण्डीगढ़	1533.29
3.	दादरा और नागर हवेली	499.00
4.	दिल्ली	41000.00
5.	गोआ, दमन और द्वीप	8688.00

सारणी 3 — (जारी)

0	1	2
6.	लकदीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपसमूह . .	45.00
7.	मिजोरम	275.00
8.	नेफा	360.00
9.	पाण्डिचेरी	300.00
	जोड़	6450.29[1]

8. विकास की मुख्य मदों के अनुसार केन्द्र, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के 1972-73 के परिव्यय का वितरण सारणी-4 में दर्शाया गया है :

सारणी 4 : 1972-73 के योजना परिव्यय का वितरण : केन्द्र प्रायोजित, राज्य और संघ शासित क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	विकास की मद	केन्द्र	केन्द्र प्रायोजित	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	जोड़
0	1	2	3	4	5	6
1.	कृषि तथा इससे सम्बद्ध कार्यक्रम	42225	2715	32651	644	78235
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	487	—	25340	204	26031
3.	बिजली	12371	1150	45659	1103	60283
4.	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	2886	317	2896	165	6264
5.	उद्योग और खनिज	68637	—	4383	55	73075
6.	परिवहन और संचार	58096	1159	12782	804	72841
7.	शिक्षा . .	5167	764	12438	1082	19451

[1]ये आंकड़े केन्द्रीय बजट में दिए गए आंकड़ों से कुछ भिन्न हैं। सामान्य रूप से अनुमोदित परिव्ययों का क्रियान्वयन संघ शासित क्षेत्र करेंगे जो कि पुनरीक्षित अनुमानों में परिलक्षित होगा।

सारणी 4 — (जारी)

0 1	2	3	4	5	6
8. वैज्ञानिक अनुसंधान	4241	—	—	—	42241
9. स्वास्थ्य	1022	2999	4300	405	87726
10. परिवार नियोजन	700	5615	—	—	63315
11. जलपूर्ति और सफाई	17	89	8867	1227	102200
12. आवास, शहरी और क्षेत्रीय विकास	1125	—	4564	503	61193
13. पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	1436	2732	46	42214
14. समाज कल्याण[1]	15099	40	217	39	153395
15. श्रमिक कल्याण और दस्तकारी प्रशिक्षण	233	12	499	59	8803
16. अन्य कार्यक्रम	2114	1	2846	114	50075
17. जोड़	214420	16297	160175	6450	3973342

9. वार्षिक योजना, 1972-73 में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे के पैराग्राफों में दिया गया है। ग्राम रोजगार और विकास, प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षित बेरोजगार, पोषाहार, आवास और गन्दी बस्तियों के सुधार तथा ग्रामीण जल पूर्ति से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा अलग-अलग अध्यायों में दिया गया है।

कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रम

10. चालू कृषि कार्यक्रमों के अतिरिक्त 1972-73 में कुछ ऐसी स्कीमें भी आरम्भ की जायेंगी जो चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में विहित मुख्य त्रुटियों एवं कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई हैं। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में आर्द्र तथा अधिक वर्षा वाले भागों में, शीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्रों आदि में कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसा इन क्षेत्रों में जल प्रबन्ध अनुसंधान तथा कृषि में क्षारीय जल-उपयोग सम्बन्धी अनुसंधान की समन्वित स्कीमें आरम्भ करके किया जायेगा। फसल कटाई के बाद के शिल्प और तत्सम्बद्ध मामलों के अनुसंधान कार्य को अधिक बढ़ाया जायेगा। शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए समेकित शिल्प विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान को

[1]इसमें विशेष कल्याण स्कीमें शामिल हैं।

बढ़ाया जायेगा। योजना आयोग के द्वारा बारानी खेती के सम्बन्ध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों को पूरा करने की दृष्टि से बारानी खेती से सम्बन्धित चालू समन्वित परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया जायेगा। इस दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट नवम्बर, 1971 में पेश कर दी थी। कपास और पटसन के अनुसंधान को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वार्षिक योजना में नए कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं।

11. कपास, पटसन तथा तिलहन जैसी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों जिनके मामले में उत्पादन योजना लक्ष्यों से कम हुआ है, उसे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे। वनस्पति सब्जी, तेल, चर्बी तथा पटसन का भारत द्वारा बहुत आयात किया जाता है, अतएव इन वस्तुओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में इन कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। कपास विशेषकर लम्बे रेशे के कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1972-73 में एक सघन कपास जिला कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा जो 6.2 लाख हैक्टर में प्रारम्भ किया जायेगा। इसमें 4.8 लाख हैक्टर क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। यह कार्यक्रम सिंचित कपास वाले छः जिलों में तथा वर्षा पर निर्भर कपास वाले सात जिलों में कार्यान्वित किया जायेगा। पश्चिम बंगाल के एक-फसली क्षेत्रों में अर्थात् सुन्दरवन और समुद्र-तटीय पट्टी में कपास के उत्पादन के सम्बन्ध में एक अलग कार्यक्रम भी है। इसके अतिरिक्त, अधिक उपज वाली किस्म, संकर-4 कपास के प्रचार के लिए और कपास की लम्बे रेशे वाली किस्मों की वृद्धि तथा वितरण के लिए भी कार्यक्रम प्रारम्भ किए जायेंगे।

12. 1972-73 में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा असम के छः महत्वपूर्ण पटसन उत्पादक जिलों के 1.8 लाख हैक्टर क्षेत्र में पटसन के सघन जिला कार्यक्रम प्रारम्भ किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश में मेस्टा के विकास के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 20,000 हैक्टर क्षेत्र सम्मिलित किया जायेगा। कार्यक्रम में पटसन क्षेत्र को बढ़ाने की परिकल्पना भी की गई है।

13. तिलहनों के मामले में ऐसे कार्यक्रम बनाए गए है जो सोयाबीन, सूर्यमुखी तथा ताड़ के तेल जैसे नए तिलहनों के उत्पादन का प्रचार करेंगे। 1972-73 में सोयाबीन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख हैक्टर क्षेत्र आने की आशा है। सूर्यमुखी का विकास भी किया जायेगा क्योंकि अन्य तिलहनों की तुलना में इस तिलहन की उत्पादन क्षमता काफी अधिक है। केरल, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ताड़ के तेल का भी विकास किया जायेगा इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा।

14. वर्ष के दौरान बहु-फसली खेती सम्बन्धी कार्यक्रम के अंग के रूप में दालों की अल्पावधि किस्मों के प्रचार की दृष्टि से उनके उत्पादन और वितरण का काम भी प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कृषकों के खेतों में अरहर, हरे चनों तथा काले चनों जैसी कुछ दालों के प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाता है।

उत्पादन के लक्ष्य

15. खाद्यान्न और मुख्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लक्ष्य तथा 1971-72 के कार्यक्रमों सहित 1972-73 के लिए निर्धारित अन्य विकास कार्यक्रम निम्नांकित राज्यवार लक्ष्य अनुबन्ध 3, 4, तथा 5 में दिए गए हैं :

सारणी 5 : लक्ष्य और प्रत्याशित उपलब्धियां-कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रम

मद	एकक	1971-72		1972-73
		लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5
खाद्यान्न	दस लाख मीट्रिक टन	112	110-112	118
तिलहन	लाख मीट्रिक टन	95	87.88	97[1]
चीनी (गुड़)	लाख मीट्रिक टन	132	128-129	135
कपास	लाख गाठें (प्रत्येक 180 कि० ग्रा०)	65	56-57	66
पटसन (मेस्टा सहित)	,, ,,	64	55-56	64
अधिक उपज वाली किस्मों से सम्बन्धी कार्यक्रम	दस लाख हैक्टर पर	18.00	17.93	22.10
चावल		7.00	7.21	9.00
गेहूं		6.90	7.48	8.50
मक्का		0.50	0.49	0.50
ज्वार		1.20	0.91	1.10
बाजरा		2.40	1.84	3.00
बहु-फसली खेती[2]		1.90	1.75	1.89
बड़ी सिंचाई[2]		1.60	1.58	1.60
भूमि संरक्षण[2]		1.25	1.22	1.26
रासायनिक उर्वरकों की खपत	दस लाख मीट्रिक टन			
	नाइट्रोजनीय (एन)	2.00	1.80	2.29
	फास्फेटीय ($पी_2ओ_5$)	0.89	0.59	0.80
	पोटासीय ($के_2ओ$)	0.40	0.35	0.45
पौध संरक्षण	दस लाख हैक्टर	50.00	46.00	56.00

[1]इसमें 5 मुख्य तिलहनों के अलावा सोयाबीन और सूर्यमुखी भी सम्मिलित हैं।

[2]वर्ष के दौरान अतिरिक्त तथा अन्य सभी कार्यक्रमों के मामले में वर्ष के अन्त में उपलब्ध स्तर ।

बड़ी और मध्यम सिंचाई

16. जिनका निर्माण लगभग पूरा होने वाला है उन चालू स्कीमों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। अन्तर-राज्य और बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था दी गई है। कई नई बड़ी और मध्यम सिंचाई स्कीमें प्रारम्भ की जायेंगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई और बिजली परियोजनाओं की जांच के लिए भी परिव्यय की व्यवस्था की जायेगी ये परिव्यय अंशत: पांचवीं योजना के तैयारी के काम में भी सहायता पहुँचाएगें। साथ ही ये इंजीनियरों तथा तकनीशियनों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सुलभ कराएंगे। एक राष्ट्रीय जल ग्रिड सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन पांच नदियों की घाटियां हैं। प्रस्तावित स्कीम में मानसून के महीनों में पटना के निकट गंगा से अन्ततः लगभग 12.5 लाख हैक्टर मीटर जल का केन्द्रीय तथा दक्षिणी क्षेत्रों को स्थानान्तरित करने की परिकल्पना की गई हैं ताकि मार्ग में पड़ने वाले जलाशयों में जल की वृद्धि की जा सके और सम्बन्धित क्षेत्रों में बड़े भू-भाग पर स्थायी सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। अब तक जो अध्ययन हुए हैं वे सब केवल प्रारम्भिक प्रकार के हैं और जल-विज्ञान, इंजीनियरी और अन्य प्रकार की जांच अभी करनी बाकी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ दल भारत में इस समय सम्बन्धित प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है और उसे इस विषय में भारत सरकार को सलाह देनी है।

17. 1972-73 के लिए क्रमशः 9.0 लाख तथा 7.5 लाख अतिरिक्त क्षमता और उपयोग का लक्ष्य रखा गया है।

बाढ़ नियंत्रण

18. विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 1971 में बाढ़ से 125 लाख हैक्टर क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें 59 लाख हैक्टर क्षेत्र फसल वाला था। बाढ़ द्वारा हुए विनाश और तोड़-फोड़ से देश की समग्र अर्थ-व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा है अतएव राज्यों को बाढ़ से बचाने से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को उच्च प्राथमिकता देनी होगी और समस्या की गम्भीरता के अनुसार पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे समस्या को उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें और बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करें। कार्यान्वयन के लिए हाल ही में जो महत्वपूर्ण स्कीमें अनुमोदित हुई हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—पश्चिम बंगाल की महानन्दा तटबन्ध स्कीम और नजफगढ़ नाले तथा दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में बाढ़-जल की निकासी वाले नाले नवीकरण और उसे सीधा करने से सम्बन्धित स्कीम।

उद्योग और खनिज

19. वार्षिक योजना, 1972-73 में कुल 793.39 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अधिकांश परिव्यय इस्पात, उर्वरक पैट्रोलियम, खनिज विकास और अलौह धातुओं जैसे आधारभूत उद्योगों के लिए है। 1972-73 के अनुमानित परिव्यय में लगभग 30 प्रतिशत अंश इस्पात परियोजनाओं के लिए है। अलौह धातुओं के मामले में एल्यूमीनियम और तांबा परियोजनाओं के लिए पूर्व वर्ष की तुलना में पर्याप्त रूप से अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। तेल की खोज तथा हल्दिया परिष्करणशाला के लिए अधिक व्यवस्था की गई है। 1972-73 में बोंगाइगांव तथा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में नई परिष्करणशालाएं निर्मित करने की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन में प्रगति की दूसरी मुख्य दिशा नेपथा विस्फोटक तथा गुजरात के पैट्रोकेमिकल काम्पलेक्स में सहायक सुविधाएं जुटाने से सम्बन्धित है। उर्वरकों के मामले में विस्तार कार्यों और नई परियोजनाओं की शीघ्र प्रगति के लिए काफी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

20. वर्तमान क्षमता के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। आवश्यक सन्तुलनकारी अथवा अतिरिक्त उपस्कर के लिए तथा अधिक उत्पादन की दृष्टि से प्रौद्योगिकी सुधार के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गई है। 1972-73 में इस्पात और उर्वरक जैसे उद्योगों में अच्छी प्रगति की आशा है।

21. उन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया है जिसकी पूर्ति कम है। विशेष रूप से स्कूटर परियोजना की शीघ्र प्रगति, औषधि उत्पादन की वृद्धि तथा सीमेंट और कागज के निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था की गई है।

22. पारम्परिक उद्योगों का आधुनिकीकरण और पुनर्वासीकरण 1972-73 में किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। निर्यात-मूलक सूती कपड़ा तथा जूट मिलों के आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सुदृढ़ करने के लिए भी वित्तीय व्यवस्था की गई है। "भारत कोकिंग कोल कम्पनी" के लिए भी आवश्यक परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह कम्पनी सरकार द्वारा हाल ही में अपने अधिकार में ली कोकिंग कोयला खानों का प्रबन्ध करने के लिए स्थापित की गई है।

23. पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। पूर्व-घोषित नीति के आधार पर विभिन्न राज्यों के चुने हुए पिछड़े जिलों में परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज सहायता की व्यवस्था की जायेगी। औद्योगिक विकास बैंक अन्य संस्थानों तथा राज्य सरकारों के सहयोग से रियायती वित्त की व्यवस्था करने के अलावा पिछड़े जिलों में औद्योगिक संभावनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करेगा।

24. पांचवीं योजना की अग्रिम कार्यवाही के रूप में नई परियोजनाओं, जैसे कि होस्पेट, विशाखापट्टनम और सेलम में स्थापित किए जाने वाले इस्पात संयंत्रों के लिए भी व्यवस्था की गई है। खनिज क्षेत्र में प्राकृतिक साधनों से सम्बन्धित सर्वेक्षण में तीव्रता लाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। क्योंकि यह धातु विज्ञान, पैट्रोलियम तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धित परियोजनाओं की एक-रूपता के लिए पूर्वापेक्षित आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं से सम्बन्धित अनुसंधान तथा व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए भी व्यवस्था की है, जिससे कि ये पांचवीं योजना पर विचार-विमर्श के लिए समय पर ही तैयार हो जायें।

25. ग्राम तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र में लघु उद्योग विकास संगठन तथा लघु उद्योग सेवा संस्थानों को सुदृढ़ करने के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारों और विशेष रूप से नक्सलों की योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था की जायेगी। ग्रामोद्योग परियोजना सम्बन्धी कार्यक्रम को काफी बढ़ाया जायेगा।

26. 1972-73 में विभिन्न उद्योगों के उत्पादन लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है :—

सारणी 6 : 1972-73 : उत्पादन के चुने हुए लक्ष्य

क्रम संख्या	मद	एकक	लक्ष्य
0	1	2	3
1.	इस्पात पिण्ड	दस लाख मीट्रिक टन	7.5
2.	परिष्कृत इस्पात	,, ,,	5.6
3.	मिश्र धातु तथा विशेष इस्पात	हजार मीट्रिक टन	232
4.	एलम्यूनियम	,, ,,	180
5.	नाइट्रोजनीय उर्वरक (एन० के रूप में)	,, ,,	1400
6.	फास्फेटीय उर्वरक ($पी०_2 ओ०_5$)	,, ,,	400
7.	कोककर कोयला	दस लाख मीट्रिक टन	18
8.	लौह अयस्क	,, ,,	30
9.	कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन	,, ,,	7.5
10.	कच्चे निवेश के रूप में परिष्करण क्षमता	दस लाख मीट्रिक टन	19.0
11.	कागज और गत्ते	हजार मीट्रिक टन	775
12.	सीमेंट	दस लाख मीट्रिक टन	16.0
13.	कपास (दस लाख क्षेत्र)	दस लाख मीटर	4000
14.	हाथ-करघा, विद्युत करघा और खादी	,, ,,	3380
15.	चीनी	हजार मीट्रिक टन	4000

बिजली का विकास

27. 1971-72 के प्रारम्भ में देश में स्थापित उत्पादन क्षमता 165 लाख किलोवाट थी जिसके 1971-72 के अन्त में बढ़कर 170 लाख किलोवाट हो जाने की आशा है। 1972-73 में 15 लाख किलोवाट क्षमता और पैदा हो जाने की आशा है जिससे वित्तीय वर्ष के अन्त में देश में कुल स्थापित क्षमता बढ़कर लगभग 185 किलोवाट हो जायेगी। बिजली का कुल विक्रय 1971-72 में लगभग 54,0000 लाख यूनिट से बढ़कर 1972-73 में लगभग 59,0000 लाख यूनिट हो जायेगा।

28. प्रेषण एवं वितरण लाइनों के निर्माण की प्राथमिकता दी जायेगी। टावरों के निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात की आपूर्ति पर्याप्त न होने के कारण संचार कार्यक्रम की प्रगति पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। इस्पात को विदेशों से उपलब्ध करने की जो अब व्यवस्था की गई है उससे इस स्थिति में सुधार होने की आशा है।

29. वार्षिक योजना में अन्तरराज्यीय लाईनों के शीघ्र निर्माण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। अन्तर केन्द्रों को पूरा किये जाने का कार्य कितना आवश्यक है तथा कितना महत्वपूर्ण है इस बात को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य के लिए 1972-73 में 11.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। भारप्रेषण केन्द्रों, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा अनुसंधान की व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

30. कुछ वर्षों से राज्यों में ग्राम बिजलीकरण कार्यक्रम पर उत्तरोत्तर अधिक महत्व दिया गया है। इस कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था आंशिक रूप से तो राज्य योजनाओं में ही उपलब्ध निधियों से की जा रही है तथा आंशिक रूप से उस धन से की जा रही है जो कि राज्यों को ग्राम बिजलीकरण निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे ए० एफ० सी० द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आर० आई० सी० ने परियोजनाओं के लिये 106 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिनमें से 43 करोड़ रुपये उदार शर्तों पर पिछड़े क्षेत्रों को प्रदान किए गए हैं। अनुमान है कि लगभग 3 लाख और पम्पों को 1972-73 के दौरान बिजली दे दी जाएगी, जिससे कि देश में इस प्रकार के पम्पों की कुल संख्या लगभग 22 से 23 लाख हो जायगी, जबकि चौथी योजना के आरंभ में इन पम्पों की संख्या लगभग 11 लाख थी।

परिवहन

रेलवे

31. रेलों द्वारा ढोया जाने वाला माल भाड़ा यातायात 1970-71 में लगभग 1965 लाख मीट्रिक टन था तथा 1971-72 में इस स्तर के बढ़ने की संभावना नहीं है।

माल भाड़ा यातायात की वृद्धि में सुधार की संभावना को देखते हुए यह अनुमान है कि 1972-73 में रेल यातायात लगभग 110 लाख टन बढ़ सकता है। यद्यपि मूल टन भार का जहां तक सम्बन्ध है, हाल के वर्षों में रेल यातायात में वृद्धि नहीं हुई है तथापि 1971-72 में टन किलोमीटरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि औसत ढुलाई यातायात में तथा रेलवे के कार्यभार में वृद्धि दर्शाता है।

32 अभी हाल के वर्षों में रेलों में यात्री-यातायात में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। 1971-72 में यात्री-यातायात के द्वारा लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। यात्री यातायात में 1972-73 में लगभग 3 प्रतिशत और वृद्धि होने का अनुमान है

33 रेल के डिब्बों को उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को 1972-73 में बढ़ा देने का प्रस्ताव है। विशेष रूप से चार पट्टियों वाले लगभग 16,000 माल डिब्बे 1972-73 में मंगाने का प्रस्ताव है जबकि 1971-72 में ऐसे 9178 डिब्बे प्राप्त हुए थे। कोयला, सीमेंट जैसे प्रमुख मालों के आवागमन के लिए काफी अर्से से यातायात की कठिनाइयों का अनुभव किया जाता रहा है। अब यह आशा की जाती है कि इसके लिए रेलवे 1971-72 की तुलना में 1972-73 में माल डिब्बों की सप्लाई बढ़ाने की स्थिति में होगी।

34 पिछले वर्षों की भांति ही 1972-73 में निर्माण कार्यों के लिए प्रदान किए गए परिव्यय के अधिकांश भाग को चल रहे निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, कुछ बड़े-बड़े नये कार्यों, जो कि लाइन परिवर्तन, ट्रैक को दोहरा करने तथा नई लाइनें बिछाने से सम्बन्धित हैं, को भी 1972-73 में प्रारम्भ किया जायेगा। 1972-73 में मुजफ्फरपुर के रास्ते बाराबंकी से बरौनी तक मीटरगेज लाइन को परिवर्तित करने का कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए कुछ लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्माण कार्यों को भी प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्तावित है कि दिवा-बेसिन सड़क-रेल लिंक का निर्माण किया जाये जिससे कि बम्बई के घने क्षेत्रों के बाहर से केन्द्रीय तथा पश्चिमी रेलवे में लिंक बन सके। अभी हाल ही में कुछ क्षेत्रों में कुछ प्रमुख मालों के आवागमन के लिए रेल यातायात की कमी अनुभव की गई है। उदाहरण के लिए पश्चिमी बंगाल-बिहार क्षेत्र से कोयले को ले जाने में कठिनाइयां बताई गई हैं। ये कठिनाइयां बहुत कुछ अंशों में, पूर्वी क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था की कठिन परिस्थिति के कारण हैं जिससे कि रेलवे के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है। यह आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था में सुधार होने तथा रेलवे द्वारा आवागमन को बढ़ाने के लिए विशेष उपायों को प्रारम्भ करने से स्थिति में सुधार हो जायेगा।

सड़कें

35. वार्षिक योजना 1972-73 में केन्द्रीय सड़क कार्यक्रम के लिए जो प्रावधान किया गया वह 77.53 करोड़ रुपये का है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 63.10 करोड़ रुपये तथा 4.02 करोड़ रुपये अन्तर्राज्यीय सड़कों तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए भी शामिल हैं। पांचवीं योजना में जिन स्कीमों को शामिल करने का विचार है उनके सम्बन्ध में जांच आदि के द्वारा अग्रिम कार्यवाही शुरू करने के लिए 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम से भी शिक्षित बेरोजगारों, विशेष रूप से इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा तथा पांचवीं योजना के लिए स्कीमों को उपयुक्त रूप से तैयार करने में सहायता मिलेगी।

36. पिछले वर्षों की भांति ही 1972-73 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र का मुख्य कार्यक्रम, विद्यमान राजमार्गों का विकास करना है। केन्द्रीय सड़क कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य की गति बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं क्योंकि अब तक इसका रुख ऐसा चल रहा था जिससे कि योजना लक्ष्यों के नीचे गिर जाने की आशंका थी। अन्तर्राज्यीय सड़कों तथा आर्थिक दृष्टि से तथा महत्वपूर्ण नई सड़कों के विकास के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा आशा है कि 1972-73 में इस कार्यक्रम पर चल रहे कार्य की गति में तेजी आएगी।

37. 1972-73 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सड़क विकास कार्यक्रमों के लिए लगभग 112 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। इस प्रावधान के एक बड़े भाग को उन स्कीमों पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है जो कि पहले ही से चल रही हैं। देहात की सड़कों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए है।

जहाजरानी

38. भारत का कुल जहाजरानी टनभार 1971-72 के अन्त में 25.7 लाख जी० आर० टी० से बढ़कर 1972-73 के अन्त तक 26.7 लाख जी० आर० टी० हो जाने की आशा है।

बन्दरगाह

39. प्रमुख बन्दरगाहों पर 1971-72 में 580 लाख टन का यातायात होने का अनुमान है तथा आशा है कि 1972-73 में यह बढ़कर 650 लाख टन हो जायेगा। 1972-73 में पत्तन कार्यक्रम का प्रमुख भाग पहले ही से चल रहे निर्माण कार्यों को जारी रखने से सम्बन्धित है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में ये कार्य भी शामिल है: विशाखापट्टनम् में बाह्य हार्बर स्कीम पर कार्य जो कि 1974 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है, मद्रास में तेल गोदी स्कीम को पूरा करना, हल्दिया में कच्चे लोहे तथा

कोयले की ढुलाई के संबंधों का निर्माण तथा मोरमुगाव पत्तन परियोजना जिसके 1972-73 में पूरा हो जाने की आशा है। निर्यात कार्यक्रम से सम्बन्धित विशेष रूप से प्रमुख बन्दरगाह विकास स्कीमों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए अभी हाल ही में प्रयत्न किए गए हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान

40. अनुसंधान तथा विकास योजना सम्बन्धी परिव्यय कृषि, विश्वविद्यालय शिक्षा, डाक्टरी देखभाल, भू-विज्ञान आदि जैसे संबंधित बड़े कार्यकलापों के लिए किए गए आवंटनों का सामान्यतः एक भाग है। तथापि अणु ऊर्जा विकास, सी०एस०आई०आर० तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और समितियों से संबंधित अनुसंधान और विकास के कार्यकलापों पर अलग से विचार किया गया है तथा इस उद्देश्य के लिए योजना आवंटन अलग से रखे गये हैं। 140.27 करोड़ रुपये के कुल चौथी योजना आवंटन के मुकाबले 1969-72 की अवधि के लिए निर्धारित धनराशि 60.72 करोड़ रुपये है तथा 1972-73 के लिए निर्धारित परिव्यय 42.41 करोड़ रुपये है जो कि स्पष्टतः ही एक उल्लेखनीय वृद्धि है। मध्यावधि मूल्यांकन से प्राप्त हुए प्रतिफलों के आधार पर डी० ए० ई०, सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और समितियों द्वारा 1972-73 में उन परियोजनाओं, जिनका इस प्राथमिकता क्षेत्र में काफी प्रभाव पड़ेगा, उनको पूरा करने के लिए पुरजोर प्रयत्न किए जा रहे हैं। अनुसंधान तथा विकास क्षमताओं के अधिक बेहतरीन उपयोग के लिए तथा प्रगति की गति को बढ़ाने के लिए बहुत से ढांचे संबंधी परिवर्तनों का कार्य भी सम्मिलित किया गया है।

41. राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति की स्थापना का किया जाना हमारी विज्ञान नीति में नया संगठनात्मक परिवर्तन है जिससे हमारी अनुसंधान प्राथमिकताओं की रूपरेखा बनाने में मदद मिल सकती है तथा देश में विद्यमान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान अभिकरणों में बेहतर समन्वय किया जा सकता है। हमारी सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं के पूरक के रूप में एक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना तैयार करने का काम समिति को सौंपा गया है। ऐसी योजना को तैयार करने का कार्य पहले से ही प्रारम्भ किया जा चुका है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एन०सी०एस०टी० के तत्वावधान में विशेषज्ञ दलों की स्थापना की जाय जो कि खनिज, ईंधन, रसायनों, भारी अभियांत्रिकी, उपस्करों, मशीनी औजारों तथा कृषि उपकरणों, अलौह धातुओं तथा विशेष एलाय, वैमानिकी, प्रतिरक्षा एवं अंतरिक्ष तथा कृषि, विशेषरूप से कपास तथा खाद्य के मामलों की देखभाल करेगा। ऐसा अनुभव किया जाता है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम अधिक आत्मनिर्भर बन सकें, इस उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के विकास तथा उत्पादन को बढ़ाने में अनुसंधान और विकास के अधिक जोरदार तथा उद्देश्यपूर्ण प्रयत्नों से अधिक सफलता मिलेगी।

42. इन विभागों के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विशेषतायें निम्नलिखित हैं :

अणु ऊर्जा विभाग

43. चिकित्सा सामग्री के लिए विशेष किरणीयन सुविधाओं, आलू/प्याज किरणीयनों तथा औद्योगिक किरणीयनों के लिए मार्गदर्शी संयंत्रों को आरम्भ किया जायेगा। विकीरण औषधी केन्द्र पर तथा रेडियो औषधी-भेषजीय उत्पादन सुविधाओं पर वर्ष के दौरान कार्य आरम्भ होने की आशा है। ऐसा विचार है कि उपयुक्त संगणन सुविधाओं से युक्त नया थर्मल अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाय जिससे कि थर्मल रिएक्टरों पर अनुसंधान तथा विकास कार्य में सहायता प्रदान की जा सके। तीव्र प्रजनक थर्मल रिएक्टरों से संबंधित प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कल्पाकम में रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

44. अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र का दूसरी चरण 1974 तक उपग्रह छोड़ने की स्वदेशी क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया जायेगा। इन क्रियाकलापों को सहायता देने के लिए थम्बा में बने प्रणोदक संयंत्र का विस्तार किया जायेगा। राकेट निर्माण सुविधा कार्यक्रम के दूसरे चरण से 400 मि० मी० व्यास से अधिक वाले राकेटों के निर्माण को शुरू करने के लिए सुविधाएं बढ़ाने में सहायता मिलेगी। श्रीहरिकोट रेंज कार्यक्रम के दूसरे चरण में भूमि सहायता सुविधाओं का कार्य जिनमें कि पथन तथा परीक्षण सुविधाएं भी हैं, प्रारम्भ किया जायेगा। श्रीहरिकोट रेंज कार्यक्रम के दूसरे चरण में, तलाधार (ग्राउण्ड स्पोर्ट) सुविधाओं तथा पथ (ट्रेक) और परिक्षण सुविधाओं के कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा। श्रीहरिकोट रेंज में स्थैतिक परीक्षण (स्टैटिक टैस्ट) की सुविधाओं का कार्य तथा राकेट मार्टरों के साइमुलेटिड हाई आल्टीच्यूड टैस्ट को सुविधाओं और पाइरों तकनीकियों संबंधित सुविधाओं के कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा। बड़े आकार के प्रणोदक के लिए स्पेस बूस्टर प्लांट हेतु ठोस प्रणोदक तथा संबंधित व्यवस्थाओं को प्रारम्भ किया जायेगा।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

45. वै० एवं औ० अ० परिषद् के अन्तर्गत कार्य कर रही राष्ट्रीय प्रयोगशालायें, निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं के संबंध में अपने क्रियाकलापों को तेज कर रही है :

(1) खाद्य तथा पशु-उत्पादों के सम्बन्ध में कृषि संक्रियाओं तथा क्रियाओं के लिए प्रक्रियाओं का विकास : योजना में सम्मिलित किए गए कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—(क) देशी संसाधनों, जैसे फास्फेट मिट्टी,

पोटाशियम लवण तथा कोयले,सेउर्वरकों का उत्पादन; (ख) कीट-पतंगों पर नियंत्रण रखने के लिए कीटनाशक दवाएं तथा रसायन पदार्थ ; (ग) अनाजों के संग्रह के लिए कोठारों तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए प्रशीतक परिवहन की व्यवस्था; (घ) प्रोटीन संसाधनों के पूरक के रूप में तिलहन तथा प्रोटीन युक्त खाद्यों का विकास; (ङ) कृषि छीजन का उपयोग ; और च) खाल तथा चमड़े और चमड़े की बनी वस्तुओं का विकास।

(2) खनिज और उद्योग : इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नलिखित के संबंध में हैं :—(क) लोहे तथा इस्पात उद्योग के लिए घटिया किस्म की कच्ची धातुओं का परिष्करण और संचयन करना, (ख) लेटराइट खनिज धातुओं से दुर्लभ धातुओं को जैसे निकिल को निकालना, (ग) कोयले से तेल तथा रसायनों का उत्पादन, (घ) खनिज तथा भूमिगत जल को निकालने के लिए तकनीकी तथा भू-भौतिकी सुविधाओं का विकास, (ङ) इलैक्ट्रोनिक सामान, कल-पुर्जे और यंत्र का उत्पादन (च) रंगों, दवाओं, लेगनों, पोलीमरों, बैरोजा आदि के लिए कार्बनिक मध्यस्थ।

(3) आवास, परिवहन, औषधि तथा स्वास्थ्य : योजना में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है :— (क) कम लागत की ईंटों और इमारती चिकनी मिट्टी के उत्पादों का विकास; (ख) कम लागत की सहायशी और शिक्षण भवनों के डिजाइन तैयार करना; (ग) कम लागत की सड़कों और पटरियों का निर्माण करना; (घ) औषधीय पौधों से क्रियाशील तत्वों को निकालना; (ङ) जल, मल तथा औद्योगिक आदि के फालतू पदार्थों का शोधन।

वैज्ञानिक सर्वेक्षण

46. भारतीय सर्वेक्षण संस्था के लिए वार्षिक योजना में की गई व्यवस्था हैदराबाद तथा भारतीय फोटो व्याख्या संस्थान, देहरादून में सर्वेक्षण प्रशिक्षण तथा मानचित्र निर्माण की योजनाओं को पूरा करने पर विचार किया गया है। मानचित्र कला की विधियों का आधुनिकीकरण, सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा खनिज उत्खनन के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था अपनी विभिन्न इकाइयों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक क्षेत्रीय परिसर तथा जोधपुर में एक शुष्क क्षेत्र परिसर स्थापित करेगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था का मद्रास में समुद्री जैविक केन्द्र स्थापित करने तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक खोज अभियान प्रारम्भ करने का विचार है। राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन में

एक फोटो व्याख्या एकक स्थापित करके इसे और सुदृढ़ किया जायेगा तथा इसमें पर्यटक मानचित्रावली तथा मानचित्रावली तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। मानव-शास्त्रीय सर्वेक्षण संस्था उत्तर-पश्चिमी केन्द्र, मानव संग्रहालय, क्षेत्रीय संग्रहालय तथा प्रादेशिक केन्द्रों को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित योजनाओं को आरम्भ करेगी।

47. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम देशी जानकारी पर आधारित प्रौद्योगिक विकास योजनाओं से सम्बन्धित पायलट संयंत्रों की स्थापना में सम्बन्धित अपना कार्य तीव्र गति से करेगी।

शिक्षा

48. 1972-73 की वार्षिक योजना में शिक्षा के लिए 225 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जो 1971-72 के परिव्यय से काफी अधिक है। 1971-72 में इसके लिए 157 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी।

प्रारम्भिक शिक्षा

(2) चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा पर योजना गत व्यय में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की 1972-73 की वार्षिक योजनाओं में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल 56.7 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जब कि 1971-72 में 44 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 1972-73 के लिए केन्द्रीय योजना में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी। यह 1972-73 की वार्षिक योजना में प्रारंभिक शिक्षा को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता की द्योतक है। इस तथ्य का भी उल्लेख किया जा सकता है कि 1972-73 के लिए बिहार, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर-प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए पूर्व वर्ष की तुलना में काफी अधिक योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

वैज्ञानिक शिक्षा

(3) 1970-71 में प्रारंभिक स्तर पर वैज्ञानिक शिक्षा के सुधार से संबंधित यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित परियोजना प्रायोगिक आधार पर प्रत्येक राज्य के 30 से 50 स्कूलों में प्रारम्भ की गई। सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के लिए चुनी हुई प्रशिक्षण संस्थाओं को उपस्कर मुहैया किए गए। योजना के अन्तिम दो वर्षों में इस कार्यक्रम को और विस्तृत किया जायेगा, लगभग 500 प्रशिक्षण संस्थाओं को समुचित

रूप से पुसज्जित किया जायेगा तथा संशोधित पाठ्यचर्याओं के अनुसार 24,000 प्राथमिक स्कूल और 31,000 माध्यमिक स्कूल विज्ञान की शिक्षा देंगे।

कार्य, अनुभव तथा व्यावसायिकीकरण

(4) कार्य अनुभव तथा व्यावसायिकीकरण संबंधी प्रायोगिक परियोजनाओं में बल जिला स्तर पर शिक्षा के ढांचे को समग्र आर्थिक-सामाजिक विकास से सम्बद्ध करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने पर दिया जायेगा जिसमें रोजगार उत्पादकता और सामाजिक न्याय का विशेष ध्यान रखा जायेगा। व्यावसायिक तथा शैक्षणिक सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं। अगले वर्ष ये कार्यक्रम 17 जिलों में प्रारम्भ किए जाएंगे।

प्रौढ़ शिक्षा

(5) प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रायोगिक परियोजनाओं का लक्ष्य प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करना है। अगले वर्ष उपर्युक्त जिन 17 जिलों में प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारम्भ होनी हैं उनमें से प्रत्येक के एक खण्ड को इनमें शामिल करने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालय शिक्षा

(6) 1972-73 में विश्वविद्यालय संस्थाओं में कला, विज्ञान और वाणिज्य पाठ्यक्रमों में लगभग 3 लाख विद्यार्थी और बढ़ाये जायेंगे। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित एक उपक्रम के रूप में एक स्नातकोत्तर केन्द्र की स्थापना का प्रारंभिक कार्य शुरू किया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान के विस्तार और सुधार, उच्च अध्ययन केन्द्रों के विकास, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुविधाओं के विस्तार तथा स्टाफ और विद्यार्थियों के कल्याण संबंधी कार्यकलापों के लिए सहायता देता रहेगा। इतिहास में सोद्देश्य तथा वैज्ञानिक लेखन के प्रोत्साहन और विकास के लिए एक इतिहास अनुसंधान परिषद् की स्थापना की जायेगी।

तकनीकी शिक्षा

(7) तकनीकी शिक्षा में मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा के समेकन तथा सुधार पर जोर दिया जायेगा। इस प्रकार डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के पुनिर्धारण, शिक्षकों के अल्पावधि तथा दीर्घावधि प्रशिक्षण देना भी शामिल है; उद्योगों के सहयोग से सहकारी तथा मिश्रित पाठ्यक्रमों के प्रवर्तन तथा उद्योगों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए अल्पावधि पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया जाता रहेगा। अभियांत्रिकी की और प्रौद्योगिकी में आचार्य तथा आचार्योत्तर शिक्षावृत्ति के लिए एक स्कीम शुरू की

जायेगी। उच्च स्तरीय प्रबन्ध कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए बैंगलौर में एक प्रबन्ध संस्थान की स्थापना की जायेगी।

स्वास्थ्य

49. 1972-73 की वार्षिक योजना की मुख्य विशेषता यह है कि यह केन्द्र तथा राज्य, दोनों द्वारा समर्थित उन योजनाओं को गति प्रदान करती हैं जो बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए हैं, जैसे कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा योजना और चेचक उन्मूलन कार्यक्रम। क्योंकि ये योजनाएं कर्मचारी प्रधान हैं अतः ये ज्यादा लोगों को रोजगार देने से समर्थ हैं। कितने ही राज्यों में प्रशिक्षित बेरोजगार नर्सें हैं। इसके साथ ही साथ अस्पतालों में नर्सों और मरीजों का अनुपात बहुत ही असंतोषजनक है। इस कारण राज्य सरकारों से नर्सों के अतिरिक्त पदों को बनाने के लिए अनुरोध किया गया है। 1972-73 के दौरान शहरों में मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम देश के कुछ मुख्य नगरों में लागू किया जायेगा। 1972-73 के दौरान टीकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जमा कर सुखाए गए टीके बनाने वाले वर्तमान चार संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ाया जायेगा।

50. स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पाये जाने वाले असंतुलन को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही स्वास्थ्य सेवा को संगठित आकार देते हैं, अतः राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वह शीघ्र ही भवन निर्माण के लिए प्रभावशाली संगठन की व्यवस्था करें तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुधार आवश्यक कर्मचारियों, दवाओं और उपकरणों की व्यवस्था करके करें। 1972-73 की वार्षिक योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को और विस्तृत तथा सुगठित किया जायेगा। पिछड़े तथा प्रतिकूल परिस्थिति वाले क्षेत्रों में अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से उन स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है जो ग्रामों में अथवा ग्रामों के लिए नए अस्पताल स्थापित करें। इन अस्पतालों पर होने वाला खर्च केन्द्र, राज्य तथा स्वयंसेवी संगठन द्वारा बराबर बराबर उठाया जायेगा।

परिवार नियोजन

51. पूर्वगामी वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में आई कमी और अवरोध को दूर करने के लिए 1972-73 में विशेष तथा संगठित प्रयास किये जायेंगे। आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा चिकित्सा, पार्श्व चिकित्सा और कर्मचारियों में पर्याप्त गतिशीलता का अभाव और प्रशिक्षण सुविधाओं का कम उपयोग करने के कारण पिछले वर्षों में कार्य की निष्पत्ति असंतोषजनक रही। 1972-73 में इन कमियों को दूर करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

52. 1972-73 में नीति संबंधी मुख्य बातें निम्नलिखित होंगी :—

(1) गांवों में मुख्य केन्द्रों तथा सह-केन्द्रों के परिवार नियोजन कर्मचारियों के कार्य के लिए तथा रहने के लिए भवनों का निर्माण।

(2) ग्रामीण केन्द्रों पर सहायक डाक्टर तथा पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति।

(3) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कम से कम एक गाड़ी की व्यवस्था तथा गाड़ियों की देखभाल के लिए राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन को सुदृढ़ करना।

(4) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा प्रशिक्षण सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना।

53. इस कार्यक्रम के पोषणात्मक पक्ष पर भी जोर दिया जा रहा है। अनुवर्ती कार्यवाही को आवश्यक महत्व दिया जायेगा तथा लूप लगाने के कार्यक्रम में सुधार करने के लिए मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य पूरक कार्यक्रम का उपयोगी रीति में प्रयोग किया जायेगा। 1972-73 के महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(1) 9 लाख लूप लगाना

(2) 20 लाख नसबंदी आपरेशन

(3) 42 लाख व्यक्तियों को निरोध देना।

54. पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए 1972-73 की वार्षिक योजना में पर्याप्त वृद्धि करके इसे 42.14 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1971-72 में यह रकम केवल 30.22 करोड़ रुपये थी।

पिछड़ी जातियों का कल्याण

55. जन जातियों के विकास के लिए जो मुख्य कार्यक्रम है उसका नाम जनजाति विकास खण्ड कार्यक्रम है। 1972-73 के अन्त तक 484 खण्डों में से 4 खण्ड प्रथम चरण में, 370 द्वितीय चरण में तथा 110 तृतीय चरण में होंगे। जैसा कि ग्रामीण विकास और नियोजन के अध्याय में बताया गया हैं, जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए 6 मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत काफी जनजाति विकास खण्ड आ जाते हैं। जनजातियों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में यह एक

महत्वपूर्ण प्रगति है। यह कार्यक्रम अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए अग्रदूत का कार्य करेगा।

56. विशेष निगमों की स्थापना द्वारा विभिन्न राज्य सरकारें हरिजनों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। कृषि संबंधी कार्यों के लिए पंजाब तथा हरियाणा में निगमों की स्थापना की जा चुकी है और केरल में एक ऐसा ही निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन निगमों की स्थापना की आवश्यकता इसलिए हुई कि इन वर्गों ने जो सहकारी संस्थाएं बनाई थीं वे ऋण देने वाले संस्थानों से उपयुक्त जमानत के अभाव में ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रहीं। मैसूर तथा महाराष्ट्र में हरिजनों के लिए आवास निगम की स्थापना कर दी गई है। ये निगम ऋण देने वाले संस्थानों से ऋण प्राप्त करेगा तथा अनुसूचित जातियों को कृषि तथा मकान बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण देंगे।

57. अनुसूचित तथा जन जातियों के शैक्षिक विकास का मुख्य कार्यक्रम मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का कार्यक्रम है। इस छात्रवृत्ति में रहने (देख-भाल) का खर्च, अनिवार्य रूप से वापस न की जाने वाली फीस तथा व्यावसायिक पाठ्य-क्रमों के संबंध में अध्ययन दौरों का खर्च शामिल है। 1971-72 से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उन मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिन्होंने अपनी अन्तिम विश्वविद्यालय परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। यह कार्यक्रम इस सुधार के साथ 1972-73 में भी चालू रहेगा।

समाज कल्याण

58. समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए 1972-73 की वार्षिक योजना में 28.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

59. परिवार तथा बाल कल्याण योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों तथा बच्चों के कल्याण के लिए एक सम्पूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कार्य कर रही है, चालू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को लाभकारी सेवा, स्त्रियों को गृह कलाओं में बुनियादी प्रशिक्षण, मातृ-कला, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषाहार और बाल सुरक्षा है। 1972-73 में इस योजना को चालू रखने के लिए 172 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 1971-72 में केवल 140 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

60. स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से अनाथों को संस्थागत सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस योजना का अभी और विकास किया जायेगा। स्वयंसेवी संगठन, जिनको इस योजना का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस योजना पर होने वाले अवर्ती तथा अनावर्ती व्यय का 10 प्रतिशत स्वयं उठायेंगी। 1972-73 के दौरान निराश्रित स्त्रियों के लिए ऐसी ही एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

61. स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या का सामना करने के लिए दो मुख्य कार्यक्रम, अर्थात् बालवाड़ियों के माध्यम से स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को पोषक भोजन देना और 6 वर्षों तक की आयु के बच्चों तथा गन्दी बस्तियों तथा जनजाति क्षेत्रों में रहने वाली संभावित तथा धाय-माताओं को विशेष पोषाहार देने का कार्यक्रम, क्रियान्वित किये जा रहे हैं। विशेष पोषाहार कार्यक्रम 1970-71 में एक योजना मिश्र कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था तथा लगभग 6.5 लाख बच्चों पर लागू किया गया था। इस योजना पर 1970-71 के दौरान 11.48 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इन कार्यक्रमों के विषय में पोषाहार कार्यक्रम के अध्याय में विस्तार से बताया गया है।

62. विकलांगों के कल्याण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 47 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। मुख्य योजनाएं अंधों, बहरों, मंद बुद्धि बालकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय केन्द्रों के विकास और स्थापना से संबंधित हैं। यह शिक्षा, रोजगार, अनुसंधान अध्ययन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता के कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं। वर्तमान योजनाओं के गुणों में विकास करने पर जोर दिया जायेगा। विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने से संबंधित कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

अनुबन्ध 1

1972–73 के लिए योजना परिव्यय के राज्य

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	विकास की मद	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरि-याणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	केरल	मध्य प्रदेश	महा-राष्ट्र	मनिपुर
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि तथा सम्बद्ध मंत्रालय .	1700	873	1960	1730	1460	741	624	1283	2834	5011	109
2	सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण .	2000	691	2509	2463	1616	6	242	620	2420	3318	48
3	बिजली . . .	4190	690	2450	2846	2185	489	934	2130	2192	4505	82
4	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग .	152	130	161	73	104	60	90	208	176	295	33
5	उद्योग तथा खनिज . .	262	230	251	342	73	86	125	251	216	587	12
6	परिवहन तथा संचार . .	419	484	849	793	1476	688	640	380	837	1420	226
7	शिक्षा . . .	459	441	803	796	498	221	241	376	716	2054	97
8	स्वास्थ्य . . .	150	149	240	175	306	95	105	211	300	172	44
9	जल संभरण तथा सफाई .	669	116	416	474	290	100	246	675	594	1858	25
10	आवास, शहरी तथा क्षेत्रीय विकास	224	60	156	210	61	104	85	169	300	451	15
11	पिछड़े वर्गों का कल्याण .	235	107	141	200	76	29	15	46	418	311	36
12	समाज कल्याण . .	9	11	3	10	10	8	6	7	21	14	1
13	श्रमिक कल्याण तथा दस्तकार प्रशिक्षण	11	17	43	36	19	14	14	20	32	48	1
14	अन्य कार्यक्रम . .	20	56	18	452	26	16	233	24	222	515	21
15	जोड़ . . .	10500	4025	10000	10600	8200	2657	3600	6400	10900	20559	750

अनुबन्ध 1 (जारी)

क्रम संख्या	विकास की मद	मेघालय	मैसूर	नागालैण्ड	उड़ीसा	पंजाब	राज-स्थान	तमिल नाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	जोड़
0	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रम	218	1887	172	1313	1453	762	2325	206	4646	1344	32651
2	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	5	1341	—	770	909	1758	814	12	3328	848	25340
3	बिजली	42	1775	51	1787	4348	1740	3266	195	7892	1870	45659
4	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	30	177	15	81	77	15	500	22	350	147	2896
5	उद्योग तथा खनिज	30	231	83	124	204	147	380	3	386	360	4383
6	परिवहन तथा संचार	278	327	298	379	506	190	573	124	1559	336	12782
7	शिक्षा	81	426	109	488	392	602	1233	106	1527	802	12438
8	स्वास्थ्य	30	180	41	195	165	181	350	25	856	330	4300
9	जल संभरण तथा सफाई	40	500	73	214	220	812	949	19	400	177	8867
10	आवास, शहरी तथा क्षेत्रीय विकास	13	155	42	205	107	152	688	17	323	1027	4565
11	पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	140	—	121	50	70	447	45	205	40	2732
12	समाज कल्याण	3	17	3	4	10	11	27	3	22	18	217
13	श्रमिक कल्याण तथा दस्तकार प्रशिक्षण	—	44	—	24	34	17	27	2	54	42	499
14	अन्य कार्यक्रम	55	30	13	37	25	43	56	21	952	11	2846
15	जोड़	825	7230	900	5742	8500	6500	11635	800	22500	7852	160175

अनुबन्ध 2

1972-73 के लिए योजना परिव्यय—संघ शासित क्षेत्र

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	विकास की मद	अंडमान तथा निकोबार	चंडीगढ़	दादरा तथा नगर हवेली	दिल्ली	गोआ दमन तथा दीव	लकादीव मिनिकोय तथा अमिन-दीवी द्वीपसमूह	मिजोराम	नेफा	पांडिचेरी	जोड़
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रम .	36.10	9.61	13.94	86.00	229.06	24.18	60.00	105.57	79.83	644.29
2	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण .	—	—	3.00	126.00	60.20	—	—	—	14.60	203.80
3	बिजली .	10.40	45.00	5.00	791.00	147.85	3.70	54.98	30.00	15.06	1102.99
4	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग .	1.18	10.00	2.05	112.00	14.15	2.27	5.28	8.20	9.97	165.10
5	उद्योग तथा खनिज	—	—	1.03	45.00	6.28	—	—	0.53	2.00	54.84
6	परिवहन तथा संचार	167.68	2.50	12.00	304.00	95.68	1.00	94.25	98.15	28.82	804.08
7	शिक्षा .	26.09	23.50	6.00	799.00	91.87	6.67	23.03	45.05	60.27	1081.48
8	स्वास्थ्य .	4.47	15.94	1.49	262.00	64.00	3.79	10.47	27.67	15.53	405.36

9 जल संभरण तथा सफाई .	44.00	2.50	1.50	1002.00	114.16	—	21.37	11.00	31.00	1227.53
10 आवास, शहरी तथा क्षेत्रीय विकास .	3.50	—	1.86	456.00	16.00	0.07	1.00	—	24.86	503.29
11 पिछड़े वर्गों का कल्याण .	1.48	—	—	29.00	6.00	0.25	—	—	8.96	45.69
12 समाज कल्याण .	0.21	—	0.50	32.00	0.88	—	0.31	—	5.52	39.42
13 श्रमिक कल्याण तथा दस्तकार प्रशिक्षण	0.42	4.04	—	35.00	8.04	—	2.06	7.00	2.10	58.66
14 अन्य कार्यक्रम .	4.47	40.20	0.63	21.00	13.83	3.07	2.25	26.83	1.48	113.76
15 जोड़ .	300.00	153.29	49.00	4100.00	868.00	45.00	275.00	360.00	300.00	6450.29

अनुबन्ध 3

फसल उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य (1972-73)

(दस लाख गांठें)

क्रम सं०	राज्य का नाम	(दस लाख मीट्रिक टन) खाद्यान्न	तिलहन	चीनी (गुड़)	(दस लाख गांठें) कपास	पटसन
0	1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	9.00	1.38	1.16	0.22	—
2	असम	2.38	0.06	0.14	—	1.21
3	बिहार	10.20	0.14	0.70	—	1.00
4	गुजरात	4.00	1.75	0.25	1.84	—
5	हरियाणा	4.97	0.12	0.78	0.40	—
6	हिमाचल प्रदेश	1.20	—	—	—	—
7	जम्मू व कश्मीर	1.05	—	—	—	—
8	केरल	1.60	0.03	0.06	0.01	—
9	मनिपुर	0.26	—	—	—	—
10	मेघालय	0.17	0.003	—	0.004	0.05
11	मध्य प्रदेश	11.90	0.65	0.20	0.56	—
12	महाराष्ट्र	8.00	0.80	1.70	1.50	—
13	मैसूर	6.20	0.80	0.80	0.60	—
14	नागालैण्ड	0.08	—	0.04	—	—
15	उड़ीसा	6.50	0.27	0.28	—	0.42
16	पंजाब	7.80	0.37	0.60	0.96	—
17	राजस्थान	7.50	0.30	0.10	0.35	—
18	तमिलनाडु	7.50	1.28	1.04	0.53	—
19	त्रिपुरा	0.26	0.004	0.01	0.003	0.07
20	उत्तर प्रदेश	20.10	1.86	6.00	0.06	0.22
21	पश्चिमी बंगाल	8.50	0.09	0.16	—	3.80

अनुबन्ध 4

सिंचाई तथा भूमि संरक्षण के राज्यवार लक्ष्य (1972-73)

(यूनिट : अतिरिक्त क्षेत्र हजार हैक्टेयरों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई		छोटी सिंचाई	कृषि भूमि में भूमि संरक्षण
		अतिरिक्त क्षमता	अतिरिक्त उपयोग		
0	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	55.00	36.00	85.00	44.52
2	असम	21.00	14.00	56.23	6.00
3	बिहार	243.00	258.00	169.00	14.00
4	गुजरात	111.00	55.00	127.00	78.00
5	हरियाणा	41.00	28.00	30.00	17.00
6	हिमाचल प्रदेश	—	—	2.60	2.10
7	जम्मू व कश्मीर	2.00	2.00	18.00	2.00
8	केरल	26.00	26.00	8.00	2.50
9	मनिपुर	—	—	4.50	1.00
10	मेघालय	—	—	3.00	1.10
11	मध्य प्रदेश	29.00	48.00	116.00	220.00
12	महाराष्ट्र	18.00	5.00	130.00	425.00
13	मैसूर	51.00	66.00	52.00	87.00
14	नागालैण्ड	—	—	2.00	1.20
15	उड़ीसा	83.00	76.00	27.00	9.00
16	पंजाब	9.00	10.00	125.00	14.00
17	राजस्थान	10.00	29.00	47.00	72.00
18	तमिलनाडु	32.00	19.00	95.00	41.70
19	त्रिपुरा	—	—	1.00	0.30
20	उत्तर प्रदेश	128.00	95.00	451.00	228.00
21	पश्चिमी बंगाल	70.00	9.00	50.00	6.00

अनुबन्ध-5

कृषि कार्यक्रमों के राज्यवार लक्ष्य (1972-73)

क्रम सं०	राज्य का नाम	अधिक उपज वाली किस्मों से संबंधित कार्यक्रम (हजार हैक्टेयर)	बहुफसली खेती	रासायनिक उर्वरकों की खपत (हजार मीट्रिक टन) एन	पी	के	पौध संरक्षण (हजार हैक्टेयर)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1580.00	225.00	260.00	100.00	25.00	8600
2	असम	299.75	40.00	7.50	3.50	2.00	151
3	बिहार	1677 00	202.00	160.00	65.00	30.00	3500
4	गुजरात	900.00	70.00	150.00	55 00	8.00	750
5	हरियाणा	1300.00	80.00	100.00	24.00	11.00	2900
6	हिमाचल प्रदेश	230.00	16.00	10.00	5.00	2.50	200
7	जम्मू व कश्मीर	274.00	20.00	5.50	1.50	0.80	200
8	केरल	475.00	10.00	45.00	30.00	30.00	1300
9	मनिपुर	15.20	—	1.00	0.20	0.10	48
10	मेघालय	13.00	0 07	2.00	2.00	0.30	30

11 मध्य प्रदेश	1182.00	140.00	100.00	50.00	13.00	3640
12 महाराष्ट्र	1882.00	60.00	150.00	75.00	50.00	7000
13 मैसूर	718.00	50.00	135.00	106.00	60.00	3000
14 नागालैण्ड	1.70	—	0 24	0.15	0 05	10
15 उड़ीसा	546.50	225.00	60.00	18.00	6.00	1200
16 पंजाब	2222.00	125.00	250 00	80.00	42 00	3400
17 राजस्थान	1234.00	30.00	60.00	23.00	7.00	4200
18 तमिलनाडु	2675.00	40.00	220.00	75.00	60.00	5500
19 त्रिपुरा	18.00	—	0.78	0.24	0.30	200
20 उत्तर प्रदेश	3492 00	354.00	430.00	150.00	40.00	8425
21 प० बंगाल	1600.00	200.00	90.00	35.00	30.00	1490

अध्याय 3

योजना की वित्तीय व्यवस्था

नीचे दी हुई सारणी-1 में 1972-73 के लिए केन्द्र तथा राज्यों में योजना की वित्तीय व्यवस्था दिखाई गई है। इसके साथ ही साथ 1971-72 की योजना के लिए प्रारूप में तैयार की गई स्कीमें भी बताई गयी हैं। 1969-70 तथा 1970-71 में योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी, के साथ ही साथ सारी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान साधनों के अनुमान और 1971-72 तथा 1972-73 के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था की स्कीमें अनुबन्ध-1 में दी गई हैं।

सारणी 1 : केन्द्र तथा राज्यों में योजना के साधनों के अनुमान

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	1971-72 वार्षिक योजना[1]			1972-73 वार्षिक योजना[2]		
	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़
0 1	2	3	4	5	6	7
1 **जीवन बीमा निगम से समझौते के अन्तर्गत प्राप्त ऋणों तथा सरकारी उद्यमों द्वारा बाजार से लिए गए उधार के अतिरिक्त आंतरिक बजट संबंधी संसाधन . .**	**1252**	**341**	**1593**	**1538**	**456**	**1994**
2 1968-69 के कराधान की दर पर वर्तमान राजस्व से अधिशेष . .	44	138[3]	182	215	166[3]	381
3 1968-69 में किराये, भाड़े और प्रशुल्क के अनुसार सरकारी उद्यमों का अंशदान						
4 रेलें . . .	−35	—	−35	−41	—	−41

1 जैसा कि 1971-72 की वार्षिक योजना तैयार करते समय रखा गया था।

2 केन्द्र के अनुमान बजट अनुमानों के द्योतक हैं और राज्यों के अनुमान अगस्त, 1971 तथा जनवरी, 1972 के दौरान उनके साथ हुए विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

3 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में केन्द्र द्वारा अपनाए गए अतिरिक्त कराधान में राज्यों का हिस्सा भी शामिल है।

सारणी 1 (जारी)

0	1	2	3	4	5	6	7
5	डाक और तार विभाग .	42	—	42	56	—	56
6	भारतीय डेरी निगम, कृषि अनुसंधान निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, दामोदर घाटी निगम और केन्द्रीय बिजली उत्पादक एकक .	55	—	55	76	—	76
7	अन्य . .	111	60	171	138	67	205
8	रिजर्व बैंक के अवधारित लाभ	50	10[4]	60	75	14[4]	89
9	केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बाजार से प्राप्त उधार (शुद्ध) . .	168	100	268	215	109	324
10	भारतीय खाद्य निगम तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिया गया उधार . .						
11	भारतीय खाद्य निगम .	19	—	19	95	—	95
12	वित्तीय संस्थाएं . .	39	—	39	37	—	37
13	लघु बचतें . .	64	116	180	80	150	230
14	वार्षिकी जमा, अनिवार्य जमा, इनामी बांड और स्वर्ण बांड	−17	—	−17	−16	—	−16
15	राज्य भविष्य निधियां .	89	62	151	99	68	167
16	विविध पूंजीगत प्राप्तियां (शुद्ध) . .	623	−145	478	509	−118	391
17	**अतिरिक्त संसाधन जुटाना .**	**544**	**181**	**725**	**930**	**305**	**1235**
18	केन्द्र द्वारा[5] .	544	—	544	930	—	930
19	1969-70 के उपाय .	150	—	150	160	—	160
20	1970-71 के उपाय .	197	—	197	210	—	210
21	1971-72 के उपाय .	197	—	197	410	—	410
22	1972-73 के उपाय .	—	—	—	150	—	150
23	**राज्यों द्वारा . .**	—	**181**	**181**	—	**305**	**305**

4 सहकारी समितियों के पूंजी शेयर में भागीदार बनने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया ऋण।

5. राज्यों के शेयर की शुद्ध रकम।

सारणी 1 (जारी)

0	1	2	3	4	5	6	7
24	1969-70 के उपाय .	—	94	94	—	101	101
25	1970-71 के उपाय .	—	58	58	—	52	52
26	1971-72 के उपाय .	—	29	29	—	64	64
27	1972-73 के उपाय .	—	—	—	—	88	88
28	**जीवन बीमा निगम से ऋण तथा राज्य उद्यमों द्वारा बाजार से लिया गया उधार (सकल) . .**	—	**146**	**146**	—	**189**	**189**
29	आवास तथा जलपूर्ति के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया ऋण . .	—	29	29	—	28	28
30	राज्य उद्यमों द्वारा बाजार से लिया गया ऋण . .	—	80	80	—	113	113
31	राज्य उद्यमों को जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण	—	37	37	—	48	48
32	**आंतरिक बजट संबंधी साधनों का जोड़ . .**	1796	668	2464	2468	950	3418
33	**विदेशी सहायता के अनुरूप बजट की प्राप्तियां (शुद्ध)**[6]	461	—	461	380	—	380
34	पी०एल० 480 के अतिरिक्त	349	—	349	384	—	384
35	पी० एल० 480 सहायता .	112	—	112	−4	—	−4
36	घाटे की वित्तीय व्यवस्था .	233	—	233	242	−67	175
37	एकीकृत साधन . .	2490	668	3158	3090	883	3973
38	राज्य योजनाओं के लिए सहायता . .	−720	720	—	−719	719[7]	—
39	योजना के लिए संसाधन .	1770	1388	3158	2371	1602	3973

6. केवल ऋणों की शुद्ध अदायगी के लिए वर्तमान राजस्व में से बकाया का हिसाब करते हुए ब्याज की अदायगी करने की अनुमति दे दी गई है।

7. इसमें मणिपुर तथा त्रिपुरा को दी जाने वाली सहायता शामिल है। ये क्षेत्र पहले संघ शासित क्षेत्र थे।

इससे यह ज्ञात होता है कि 1972-73 में सरकारी क्षेत्र की योजना में 1971-72 की वार्षिक योजना की अपेक्षा लगभग 815 करोड़ रुपये अधिक प्रावधान किया गया है। परन्तु 1972-73 की योजना में कुछ ऐसी योजनाएं शामिल हैं जो 1971-72 की योजना में शामिल नहीं की गई थीं, उदाहरणार्थ, ग्रामीण रोजगार के लिए तूफानी (क्रैश) कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित योजना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित योजना आदि। 1971-72 में इस प्रकार की योजनाओं पर 105 करोड़ रुपये व्यय किए गये। इस प्रकार तुलनात्मक आधार पर 1972-73 का योजना परिव्यय 1971-72 की अपेक्षा 710 करोड़ रुपये अधिक है।

2. 1972-73 में सरकारी क्षेत्र के बढ़े हुए योजना परिव्यय के लिए धन जुटाने के लिए आंतरिक बजट-सम्बन्धी स्त्रोतों पर अधिक भरोसा रखा गया है। इस प्रकार के स्त्रोतों से लगभग 3,418 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जो कि 1972-73 के योजना परिव्यय का 86 प्रतिशत है। इसके विपरीत 1971-72 की वार्षिक योजना के दौरान यह प्रतिशत 78 था। दूसरी ओर, विदेशी सहायता के अनुरूप बजट-संबंधी प्राप्तियों का अनुमान 380 करोड़ रुपये लगाया गया है जो कि 1972-73 के योजना परिव्यय का 10 प्रतिशत है जबकि 1971-72 में यह 15 प्रतिशत था। 1972-73 में घाटे की अर्थ-व्यवस्था 175 करोड़ रुपये होने की आशा है। यह योजना परिव्यय की 4 प्रतिशत से कुछ अधिक बैठती है, जबकि 1971-72 की वार्षिक योजना के योजना परिव्यय में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की दर 7 प्रतिशत थी।

3. अलग-अलग मदों के संबंध में वित्तीय व्यवस्था के अनुमानों पर संक्षिप्त टिप्पणियां नीचे दी जा रही हैं :—

वर्तमान राजस्व में से शेष

4. 1968-69 की कराधान दरों के अनुसार 1972-73 में योजना के लिए केन्द्रीय अंशदान वर्तमान केन्द्रीय राजस्व से लगभग 215 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि 1971-72 के मूल अनुमानों से 171 करोड़ रुपये ज्यादा है। अधिकांश वृद्धि (105 करोड़ रुपये) इस तथ्य के कारण भी हुई कि कुछ विकास योजनाएं, जैसे ग्रामों में रोजगार का तूफानी कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित योजना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित योजना, आदि जो 1972-73 की आयोजना में शामिल कर ली गई है जबकि 1971-72 की आयोजना में ये शामिल नहीं थी। गैर-योजना व्यय की वृद्धि के लिए गंजाइश रख कर जो वृद्धि होगी वह कर तथा गैर-कर राजस्व का प्रतिफल है।

5. 1968-69 की कराधान दर पर 1971-72 के जो मूल अनुमान थे उनकी तुलना में 1972-73 में केन्द्रीय राजस्व से अधिक प्राप्तियां होने का अनुमान है। इसका आंशिक कारण 1971-72 में मूल अनुमानों की अपेक्षा राजस्व में लोच लाने तथा करों को तेजी से इकट्ठा करना है[1]। बहरहाल राजस्व में जो वृद्धि हुई है, वह गैर-योजना की वृद्धि में खप जायेगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाने के कारण 1971-72 में रक्षा व्यय काफी ज्यादा बढ़ गया। 1972-73 में भी रक्षा व्यय का यही स्तर बनाया रखा गया है। 1971-72 के मूल अनुमानों की तुलना में 1972-73 के ऋण भुगतान में भारी वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त 1972-73 में सरकारी वितरण व्यवस्था को मुख्यतः देशी गेहूं पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इस गेहूं के वितरण के लिए भारी मात्रा में राज सहायता सम्मिलित है। इस कारण 1972-73 में खाद्यान्न पर इमदाद देने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 1971-72 के मूल अनुमानों में 30 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्न राज्य सहायता का भार प्रस्तावित स्तर से अधिक न हो समुचित उपाय करना आवश्यक होगा। अन्य आयोजना-भिन्न व्यय में सरकार द्वारा मितव्ययता के लिए अपनाये गये विभिन्न उपायों के कारण बहुत ही कम वृद्धि दिखाई देती है।

6. राज्यों में 1968-69 के राज्य करों की दरों के अनुसार 1972-73 में वर्तमान राजस्व से, लगभग 166 करोड़ रुपये शेष रहने की सम्भावना है। यह 1971-72 के मूल अनुमानों से 28 करोड़ रुपये अधिक है। राज्य सरकार की प्राप्तियों में केन्द्रीय करों में उनको मिलने वाले भाग के कारण तथा उनके अपने कर तथा कर-भिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व के कारण भारी वृद्धि होने की संभावना है। किन्तु इस वृद्धि का एक बड़ा भाग आयोजना-भिन्न व्यय के बढ़ जाने से उसमें खप जायेगा।

रेलों का अंशदान

7. 1968-69 के किराये तथा भाड़े की दरों पर रेलों द्वारा 1972-73 में आयोजना साधनों के लिए लगभग 41 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है। परन्तु रेलों ने अपने किरायों तथा भाड़ों में संशोधन करके अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किये हैं। इन संशोधनों से कुल 87 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इसे अतिरिक्त संसाधन जुटाने में शामिल किया गया है।

---

[1]पैरा 8 में बताई गयी रेलवे कन्वेंशन कमेटी की सिफारिशों के कारण रेलों द्वारा भुगतान किये जाने वाले लाभांश में कमी होने की सम्भावना है।

8. यह बात ध्यान देने योग्य है कि केन्द्र को देय लाभांश में कुछ छूट देने के के संबंध में रेलवे कन्वेशन कमेटी की सिफारिशों तथा रेलवे निधियों में शेष जमा धन पर देय ब्याज की दर के कारण, रेलों को 1972-73 में लगभग 22 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। अगर यह राहत न दी जाती तो 1968-69 के किराये तथा भाड़े की दरों के आधार पर 1972-73 के आयोजना साधनों से रेलों के अंशदान में 1971-72 के मूल अनुमानों की तुलना में 28 करोड़ रुपये की कमी हुई होती। 1968-69 के किरायों तथा भाड़े की दरों के अनुसार पिछले साल के स्तर की तुलना में 1972-73 में रेलों के राजस्व में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। यह वृद्धि यातायात की प्रत्याशित वृद्धि, संचालन व्यय में वृद्धि, 1-10-1971 से रेलवे कर्मचारियों को अतिरिक्त अंतरिम सहायता दिये जाने, कर्मचारियों के अन्य भत्तों में वृद्धि, वर्तमान प्रतिस्थापना व्यय में वृद्धि तथा केन्द्र को देय लाभांश से सम्बन्धित देनदारियों में सामान्य वृद्धि होने के कारण बराबर हो जाती है। केन्द्र को देय लाभांश में रेलवे कन्वेंशन कमेटी की सिफारिशों के कारण मिलने वाली राहत को हिसाब में नहीं लिया गया है।

डाक तथा तार विभाग का अंशदान

9. 1968-69 की डाक दरों के अनुसार 1972-73 में डाक तथा तार विभाग का अंशदान 56 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 1971-72 के मूल अनुमानों में 42 करोड़ रुपये अंशदान होने का अनुमान था। राजस्व वृद्धि अंशदान वृद्धि का मूल कारण है। सामान्य यह वृद्धि कार्य व्यय के बढ़ जाने, और 'अपने टेलीफोन के स्वामी बनो' योजना के अन्तर्गत अग्रिम किराये के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में कमी होने के कारण आंशिक रूप से नगण्य हो जायेगी।

भारतीय डेरी निगम, कृषि अनुसंधान निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, दामोदर घाटी निगम और केन्द्रीय विजली उत्पादक एककों का अंशदान

10. अनुमान है कि 1972-73 में इन उपक्रमों से 76 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। 1971-72 की वार्षिक योजना से इस वर्ष अधिक अंशदान मुख्यतः भारतीय डेरी निगम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साधनों में प्रत्याशित वृद्धि का होना है।

सरकारी उद्यमों का अंशदान

11. 1972-73 में केन्द्रीय सरकार के अन्य उद्यमों का अंशदान 138 करोड़ रुपये का होगा। 1971-72 में मूल अनुमान 111 करोड़ रुपये का था। इसमें सरकारी उद्यमों के उत्पादन में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि और विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप उनके कार्यचालन कुशलता बढ़ने को भी ध्यान में रखा गया है।

12. 1968-69 के बिजली के मूल्य और बसों के किराये की दरों के अनुसार, राज्य सरकारों के उद्यमों के अंशदान 1971-72 की अपेक्षा अधिक होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण बिजली का उत्पादन तथा बिक्री का बढ़ाना है, बिजली की दरों और बस किरायों में संशोधन के कारण जो आय बढ़ेगी उसे अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

रिजर्व बैंक के अवधारित लाभ

13. योजना में शामिल किये गये कृषि तथा औद्योगिक विकास के कार्यक्रम सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्था में रिजर्व बैंक द्वारा 1972-73 के दौरान अवधारित लाभ से 89 करोड़ रुपये का अंशदान किए जाने की सम्भावना है। इसमें से 14 करोड़ रुपया राज्य सरकारों की सहकारी समिति की शेयर पूंजी में भागीदार बनने के लिए दिया गया है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जनता से लिए गये ऋण

14. 1971-72 के मूल अनुमानों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बाजार से उधार लेने के लिए 268 करोड़ रुपये शामिल था। परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जमाओं में वृद्धि करने, जीवन बीमा निगम के विनियोज्य साधनों में तेजी से वृद्धि होने तथा कर्मचारी भविष्य निधि के कारण इस वर्ष बाजार में 394 करोड़ रुपये उधार लिए गये सरकारी तथा अर्ध-सरकारी ऋण-पत्रों के सम्बन्ध में बाजार की प्रत्याशित खपत को ध्यान में रखते हुए 1972-73 में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बाजार से 324 करोड़ रुपये उधार लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 215 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा तथा 109 करोड़ रुपये राज्यों द्वारा उधार लिए जायेंगे। परन्तु यहां पर यह बताना उचित होगा कि कुछ राज्यों के सम्बन्ध में, बाजार ऋण का राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत, बोर्डों के मध्य इस समय किया गया वितरण अस्थायी है तथा रिजर्व बैंक के परामर्श से इसमें हेरफेर किया जा सकता है।

खाद्य निगम तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिया जाने वाला ऋण

15. 1972-73 में खाद्यान्न का अतिरिक्त बफर स्टाक बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को बैंकों से 95 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होगा। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाजार से 37 करोड़ रुपये का ऋण लिए जाने की संभावना है।

लघु बचतें

16. 1971-72 में लघु बचतें उस लक्ष्य से अधिक होने की आशा है जो उसके लिए रखे गये थे। इसको ध्यान में रखते हुए 1972-73 में लघु बचतों में 230 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें से 150 करोड़ रुपये राज्यों के हिस्से में आयेंगे तथा शेष राशि केन्द्र को मिलेगी।

वार्षिकी जमा-योजना, अनिवार्य जमा, इनामी बांड और स्वर्ण बांड :

17. 1972-73 में इस मद में से 16 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी होने की सम्भावना है ।

राज्यों की भविष्य निधियां

18. सामान्य वृद्धि के लिए गुंजाइश रखते हुए 1972-73 में राज्य भविष्य निधियों में शुद्ध जमा की राशि 167 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। इसमें से 99 करोड़ रुपये केन्द्र में तथा 68 करोड़ रुपये राज्यों में जमा होंगे ।

विविध पूंजीगत प्राप्तियां

19. 1972-73 में शुद्ध विविध पूंजीगत प्राप्तियों के 391 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। 1971-72 की वार्षिक योजना में 478 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया था। यद्यपि 1971-72 के मूल अनुमानों की तुलना में पूंजीगत 1972-73 में राज्यों की विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत शुद्ध निकासी में कमी आने की सम्भावना है, फिर भी 1971-72 के मूल अनुमानों की तुलना में केन्द्र की शुद्ध प्राप्तियों में 114 करोड़ रुपये की कमी होने की सम्भावना है। यह कमी मुख्य रूप से बंगला देश के लिए की गई व्यवस्था तथा जमा योजनाओं और निधियों में कम धन प्राप्त होने के कारण हुई है ।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना

20. बंगला देश से आये शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के खर्चे की पूर्ति के लिए लगाये गये विशेष कर को छोड़कर, चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में केन्द्र द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जो प्रयत्न किए गए, उनसे राज्यों को 1971-72 के दौरान लगभग 780 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। इसमें से 410 करोड़ रुपये के लगभग 1971-72 में अपनाए गए उपायों से प्राप्त होने की संभावना है। यदि राज्यों के भाग और शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष करों को एक साथ लिया जाय तो 1971-72 में केन्द्र द्वारा अपनाए गए उपायों से 1972-73 में 500 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार किसी खास वर्ष में संसाधन जुटाने के लिए अपनाए गए इस प्रकार के उपाय बेमिसाल हैं।

21. अगर शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के लिए लगाए गए करों को अलग निकाल दिया, तो भी केन्द्र ने चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में संसाधन जुटाने के लिए जो प्रयत्न किए उनसे 2600 करोड़ रुपये (सारा राज्यों का भाग) प्राप्त होने की सम्भावना है, जबकि सारी पांच वर्ष की अवधि के लिए लघु योजना लक्ष्य 2100 करोड़ रुपये रखे गये थे। वह सब कुछ होते हुए भी, विकास की गति तेज करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र ने 1972-73 के बजट में नये कर लगाने की

घोषणा की जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है, 1972-73 में राज्यों को लगभग 150 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे :

सारणी 2 : केन्द्र द्वारा 1972-73 में अतिरिक्त संसाधन जुटाना

(करोड़ रुपये)

0	1	2
1	केन्द्रीय आबकारी शुल्क	144.7
2	सीमा शुल्क	22.0
3	आय कर	3.0
4	निगम कर	13.5
5	रेल किराया ढुलाई आदि के परिवर्तन	17.0[1]
	जोड़	200.2
6	घटाओ : राज्य का भाग	50.1
7	केन्द्र की शुद्ध प्राप्तियां	150.1

22. बंगला देश के शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के लिए जो विशेष कर लगाये गये उनकी प्राप्तियों को छोड़कर, चौथी योजना के तीन वर्षों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए राज्यों ने जो प्रयत्न किए हैं उनसे 1972-73 में 217 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। इसके अलावा वे वार्षिक योजना 1972-73 के लिए 88 करोड़ रुपये जुटाने के लिए नये कर लगाने पर सहमत हो गये हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों ने योजना के प्रथम तीन वर्षों में इतने कर लगा लिए थे कि उन्होंने न केवल उनके लिए योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं बल्कि कई एक मामलों में अधिक प्राप्ति भी कर ली है। वे अपने उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से नये कर लगाने के लिए सहमत हो गये हैं।

समझौते के अन्तर्गत लिए गये ऋण--राज्य उद्यमों द्वारा बाजार से लिया गया उधार

23. आवास तथा जलपूर्ति की स्कीमों के लिए 1972-73 में 28 करोड़ रुपये ऋण लिए जाने की संभावना है। यह राशि लगभग उतनी ही है जितनी कि 1971-72 में ली गई थी। परन्तु राज्य उद्यमों द्वारा बाजार तथा जीवन बीमा निगम से उधार ली जाने वाली राशि के लिए 1972-73 में जो व्यवस्था की गई है, वह 1971-72 से काफी ज्यादा हैं।

विदेशी सहायता के अनुरूप बजट से प्राप्तियां

24. विदेशी सहायता के अनुरूप बजट से होने वाली प्राप्तियों (बंगला देश से आये शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के लिए प्राप्त सहायता को छोड़कर) में 1971-72

[1]रेल किराया और ढुलाई भाड़े के परिवर्तन के कारण पूरे वर्ष में 17.7 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

के मूल अनुमानों की तुलना में 1972-73 में लगभग 81 करोड़ रुपये की कमी होने को सम्भावना है ।

घाटे की वित्त व्यवस्था

25. वार्षिक योजना 1971-72 में 233 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई थी। परन्तु वर्ष के दौरान सरकार को बंगला देश के शरणार्थियों के राहत कार्यों, रक्षा, बंगला देश को सहायता, प्राकृतिक प्रकोप आदि पर काफी ज्यादा अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा। इस अतिरिक्त खर्चे के अधिकांश भाग की पूर्ति शरणार्थियों की सहायता के लिए विशेष कर लगा कर, दिसम्बर, 1971 में नये कर लगा कर, व्यय में मितव्ययिता कर, अधिक मात्रा में बाजार से कर्जा लेकर और बजट संसाधनों से अधिक प्राप्तियों के लिए प्रयत्न की गई । फिर भी, केन्द्र द्वारा अधिक मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था करना आवश्यक हो गया और यह राशि 385 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा, कई राज्य बढ़े हुए योजना और गैर-योजना खर्चे की पूर्ति के लिए ओवर-ड्राफ्ट लेते रहे। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कुल घाटे की अर्थ-व्यवस्था 500 करोड़ रुपये से अधिक होने को सम्भावना है।

26. जिन राज्यों ने रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफ्ट लिया हुआ था उनसे विचार-विमर्श किया गया। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, राज्य खर्चे में कमी करने और अन्य उपाय अपनाने के लिए सहमत हो गये ताकि 1971-72 में लिए गये ओवर-ड्राफ्टों में कमी की जा सके। तद्नुसार जैसा कि केन्द्रीय सरकार से चर्चा कर निश्चित किया गया था, 1971-72 के अन्त में जो बकाया ओवर-ड्राफ्ट थे, महाराष्ट्र को छोड़ अन्य सभी राज्य उनका 15 प्रतिशत 1972-73 में देंगे, जबकि महाराष्ट्र अपने ओवर-ड्राफ्ट की आंशिक पूर्ति 1972-73 में कर देगा और बकाया 1973-74 में दे देगा। ओवर-ड्राफ्टों के निराकरण के लिए 1972-73 में एक विशेष स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1972-73 में राज्यों द्वारा लगभग 67 करोड़ रुपये के ओवर-ड्राफ्टों की अदायगी की जाने की सम्भावना है।

27. केन्द्र द्वारा 1972-73 में 242 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ-व्यवस्था की जायेगी। परन्तु 1971-72 में बकाया ओवर-ड्राफ्टों की अदायगी में कतिपय राज्यों को जो 67 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, इसको ध्यान में रखते हुए 1972-73 में 175 करोड़ रुपये की शुद्ध घाटे की अर्थ-व्यवस्था होने का अनुमान है। पिछले दो वर्षों में जितनी घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी पड़ी है, उससे यह रकम बहुत कम है।

राज्य योजनाओं के लिए सहायता

28. वर्ष 1972-73 में राज्य योजनाओं के लिए लगभग 719 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई ।

अनुबन्ध 1

केन्द्र तथा राज्यों में योजना के साधनों के अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	मद	चौथी योजना के अनुमान (मूल)			चौथी योजना के अनुमान (जैसे कि मध्यावधि मूल्यांकन पत्र में बताए गये हैं)			1969-70[1] के वास्तविक अनुमान		
		केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**जीवन बीमा निगम से समझौते के अन्तर्गत प्राप्त ऋणों तथा सरकारी उद्यमों द्वारा बाजार से लिए गए उधार के अतिरिक्त बजट संबंधी संसाधन**	**7232**	**1502**	**8734**	**5858**	**1823**	**7681**	**907**	**343**	**1250**
2	1968-69 के कराधान की दर पर वर्तमान राजस्व से अधिशेष	1625	48	1673	696	106	802	258	−100	158
3	1968-69 में किराये, भाड़े और प्रशुल्क के अनुसार सरकारी उद्यमों का अंशदान									
4	रेलें	265	—	265	−118	—	−118	27	—	27

5 डाक व तार विभाग . . .	225	—	225	236	—	236	40	—	40
6 भारतीय डेरी निगम, कृषि अनुसंधान निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, दामोदर घाटी निगम तथा केन्द्रीय बिजली उत्पादक एकक . .	259	—	259	219	—	219	17	—	17
7 अन्य	785	495	1280	500	334	834	75	94	169
8 रिजर्व बैंक के अवधारित लाभ . . .	165	37[1]	202	220	49[1]	269	2	6[1]	8
9 केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिया गया उधार (शुद्ध)	900	515	1415	1000	575	1575	128	83	211
10 भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिया गया उधार—									
11 भारतीय खाद्य निगम	155	—	155	155	—	155	—	—	—
12 अन्य वित्तीय संस्थाएं	250	—	250	250	—	250	22	75	22
13 लघु बचतें	274	495	769	363	637	1000	54	75	129
14 वार्षिकी जमा, अनिवार्य जमा इनामी बांड और स्वर्ण बांड	−104	—	−104	−98	—	−98	−34	—	−34
15 राज्य भविष्य निधियां	343	317	660	439	343	78	80	76	156
16 विविध पूंजीगत प्राप्तियां (शुद्ध) . .	2090	−405	1685	1996	−221	1775	238	109	347
17 अतिरिक्त साधन जुटाना . . .	2100	1098	3198	2630	1098	3728	139	52	191
18 केन्द्र द्वारा[2]	2100	—	2100	2630	—	2630	139	—	139

[1] जैसाकि चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दिया गया है। जैसाकि अध्याय 2 में बताया गया कि अब 1970-71 में वास्तविक योजना परिव्यय 2642 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है जबकि मध्यावधि मूल्यांकन के दस्तावेजों में उसे 2793 करोड़ रुपये बताया गया है।

[2] जैसाकि 1971-72 की वार्षिक योजना को तैयार करते समय किया गया था।

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	1969-70 के उपाय . . .	725	—	725	760	—	760	129	—	129
20	1970-71 के उपाय . . .				800	—	800	10	—	10
21	1971-72 के उपाय . . .						770	—	—	—
22	1972-73 के उपाय . . .	1375	—	1375	770	—	300	—	—	—
23	1973-74 के उपाय . . .				300	—				
24	राज्यों द्वारा	—	1098	1098	—	1098	1098	—	52	52
25	1969-70 के उपाय . . .	—	414	414	—	450	450	—	52	52
26	1970-71 के उपाय . . .				—	185	185	—	—	—
27	1971-72 के उपाय . . .				—	142	142	—	—	—
28	1972-73 के उपाय . . .		684	684				—	—	—
29	1973-74 के उपाय . . .				—	321	321	—	—	—
30	**जीवन बीमा निगम से ऋण तथा राज्य उद्यमों द्वारा बाजार से लिया गया उधार (सकल)** .	—	506	506	—	746	746	—	126	126
31	आवास तथा जलपूर्ति के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया ऋण . .	—	100	100	—	126	126	—	18	18
32	राज्य उद्यमों द्वारा बाजार से लिया गया ऋण .	—	258	258	—	400	400	—	75	75
33	राज्य उद्यमों को जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण	—	148	148	—	220	220	—	33	33
34	**आंतरिक बजट संबंधी साधनों का जोड़** . .	9332	3106	12438	8488	3667	12155	1046	521	1567
35	**विदेशी सहायता के अनुरूप बजट की प्राप्तियां (शुद्ध)**[6]	2614	—	2614	2540	—	2540	574	—	574
36	पी० एल० 480 के अतिरिक्त . . .	2234	—	2234	1980	—	1980	356	—	356

37 पी० एल० 480 सहायता	. . .	380	—	380	560	—	560	218	—	218
38 घाटे की वित्तीय व्यवस्था	. . .	850	—	850	1100	103	1203	89	−31	58
39 एकीकृत साधन	. . .	**12796**	**3106**	**15902**	**12128**	**3770**	**15898**	**1709**	**490**	**2199**
40 राज्य योजनाओं के लिए सहायता	. .	−3500	3500	—	−3567[7]	3567	—	−606	606	—
41 योजना के लिए साधन	. . .	**9296**	**6606**	**15902**	**8561**	**7337**	**15898**	**1103**	**1096**	**2199**

[6] केवल ऋणों की शुद्ध अदायगी के लिए। वर्तमान राजस्व में से बकाया का हिसाब करते हुए ब्याज की अदायगी करने की अनुमति दी गई है।

[7] इस रकम में हिमाचल प्रदेश को 1971-74 के दौरान दी जाने वाली सहायता भी शामिल है। इसे जनवरी 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा 1972-73 के अनुमानों में मणिपुर और त्रिपुरा को, जिन्हें हाल ही में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, को दी जाने वाली सहायता भी शामिल है।

केन्द्र तथा राज्यों में योजना के साधनों के अनुमान

अनुबन्ध 1 (जारी)
(करोड़ रुपये में)

	1970-71[1] (अंतिम अनुमान)			1971-72[2] (वार्षिक योजना अनुमान)			1972-73[3] (वार्षिक योजना अनुमान)		
	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़
0 1	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1 **जीवन बीमा निगम से समझौते के अन्तर्गत प्राप्त ऋणों**

[1] जैसाकि चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दिया गया है। जैसाकि अध्याय 2 में बताया गया कि अब 1970-71 में वास्तविक योजना परिव्यय 2642 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है जबकि मध्यावधि मूल्यांकन के दस्तावेजों में उसे 2793 करोड़ रुपये बताया गया है।

[2] जैसाकि 1971-72 की वार्षिक योजना को तैयार करते समय किया गया था।

[3] केन्द्र के अनुमान बजट अनुमानों के द्योतक हैं जबकि राज्यों के अनुमान अगस्त 1971 तथा जनवरी 1972 में उनके साथ हुए विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

0	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	तथा सरकारी उद्यमों द्वारा बाजार से लिये गये उधार के अतिरिक्त बजट संबंधी संसाधन .	1034	285	1319	1252	341	1593	1538	456	1994
2	1968-69 के कराधान की दर पर वर्तमान राजस्व से अधिशेष	198	−41	157	44	138	182	215	166	381
3	1968-69 में किराये भाड़े और प्रशुल्क के अनुसार सरकारी उद्यमों का अंशदान . .									
4	रेलें	−19	—	−19	−35	—	−35	−41	—	−41
5	डाक व तार विभाग	36	—	36	42	—	42	56	—	56
6	भारतीय डेरी निगम, कृषि विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, दामोदर घाटी निगम तथा केन्द्रीय बिजली उत्पादक एकक . . .	33	—	33	55	—	55	76	—	76
7	अन्य	70	74	144	111	60	171	138	67	205
8	रिजर्व बैंक के अनधारित लाभ . . .	34	13[4]	47	50	10[4]	60	75	14[4]	89
9	केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिया गया उधार (शुद्ध)	186	99	285	168	100	268	215	109	324
10	भारतीय खाद्य निगम तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिया गया उधार . . .									
11	भारतीय खाद्य निगम . .	116	—	116	19	—	19	95	—	95
12	वित्तीय संस्थाएं . . .	14	—	14	39	—	39	37	—	37

13 लघु बचतें	89	102	191	64	116	180	80	150	230
14 वार्षिकी जमा, अनिवार्य जमा, इनामी बांड और स्वर्ण बांड	−18	—	−18	−17	—	−17	−16	—	−16
15 राज्य भविष्य निधियां	83	61	144	89	62	151	99	68	167
16 विविध पूंजीगत प्राप्तियां (शुद्ध)	212	−23	189	623	−145	478	509	−118	391
17 अतिरिक्त साधन जुटाना	309	120	429	544	181	725	930	305	1235
18 केन्द्र द्वारा[5]	309	—	309	544	—	544	930	—	930
19 1969-70 के उपाय	141	—	141	150	—	150	160	—	160
20 1970-71 के उपाय	168	—	168	197	—	197	210	—	210
21 1971-72 के उपाय	—	—	—	197	—	197	410	—	410
22 1972-73 के उपाय	—	—	—	—	—	—	150	—	150
23 1973-74 के उपाय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 राज्यों द्वारा :	—	120	120	—	181	181	—	305	305
25 1969-70 के उपाय	—	87	87	—	94	94	—	101	101
26 1970-71 के उपाय	—	33	33	—	58	58	—	52	52
27 1971-72 के उपाय	—	—	—	—	29	29	—	64	64
28 1972-73 के उपाय	—	—	—	—	—	—	—	88	88
29 1973-74 के उपाय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 जीवन बीमा निगम के ऋण तथा राज्य उद्यमों द्वारा बाजार से लिया गया उधार (सकल)	—	133	133	—	146	146	—	189	187

[4] सहकारी समितियों के पूंजी शेयर में भागीदार बनने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया ऋण।

[5] राज्यों के शेयर की शुद्ध रकम।

0	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	आवास तथा जलपूर्ति के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया ऋण . .	—	20	20	—	29	29	—	28	28
32	राज्य उद्यमों द्वारा बाजार से लिया गया ऋण .	—	68	68	—	80	80	—	113	113
33	राज्य उद्यमों को जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण	—	45	45	—	37	37	—	48	48
34	**आंतरिक बजट संबंधी साधनों का जोड़ . .**	1343	538	1881	1796	668	2464	2468	950	3418
35	विदेशी सहायता के अनुरूप बजट की प्राप्तियां (शुद्ध)[6]	547	—	547	461	—	461	380	—	380
36	पी० एल० 480 के अतिरिक्त . . .	425	—	425	349	—	349	384	—	384
37	पी० एल० 480 सहायता . . .	120	—	120	112	—	112	−4	—	−4
38	घाटे की वित्तीय व्यवस्था . . .	231	134	365	233	—	233	242	−67	175
39	एकीकृत साधन	2121	672	2793	2490	668	3158	2090	883	3973
40	राज्य योजनाओं के लिए सहायता . .	−628	628	—	−720	720[7]	—	−719	719[7]	—
41	योजना के लिए साधन . . .	1493	1300	2793	1770	1388	3158	2371	1602	3973

[6] केवल ऋणों की शुद्ध अदायगी के लिए। वर्तमान राजस्व में से बकाया का हिसाब करते हुए ब्याज की अदायगी करने की अनुमति दी गई है।

[7] इस रकम में हिमाचल प्रदेश को 1971-74 के दौरान दी जाने वाली सहायता भी शामिल है। इसे जनवरी 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा 1972-73 के अनुमानों में मणिपुर और त्रिपुरा को, जिन्हें हाल ही में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, को दी जाने वाली सहायता भी शामिल है।

अध्याय 4

ग्रामीण विकास और रोजगार

वार्षिक योजना 1972-73 का दृष्टिकोण

1. वार्षिक योजना 1972-73 के ग्रामीण विकास और रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों की दो प्रकार से संचालित किया जायेगा। सर्वप्रथम, लघु कृषक विकास अभिकरण (एस०एफ०डी०ए०), सीमान्त कृषि और कृषि श्रमिक परियोजनाओं (एम०एफ० ए०एल०), मार्गदर्शी आदिम-जाति परियोजनाओं, ग्रामीण रोजगार की तूफानी स्कीम और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के विशेष कार्यक्रमों की रफ्तार तेज करने और कार्यान्वयन की किस्म में सुधार चरने का प्रयत्न किया जायेगा। दूसरा, विभिन्न भूमि तथा जल संसाधन वाले इलाकों में जैसे (1) जिन क्षेत्रों में सिंचाई का पानी हाल में दिया गया है इनमे और (2) वारानी खेती वाले क्षेत्रों तथा (3) पहाड़ी क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास के लिए कतिपय नये काम शुरू किए जाएंगे। वर्ष 1972-73 की अन्य नई विशेषता यह होगी कि ग्रामीण विकास के तूफानी कार्यक्रम के अंग के रूप में 10-15 खण्डों में अध्ययन एवं कार्य परियोजनाएं शुरू की जायें।

लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सीमान्त कृषि और कृषि श्रमिक परियोजनाएं

2. लघु कृषक विकास अभिकरण की 46 परियोजनाओं तथा सीमान्त कृषि और कृषि श्रमिक की 41 परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएंगे। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं 1970-71 में स्वीकृत की गई थीं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं पर, वर्ष 1971-72 के दौरान लगभग 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए और वार्षिक योजना 1972-73 में 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। परन्तु कार्यान्वयन की गति को देखते हुए यदि आवश्यक समझा गया तो इस द्विगुणित आवंटन को और भी ज्यादा करने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे।

3. इन परियोजनाओं के अन्तर्गत सबसे पहला काम यह करना था कि लाभानुभोगियों यानी गतिशील लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों का निर्धारण करना। हालांकि यह काम अधिकांश लघु कृषक विकास अभिकरणों में पूरा किया जा चुका है,

फिर भी अनेक लघु कृषक विकास अभिकरण परियोजनाओं तथा अधिकांश सीमान्त कृषि और कृषि श्रमिक परियोजनाओं में यह काम अभी किया जाना है। इन पहलुओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने का विचार है।

4. लाभानुभोगियों का निर्धारण करने के साथ-साथ, लघु कृषक विकास अभिकरणों को जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना है वह यह है कि वे ऐसे कार्यक्रमों तथा योजनाओं को शुरू करें जिससे छोटे किसानों को वांछित ऋण व सामग्री के रूप में निवेशों की प्राप्ति होने वाले प्रतिफलों में साझीदार हो सके। इस सम्बन्ध में थोड़ा बहुत काम पहले ही किया जा चुका है। लगभग 12 लाख लघु कृषकों का निर्धारण करने के साथ-साथ लगभग 4.8 लाख किसानों को ऋणदात्री सहकारी समितियों का सदस्य बनाया गया है। इस वर्ग के किसानों को प्राप्त होने वाले उत्पादन और विनियोजन ऋण में भी वृद्धि हुई है। परन्तु यह वृद्धि वेग्रसर रही है, क्योंकि ऋण की उपलब्धि कतिपय परियोजना क्षेत्रों तक ही सीमित है। लघु कृषक विकास अभिकरण परियोजनाओं का जहां तक सम्बन्ध है इनमें से जो ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां सहकारी ऋण प्रणाली का आधार ही कमजोर है या उस पर भारी बकाया है वहां लघु कृषक विकास अभिकरण परियोजनाएं ठीक प्रकार काम नहीं कर सकीं। अतः इन मुख्य कार्यों में से एक काम यह होगा कि परियोजना के आधार पर परियोजना समस्याओं पर विचार कर संस्थागत ऋण प्राप्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

5. सीमान्त कृषि और कृषि श्रमिक परीयोजनाओं की शुरूआत बड़ी मंदगति से हुई। लगभग 5.4 लाख लाभानुभोगियों का निर्धारण किया जा चुका है। दूध देने वाले पशुओं और सहायक सुविधाओं के लिए ऋण की व्यवस्था करने में साधारण प्रगति हुई है। यह प्रस्तावित है कि विभिन्न व्यवधानों का निराकरण किया जाये, इसके अलावा, अवशीतन संयंत्रों और खाद्य मिश्रण संयंत्रों जैसे हाट-व्यवस्था बुनियादी आधार की व्यवस्था में सीमान्त कृषि और कृषि श्रमिक अभिकरणों की विशेष रूप से लगाया जाए।

मार्गदर्शी आदिम जाति विकास परियोजनाएं

6. आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के पांच आदिम जिलों में हाल में ही 6 परियोजनाएं शुरू की गई है। इनका उद्देश्य यह हैं कि आदिम जाति के लोगों के आर्थिक विकास को गति दी जा सके। संचार व्यवस्था के विकास के लिए भी 1972-73 में विकास कार्यक्रम शुरू करने का विचार है। इस कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना में दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सूखे से शीघ्र प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

7. निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 1970-71 से ग्रामिण निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए केन्द्र गैर-योजना कार्यकलाप के अन्तर्गत धन उपबलब्ध करेगा।

54 सूखाग्रस्त जिलों में उत्पादन और श्रम सघन कार्य शुरू किये जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देना तथा कृषि उत्पादन के लिए बुनियादी आधार तैयार करना ताकि अभाव की स्थिति की तीव्रता को घटाया जा सके वर्ष 1971-72 के दौरान इन कार्यक्रमों को गति काफी बढ़ी है। आशा हैं कि 1971-72 के दौरान इन कार्यक्रमों पर लगभग 16 करोड़ रुपये का वास्तविक खर्चा होगा जब कि 1970-71 में 6.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

8. कार्यक्रम की विकासोन्मुख प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि 1972-73 से इस कार्यक्रम को योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल किया जाए। अब कार्यक्रम के क्षेत्र को व्यापक बनाया जायेगा ताकि चुने गये जिलों को सूखे से मुक्त समझा जा सके क्योंकि भौतिक तथा प्रोद्योगिकी की दृष्टि से यह करना संभव है। अब तक अधिकांश खर्चा सड़क निर्माण पर किया गया। परन्तु अब लघु व मझौली सिंचाई वन लगाने आदि पर बल देने का विचार है। यह सब करने का मतलब यह है कि चुने हुए जिलों के क्षेत्र विकास का काम अपनाया जाय। इस प्रकार की कार्यप्रणाली का संकेत देने के लिए इस कार्यक्रम का पुनः नामकरण कर इसे सूखा ग्रसित क्षेत्र कार्यक्रम बना दिया गया है। वार्षिक योजना 1972-73 में इस कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था को गई है।

ग्रामीण रोजगार के लिए (तूफानी क्रैश) कार्यक्रम

9. इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जरूरतमंद लोगों में से कम से कम 1000 को प्रत्येक जिले में रोजगार दिया जाय। रोजगार उन्मुख के साथ-साथ स्थायी निर्माण कार्य करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह समझा जा रहा है कि अधिकांश जिला आवंटन (जो कि सामान्यतया 12.5 लाख वार्षिक है) को इस स्कीम के अन्तर्गत कामों पर लगाये गये श्रमिकों के लिए निश्चित किया जाय। ये स्कीम 1971-72 के बजट में शुरू की गई थी। दिसम्बर 1971 तक 46.3 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण कार्य तैयार कर स्वीकृत किए जा चुके थे।

10. आरम्भ में यह योजना गैर-योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आरम्भ की गई थी, परन्तु अब इसे योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। वार्षिक योजना 1972-73 में इसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, जो कार्य हो रहा है उसे गति प्रदान करने के लिए 1972-73 में अनेक संचालात्मक सुधार करने का विचार है। अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर, इस स्कीम में कुछ हेर-फेर भी किया गया है। प्रारम्भ में, इस स्कीम के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों को केवल उन्हीं कार्यों तक सीमित रखा गया था, जिन्हें कृषि बुनियादी आधार कहते हैं। अब इसे व्यापक बनाया जा रहा है ताकि इसमें प्राथमिक स्कूल बिल्डिंगें

के लिए नये 4200 कक्षाओं का निर्माण, ग्राम समुदाय के कमजोर वर्ग के लिए ग्रामीण आवास की व्यवस्था और ग्रामीण भण्डारण आ जाये। व्यापक रूप से इससे ग्रामीण बुनियादी आधार के विकास को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। एक और उल्लेखनीय कार्य यह है कि लगभग 10 से 15 सामुदायिक विकास खण्डों में अध्ययन एवं कार्य परियोजनाएं आरम्भ की जाएं। ये खण्ड उन राज्यों में से चुने जायेंगे जहां ग्रामीण रोजगार की समस्या बहुत ही गभीर है। उद्देश्य यह है कि वर्ष के दौरान समय-समय पर उपलब्ध होने वाले अकुशल श्रमिकों का अंदाजा लगाया जाय और समय के अनुरूप विभिन्न अवस्थाओं में इन बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान किया जाय। आशा है कि इन परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव पांचवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा।

समेकित ग्रामीण विकास

11. चालू कार्यक्रमों में तेजी लाने तथा सुधार करने के अलावा, सबसे मुख्य काम यह होगा कि परियोजनाओं को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमोन्मुख किया जाय। इस संबन्ध में आयोग ने एक कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) का गठन किया है, जिसके विचारणीय विषय इस प्रकार हैं:—

(1) पांचवीं योजना में अधिक रोजगार और अच्छे उत्पादन के उन्मुख समेकित ग्रामीण विकास की व्यापक नीति के मुख्य घटकों को निर्दिष्ट करना ;

(2) कृषि अनुकूल विभिन्न दशाओं और विकास के स्तरों के अनुरूप ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रोद्योगिकी, विनियोजन और संस्थानों की प्रणाली का चित्र सहित ब्यौरा तैयार करना ;

(3) उपर्युक्त (1) और (2) को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार के चालू विशेष कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा उनमें परिवर्तन कर उन्हें ग्रामीण विकास के समेकित कार्यक्रम के साथ जोड़ने के बारे में सुझाव देना।

12. समेकित ग्रामीण विकास की अवधारणा के दो मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

(1) सुस्पष्ट ग्रामीण विकास के अन्तर्गत, भरपूर उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय। इसके लिए स्थानीय भूमि और जल साधनों के विकास से संबन्धित एक दूसरे के सहायक उपाय अपनाए जाय तथा हर प्रकार के पूरक उत्पादन संबन्धी निवेशों और संगठनात्मक सुधारों की व्यवस्था की जाय।

(2) सुस्पष्ट ग्रामीण क्षेत्र में किया जाने वाला विकास कार्य जितना व्यापक हो सके उतना व्यापक बनाया जाय, ताकि अधिकांश लोग विशेष कर छोटे

किसान, सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक तथा शिल्पी विकास में साझीदार होकर इस प्रकार के विकास से लाभान्वित हो सकें।

13. इस समय ग्रामीण विकास और रोजगार के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित अनेक भुलावा देने वाले कार्यक्रम और योजनाएं हैं। यद्यपि इन कार्यक्रमों तथा योजनाओं का उद्देश्य अनेक प्रकार से एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करना है, फिर भी व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है कि इनका अकसर किसी एक क्षेत्र में यथासमय ठीक प्रकार से समन्वय भी नहीं हो पाता। नई स्कीमों में तो विकासशील अन्तःकार्य और समन्वय भी नहीं हो पाता। विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्कीमें अभी तदर्थ आधार पर चलाई जा रही हैं और उनका विभिन्न जिलों/क्षेत्रों में छितराव और वितरण भी नहीं हो सका। इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से तैयार न करने का प्रतिफल यह हुआ है कि कुछ हद तक वित्तीय और संगठनात्मक स्रोत्रों में अतिव्याप्ति हो गई है। दूसरा बुरा प्रभाव यह पड़ा कि विकास प्रयत्न बेअसर ही गये। अतः प्रस्तावित ग्रामीण विकास परियोजनाओं का सबसे पहला काम यह होगा कि इन त्रुटियों को दूर किया जाय।

14. स्पष्टता के लिए यह आवश्यक है कि समेकित ग्रामीण विकास तथा सघन कृषि विकास कार्यक्रम में क्या अन्तर है, इसको समझा जाय। यद्यपि सघन कृषि विकास कार्यक्रम मुख्यतः सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ही था। परन्तु इसका मुख्य काम किसान को वे निवेश उपलब्ध करना था जो कि खेत में प्राप्त नहीं होते। इसमें विस्तार, सलाह, बीज उर्वरक, कीटनाशी, उपकरण व यंत्र, ऋण हाट-व्यवस्था तथा भण्डारण आदि निवेश और सेवाएं आती हैं। सघन कृषि विकास कार्यक्रम में किसी प्रकार के भूमि 'सुधार' या जल संसाधनों का पुनर्गठन या ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या से जुझने के लिए विनियोजन कार्यकलापों में विविधता लाने का काम, उसके अभिन्न कार्य के रूप में समाविष्ट नहीं किया गया है। समेकित ग्रामीण विकास का विचार, सघन कृषि विकास कार्यक्रम के परम्परागत विचार से बहुत आगे की चीज है। इसका उद्देश्य यह है कि चकबन्दी भूमि के अनुकूलन, जलसाधनों का पुनःसीमाकन, जलनिकासी व्यवस्था का निर्माण या पुनर्गठन और इन कार्यक्रमों को सहायता पहुंचाने वाले अन्य कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाने वाले अन्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने आदि के उपाय अपनाकर किसी क्षेत्र की भूमि तथा जल साधन के रूप में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के उत्पादन घटकों को फिर से ठीक हालत में लाया जाय। इसके लिए यह आवश्यक है कि अन्तवर्ती पूंजीगत विनियोजन और निरन्तर निवेशों और जानकारी उपलब्ध करने का कार्यक्रम बनाया जाय। यह कार्यक्रम समेकित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत क्षेत्र सहित समस्त ग्रामीण जन समुदाय के लिए होना चाहिए।

15. वर्तमान लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास दृष्टिकोण में क्या अन्तर है यह बताना उपयोगी है। लघु

कृषक विकास अभिकरण तथा सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक कार्यक्रम क्षेत्र पर आधारित है। परन्तु ये कार्यक्रम खण्डीय आधार पर छोटे और सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार करते हैं। अतः इन बाधाओं के अतिरिक्त, अनेक परियोजनाओं में ये कार्यक्रम जड़ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत चल रहें हैं। यदि छोटे और सीमान्त किसानों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार करना है तो कतिपय क्षेत्रों में अधिकतम क्षेत्र विकास करना अनिवार्य है।

जो क्षेत्र हाल ही में नहर की सिंचाई के अन्तर्गत आये हैं उनमें समेकित ग्रामीण विकास

16. समेकित ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हाल में ही उत्साहवर्धक शुरूआत हुई है। राजस्थान राज्य के चम्बल क्षेत्र में, लगभग पिछले दस वर्षों से नहर की सिंचाई हो रही है परन्तु विकास के लिए वांछित कार्रवाई न किए जाने के कारण सिंचाई के प्राप्त होने वाले लाभों का अधिकांशतः उपयोग नहीं किया गया। इसी प्रकार, जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण भूमि के लावण्यता तथा पानी के अभाव की समस्याएं पैदा हो गई हैं । इस पृष्ठभूमि में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता लेकर भूमि और जल विकास की एक परियोजना कोटा में आरम्भ की गई । अपेक्षित अन्वेषण और अध्ययन के उपरान्त, परियोजना अधिकारियों ने कोटा जिले के डिगोड ग्राम के समेकित क्षेत्र में भूमि और जल संसाधनों के समेकित विकास की परियोजना आरम्भ की। इस परियोजना में एक साथ जो कार्य करने होंगे वे निम्न प्रकार हैं :

(1) चकबन्दी,

(2) भूमि को समतल करना,

(3) जल निकासी की व्यवस्था,

(4) नालियों की व्यवस्था,

(5) जल संसाधनों की पुनःनिर्धारित करना, रेखांकित करना,

(6) खेतों में जल पहुंचाने, सिंचाई नहरों और जल निकासी की नालियों की संरचना के लिए प्रावधान।

17. उपर्युक्त परियोजना प्रदर्शन के रूप सें आरम्भ की गई थी, अतः इसके सारे खर्चे का वहन सरकार ने किया। बहरहाल, प्रदर्शन की सफलता के परिणामस्वरूप, परियोजना में निहित विचार किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। हाल में, कुछ किसान स्वैच्छिक रूप सें अपनी भूमि और जल संसाधनों का समेकित आधार पर इसी प्रकार विकास करने के लिए आगे आये हैं और सरकार से इसके लिए ऋण तथा अन्य प्रकार के धन की मांग की हैं। कोटा जिले के सनवासा ग्राम में स्थित यह नवीन परियोजना विशेष महत्व की हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत उन्नीस किसानों की सारी

सिंचित भूमि आ जाती है और एक छोटी नदी से पानी लेकर यहां सिंचाई की जाती है। इसका क्षेत्रफल 72 एकड़ है । औसतन प्रत्येक किसान ने लगभग 15,00 रुपये प्रति एकड़ ऋण लिया है जिसे 7 से 10 वर्ष की अवधि में वापिस करना है। सम्बन्धित किसानों के पास उत्पादन यंत्रों की बहुतायत होने के कारण, उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास हैं कि वे बढ़ी हुई आय से ऋण चुकाने में समर्थ होंगे । यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि खेतों की सीमा, खेतों की सड़कें, गंदी नालियां तथा रजवाहे के पुनर्गठन और पुनःनिर्धारण के परिणामस्वरूप लगभग 5 से 10 प्रतिशत क्षेत्र की बचत हो गई हैं और इससे कुल फसल क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है।

18. इस परियोजना के काम से लोग प्रभावित होने लगे हैं। परिणामतः चम्बल क्षेत्र का राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के अन्तर्गत भागों में, समेकित तरीके से भूमि तथा जल संसाधनों का इस प्रकार पुनर्गठन करने की मांग होने लगी है। तदनुसार राजस्थान सरकार ने इस काम के लिए 6 वाणिज्यिक बैंकों से 7.2 करोड़ रुपये के ऋण की मांग की है। इससे लगभग 45,000 एकड़ भूमि पर समेकित तरीके से भूमि तथा जल की व्यवस्था की जा सकेगी। इस समय अधिकारीगण, ऋण, निवेशों आदि की उपलब्धि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि सम्बन्धित क्षेत्र में उपलब्ध भूमि तथा जल साधनों का उत्पादन बढ़ाने में उपयोग किया जा सके ।

19. यद्यपि देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के समेकित ग्रामीण विकास की अनेक संभावनाएं हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक चयनात्मक प्रारम्भ करना आवश्यक है। मंशा यह है कि प्रत्येक राज्य में उन क्षेत्रों में से जो हाल में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आये हैं, से एक जिला या उसका कुछ भाग समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाय।

20. समेकित ग्रामीण विकास के लिए जिलों का चयन इस प्रकार किया जाय, जिससे वह निम्न प्रतिमानों के अनुकूल हो :

(1) जहां भूमि का आकार ठीक न होने तथा भूमि समतल न होने के कारण, उपलब्ध जल साधनों का सर्वोत्तम उपयोग न हो रहा हो, या जिस जिले की भूमि समुचित जल निकासी की व्यवस्था त होने के कारण लावण्यता से प्रभावित है, ऐसे जिले का चुनाव करना ।

(2) मुख्य सिंचाई कार्य के सम्बन्ध में जहां कोई इंजीनियरिंग बाधा न हो ।

(3) वह जिला ग्रामीण सड़क इत्यादि के रूप में निम्नतम कृषि बुनियादी आधार सुलभ करते हो ।

(4) जिले में एक लघु कृषक विकास अभिकरण या सीमान्त कृषक श्रमिक परियोजना हो ।

21. प्रत्येक चुने हुए जिले में जो अनेक छोटी-बड़ी नदियां हों उनका पता लगाया जाय तथा उनमें समेकित ग्रामीण विकास आरम्भ किया जाय। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षणों के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण किया जाय। इस प्रकार के विचार में कंटूर मैपिंग और भूमि सर्वेक्षण दोनों प्रकार के काम आ जाते हैं। इसके बाद, प्रत्येक नदी की सिंचाई के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्र में भूमि तथा जल संसाधनों के पुनर्गठन के लिए निम्नांकित उपाय अपनाए जाय :—

(1) चकबन्दी,

(2) भूमि को समतल करना तथा भूमि को आकार प्रदान करना,

(3) जल साधनों का पुनः सीमांकन और रेखांकन करना,

(4) नालों को ठीक करना तथा उनकी सफाई करना,

(5) जल निकासी की नालियों की व्यवस्था,

(6) भूमिगत जल साधनों से पूरक सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था।

22. ऊपर दर्शाये गये कामों पर लगने वाले खर्चे की पूर्ति निम्न प्रकार की जाये :—

(1) सरकार तकनीकी और सर्वेक्षण कर्मचारियों का खर्चा उठाये।

(2) मुख्य जल निकासी की नालियां और नालों को ठीक करने आदि की अनेक मदें ऐसी हैं, उसकी लागत भी सरकार दे।

(3) अन्य मदों के लिए, विशेषकर चकबन्दी के परिणामस्वरूप आवंटित भूमि को ठीक करने और क्षेत्रीय जल साधनों एवं नालियों के लिए, किसानों को संस्थागत साधनों से दीर्घकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(4) जहां कहीं सम्भव हो, ग्रामीण रोजगार के तूफानी कार्यक्रम के अन्तर्गत, समुचित ग्रामीण निर्माण कार्यों का इस प्रकार तालमेल बिठाया जाय जिससे वह समेकित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत लिए गए समस्त क्षेत्र में लागू हो। इस कार्यें संचालन की अवस्था तक समस्त खर्चे की पूर्ति स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों से की कार्यें।

23. यह व्यावहारिक होगा यदि चुने हुए जिलों में, अनेक सिंचाई साधनों के अन्तर्गत भूमि और जल साधनों के सघन एवं स्वीकृत करने का काम शुरू किया जाय। यह वांछनीय होगा यदि विभिन्न छोटी-बड़ी नदियों से सिंचित क्षेत्र की लगभग 10,000 एकड़ भूमि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लायी जाय। जैसे-जैसे प्रदर्शन के प्रभाव का विस्तार होगा वैसे-वैसे अधिक क्षेत्र पर यह काम शुरू किया जा सकेगा ताकि तीन वर्ष

या इसके आस-पास की अवधि में जिले का काफी कृषि क्षेत्र भूमि और जल की इस प्रकार की क्रिया के अन्तर्गत आ जाये।

24. चुने हुए भूमि और जल विकास के लिए जो ऊपर दर्शाये गये प्रयत्न किये जायेंगे, उनके साथ साथ यह भी जरूरी होगा कि छोटे किसानों, सीमान्त किसानों आदि के विकास से सम्बन्धित चालू कार्यक्रमों में भी तेजी लाई जाय। इसके अलावा कृषि बुनियादी आधार, निवेशों, ऋण आदि की उपलब्धि से सम्बन्धित कार्यक्रमों में भी तेजी लानी होगी।

25. समेकित ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संगठनात्मक गठन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यद्यपि लघु कृषक विकास अभिकरण सीमान्त कृषक व कृषि श्रमिक जैसे कार्यक्रम के कतिपय खण्डों का संचालन वर्तमान अभिकरण करते रहेंगे, परन्तु यह वांछनीय होगा यदि सर्व कार्यभार सिंचित क्षेत्र विकास के आयुक्त को सौंपा जाय। उनकी सहायता के लिए अनेक विधाओं को जानने वालों का दल होना चाहिए। सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त को सम्बन्धित भूमि के विकास आदि कार्यक्रमों के संचालन के लिए कृषि उद्योग निगम जैसे विशेषज्ञ अभिकरणों की सहायता भी प्रदान करनी होगी। उसे चकबन्दी तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए राजस्व विभाग की सहायता भी लेनी होगी। इसी प्रकार, ग्रामीण इंजीनियरिंग और सम्बद्ध क्षेत्र भूमि सर्वेक्षण से सम्बन्धित केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों को भी सिंचित क्षेत्र आयुक्त के अधीन करना होगा।

26. आशा है कि, ऊपर बताये गये तरीके के अनुसार दस चुने गये जिलों में, चौथी पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरम्भ हो जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अनुभव के आधार पर समेकित आर्थिक विकास का और भी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया जायेगा और उसका पांचवीं पंचवर्षीय योजना में समावेश कर दिया जायेगा।

पहाड़ी क्षेत्रों का समेकित विकास के लिए मार्ग-निर्धारण

27. हाल के वर्षों में कतिपय चुने हुए पहाड़ी क्षेत्रों का विकास किया गया है, जिससे कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा अनुभव मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के भारत-जर्मनी परियोजना से प्राप्त हुआ। यह परियोजना 1962 में शुरू की गई थी और पिछले आठ वर्षों से काम कर रही है। इस परियोजना में बहुत ही सुस्पष्ट नीति का अनुसरण किया गया। इस परियोजना ने अपने सामने जो सबसे पहला उद्देश्य रखा वह विद्यमान कृषि में सुधार करने का था। एक बार यह स्पष्ट हो जाने पर कि अधिक उत्पादन करना संभव था, तदुपरान्त मंडी क्षेत्र के परिस्थिति की जोनों के आधार पर कृषि उत्पादन की किस्म को युक्तिसंगत बनाने पर बल दिया

जाने लगा । उदाहरण के रूप में मैदानी क्षेत्र अनाजों के उत्पादन के लिए आरक्षित कर दिया गया। निचली पहाड़ियों पर पशुपालन तथा 9,000 फुट की ऊंचाई तक के मध्यम तथा ऊंची पहाड़ियों पर बागबानी को प्रोत्साहित किया गया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जन प्रणालियों का अनुसरण किया जाना है। वह निम्न प्रकार अंकित किया गया है :—

(क) कृषि विस्तार सेवा का सक्रियकरण,

(ख) सुधरी प्रौद्योगिकी का सूत्रपात,

(ग) कृषि के लिए बुनियादी आधार और सेवाओं का सुधार।

28. मण्डी परियोजना से प्राप्त अनुभव से प्रतीत होता है कि यदि संस्थागत और प्रौद्योगिकी तत्वों की समाविष्ट करते हुए सुविचारित नीति बनाई जाय तो इससे क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पर उल्लेखनीय प्रभाव परिलक्षित हो सकता है । वर्ष 1972-73 के दौरान अन्य दो क्षेत्रों में यानी पोड़ी गढ़वाल और मनीपुर में इसी प्रकार की परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है।

शुष्क क्षेत्रों में समेकित विकास की ओर दौड़

29. शुष्क क्षेत्रों का समेकित ग्रामीण विकास के बारे में अभी तक कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। भारत के विभिन्न जिलों में अनेक पृथक-पृथक कार्यक्रम यानी शुष्क खेती पर मार्गदर्शी परियोजनाएं, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, आरम्भ किए गए हैं । इनमें से अनेक कार्यक्रमों, यानी शुष्क खेती पर मार्गदर्शी परियोजनाओं ने अभी तक कोई प्रगति नहीं की हैं ।

30. बीजापुर जैसे अनेक जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमान्त कृषक व कृषि श्रमिक आदि कतिपय कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि किस सीमा तक तथा किस प्रकार इन कार्यक्रमों को समेकित किया जा सकता है। बहरहाल, इसके लिए पहली शर्त यह है कि नई शुष्क कृषि प्रौद्योगिकी का विकास तथा जांच की जाय। जिसके परिणामस्वरूप थोड़ी नमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी सूखे से ग्रसित न होने वाली किस्मों तथा कृषि प्रणालियों का विकास किया जा सके। वर्ष 1972-73 में, शुष्क खेती पर मार्गदर्शी परियोजना शुरू करने पर विचार किया जायेगा।

31. देश के जिन शुष्क क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई करना संभव न हो वहां दूसरे प्रकार के सतही सिंचाई साधनों तथा भूमिगत साधनों के विकास को उच्चतम

प्राथमिकता दी जाये। शुष्क क्षेत्रों में जोत की चकबन्दी दूसरे तरीके से करनी होगी, इसमें सारे गांव की भूमि पर मेंढ़ बन्दी, पेयजल की सुविधाओं की व्यवस्था, भूमि का अधिक युक्तिसंगत उपयोग करना (उदाहरणार्थ, गांव की भूमि का कुछ भाग सर्वसाधारण चरागाहों के लिए रख दिए जाये और भण्डारण सुविधाओं का निर्माण आदि काम करने होंगे। आरम्भ में, सापेक्ष शुष्क जिलों के कुछ गांवों के समूह चुने जायेंगे। इन पर अपेक्षित अनुभव प्राप्त होने पर, इस कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

अध्याय 5

विशेष रोजगार की स्कीमें

शिक्षितों में बेरोजगारी की समस्या ने, 1966-67 में अर्थ-व्यवस्था में मन्दगति के कारण इंजीनियर्स में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की ओर सरकार का विशेषरूप से ध्यान आकर्षित किया। 1968 में इंजीनियर्स में बेरोज़गारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय सुझाए गए। इनमें योजना के अन्तर्गत सिंचाई, विद्युत् तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के अन्वेषण, सर्वेक्षण व अन्य उपक्रमात्मक कार्यों का अधिक गति से किया जाना शामिल है। इसके साथ ही इंजीनियर्स के लिए उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार और उन्हीं के लिए लघु उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता व अन्य सुविधाओं का दिया जाना भी सम्मिलित है। शिक्षित बेरोज़गारों के सभी वर्गों जिनमें इंजीनियर्स व अन्य तकनीकी कार्यकर्त्तागण, स्नातकोत्तर तथा कृषि स्नातक सम्मिलित हैं, के लिए काम के अवसरों में वृद्धि करने के लिए कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

2. 1971–72 के बजट में शिक्षित बेरोज़गारों की समस्या के समाधान की स्कीमों के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। योजना आयोग के सुझावों के अनुसार, केन्द्रीय मंत्रालयों ने 1971–72 की अवधि में शिक्षित बेरोज़गारों के लाभ के लिए कार्यक्रम बनाए। योजना आयोग ने 1971–72 के लिए 13 करोड़ रुपये तथा 1972–73 व 1973–74 के हर वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्कीमों को अनवरत रखने के लिए सिफारिश की। कुछ स्कीमें इस तरह की हैं जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा और उन पर केन्द्र द्वारा व्यय किया जाएगा जब कि अन्य कुछ स्कीमें केन्द्र द्वारा ही सीधे चलाई जाएंगी।

प्राथमिक शिक्षा का स्तर

3. 1971–72 के दौरान, सरकार ने राज्यों व संघशासित क्षेत्रों को 30,000 प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की 4 मास की अवधि की नियुक्ति के लिए 4.4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सात राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश और संघशासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के लिए स्कूल न जाने वाले 5–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के अनुपात के आधार पर अध्यापकों की दो-तिहाई संख्या की नियुक्ति की संस्वीकृति दी गई। शेष

की संस्वीकृति मैट्रिक तथा अपेक्षाकृत अधिक योग्यता प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों के अनुपात के आधार पर अन्य सभी राज्यों व संघशासित क्षेत्रों के लिए दी गई।

4. इन के लिए की राशियों (निधि) की व्यवस्था की गई :—

(क) स्कूलों के लिए 240 सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) 9 लाख बच्चों के लिए मुफत् पाठ्य पुस्तकों का वितरण;

(ग) 8.6 लाख बच्चों के लिए तथा केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत न आने वाले सीमावर्ती राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के भी बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था;

(घ) 1000 माध्यमिक स्कूलों में कार्य-अनुभव का प्रारम्भ।

5. 1972–73 में 12 करोड़ रुपये के परिव्यय से यह स्कीम चालू रहेगी। 30,000 अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था की स्कीम का विस्तार और 18 करोड़ रुपये की कुल अतिरिक्त लागत से प्राथमिक स्कूलों के कक्षा-कमरों के निर्माण के वृहत्तर कार्यक्रम को भी शुरू किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के अध्याय में 1972–73 में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए 30 करोड़ रुपये के इस कार्यक्रम का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से ब्यौरा दिया गया है।

ग्रामीण अभियान्त्रिक (इंजीनियरी)

6. इस स्कीम में गांवों के इंजीनियरी व कृषि संबंधी पहलुओं का सर्वेक्षण किया जाना परिकल्पित है। इसके लिए सिंचाई, विद्युत्, पीने योग्य जल, सड़कें, भू-जल के उपयोग में सुधार भू-संरक्षण, भूमि के आकारगत आदि सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी स्कीमों के निर्माण के लिए आंकड़ों का एकत्र करना व नक्शों का बनाना आवश्यक होगा। प्रारम्भ में उन जिलों का सर्वेक्षण किया जाएगा जिनमें ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों या ग्रामीण रोजगार के जोरदार कार्यक्रम जैसे स्कीमें पहले ही चल रही हैं। यह विशिष्ट दृष्टिकोण तात्कालिक लाभों के उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण के परिणामों के उपयोग को सुनिश्चित करेगा। इस कार्यक्रम में 1971–72 में 200 और 1972–73 में 350 सर्वेक्षण दलों की स्थापना परिकल्पित है। हर सर्वेक्षण दल में इंजीनियरी व कृषि स्नातक होंगे। 1973–74 से 17 राज्यों में सहायक पर्य्यवेक्षी कर्मचारीगणों के साथ कुल 550 सर्वेक्षण दलों द्वारा कार्यारम्भ करने की आशा है।

7. 1971–72 के दौरान इस स्कीम के लिए 53 लाख रुपये की संस्वीकृति दी गई है। यह स्कीम राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जायेगी। पूर्ण वर्ष में इस स्कीम की रोजगार की क्षमता इस प्रकार है—कुल 5631 व्यक्ति जिनमें 1100

अभियान्त्रिकी (इंजीनियरी) स्नातक, 550 कृषि स्नातक, 68 अभियान्त्रिकी अधिकारी, 93 भू-संरक्षण व कृषि अधिकारी, 1070 प्रविधिक्षव मंत्रालय के कर्मचारीगण और 2750 अप्रशिक्षित श्रमिक शामिल हैं ।

8. सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने संचालन समिति की स्थापना की है जिसमें संबंधित मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। यह समिति स्कीम की प्रगति पर निगरानी रखेगी और आवधिक मूल्यांकन तथा समीक्षा पर परामर्श देगी । इस स्कीम में 1972–73 के लिए 286 लाख रुपए परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

कृषि सेवा केन्द्र

9. इस स्कीम का यह उद्देश्य है कि कृषि सेवा केन्द्रों के कार्यक्रम द्वारा अभियान्त्रिकी स्नातकों, डिप्लोमा-धारियों, कृषि स्नातकों तथा अन्य तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। ये केन्द्र सीमा शुल्क व सेवा सुविधाओं के अलावा, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समाकलित सेवाएं तथा सम्भरण की व्यवस्था करेंगे। स्कीम में 1971—74 के दौरान 2500 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना अभिकल्पित की गई है। प्रत्येक केन्द्र औसतन 10 व्यक्तियों की रोजगार प्रदान करेगा जिसमें 5 तकनीकी और 5 प्रशिक्षित व अर्द्ध-प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे। और स्कीम की समस्त रोजगार की क्षमता 25,000 व्यक्तियों की होगी।

10. 1971–72 के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु तथा मैसूर में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य कृषि उद्योग निगमों को आर्थिक सहायता के रूप में 18.62 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। शेष सात राज्यों के कृषि उद्योग निगमों की आर्थिक सहायता 1972–73 के दौरान प्रदान की जाएगी जिसके लिए 75.91 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव हैं।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

11. सहकारिता विभाग ने विकास क्षमता रखने वाली विशिष्ट उपभोक्ता सहकारिता समितियों के विस्तार एवं विकास के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की यह स्कीम बनाई है। उस स्कीम के अन्तर्गत सहायता की पात्र संस्थाओं में वे थोक विक्रय के केन्द्रीय स्टोर व सहकारिता विभाग स्टोर भी सम्मिलित हैं जिनमें विकास की अच्छी क्षमता है ताकि वे संबंधित राज्य और समस्त देश की उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन पर लाभप्रद प्रभाव डाल सकें। चौथी योजना अवधि में स्कीम के अन्तर्गत, लगभग 40 वर्तमान थोक विक्रय केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारिता स्टोरों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसमें विभा-

गीय स्टोर और लगभग 40 की संख्या में ही नए फुटकर बाजारों की स्थापना भी शामिल हैं।

12. 1971–72 के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था जो 1972–73 में बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

लघु उद्यमी

13. औद्योगिक विकास मंत्रालय ने शिक्षित बेरोज़गारों जिनमें तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए 6 विभिन्न स्कीमें बनाई हैं। अनुमोदित वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रिम रूप में दिए जाने वाले ऋणों पर आधारित मूल या सीमान्त पूंजी की व्यवस्था, व्यापारिक सम्पदा की स्थापना, किराया खरीद की शर्तों पर देशी मशीनों की आपूर्ति, तकनीशियनों से संबंधित निजी व सार्वजनिक मर्यादित कम्पनियों के शेयर (या प्रेफ्रेन्स) पूंजी की व्यवस्था, तकनीशियनों की सहकारिता की वित्तीय एवं अन्य सहायता का प्रावधान तथा औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना, की स्कीमें अभिकल्पित हैं। तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने वाली अन्तिम तीन स्कीमों के अलावा, अन्य वे सहायता देने वाली स्कीमें भी हैं जिनके अन्तर्गत कम-से-कम माध्यमिक स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए व्यक्ति भी आते हैं।

14. राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा। ये राज्य उन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए समुचित अभिकरण की नियुक्ति करेंगे और उसी प्रकार की पहले की चल रही स्कीमों के अनुसार इन स्कीमों में भी संशोधन कर सकेंगे। इस संबंध में 6.5 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय आवंटित किया गया हैं। राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों द्वारा इन स्कीमों पर होने वाले व्यय के आधार पर आवंटित निधियां वित्तीय वर्ष के अन्त पर प्रतिपूरित हो जाएगी। 1972–73 में इन स्कीमों को चालू रखने के लिए 6.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

सड़क परियोजनाएं

15. वर्तमान राष्ट्रीय मुख्य मार्ग प्रणाली और पांचवी योजना में सम्मिलित करने के लिए विचार की जाने वाली अन्य केन्द्रीय क्षेत्र सड़क परियोजनाओं की कमियों को दूर करने सें संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण व परियोजना के बनाने के लिए स्कीम में अभिकल्पना की गई है। तकनीकी कार्यकर्ताओं के लिऐ अतिरिक्त रोज़गार के अवसरों की उपलब्धि के अलावा, यह कार्यक्रम पांचवीं योजना के दौरान संस्वीकृति के लिए विचार की जा रही पूर्णरूप से अन्वेषित परियोजनाओं की पूरा करने में

सहायक होगा। इस स्कीम में 134 स्नातक इंजीनियरों, 30 डिप्लोमाधारियों, 160 तकनीशियनों और 500 अर्द्ध-प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को रोजगार प्राप्त हो जाने की आशा है। विभिन्न राज्यों में 1971–72 के दौरान इस कार्यक्रम में आवश्यक सर्वेक्षण के लिए 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में, 1972–73 में 90 लाख रुपये की व्यवस्था परिकल्पित है।

गांवों में जल की पूर्ति

16. राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के बनाने के लिए 25 आयोजना एवं डिजाइन एककों के निर्माण का प्रस्ताव अभिकल्पित है। कई असुविधापूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के विस्तृत आयोजनाओं व प्राक्कलनों के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। ये स्कीमें पांचवीं योजना में कार्यान्वित की जाएगी और यदि संभव हुआ तो चौथी योजना की शेष अवधि में भी कुछ भाग को अमल में लाया जाएगा। ये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के काम कर रहे विशेष अन्वेषण प्रभागों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों का उपयोग करेंगे।

17. एककों द्वारा तैयार की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमों की लगभग कुल संख्या पाइप से जल आपूर्ति के 1000 क्षेत्रों में होगी और साथ ही 14,000 गांवों में चलाए जाने वाली बड़ी संख्या में स्वतन्त्र स्कीमें भी होंगी। ये स्कीमें 407 इंजीनियरों और 420 अन्य वर्गों की शिक्षित श्रेणियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। 1971–72 के लिए 22 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है तथा 1972–73 के लिए 43 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण और ब्याज के लिए आर्थिक सहायता स्कीमें

18. पूर्व संदर्भित कार्यक्रमों व स्कीमों के अतिरिक्त औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के लिए औद्योगिक उद्यमकार्यों में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के हेतु एक स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरी के उद्यमियों को छोटे पैमाने पर उद्योगों की स्थापना करने में सहायता करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थानों और अन्य संस्थाओं में तीन मास की अवधि के प्रशिक्षण की परिकल्पना है। इसमें (प्रोटोटाइप प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र, भारतीय तकनीकी संस्थान और लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। अब तक लगभग 1800 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है और 900 से अधिक संख्या में प्रशिक्षण पा रहे हैं। चौथी योजना की अवधि में लगभग 6000 व्यक्तियों के प्रशिक्षण प्राप्त करने की आशा है। प्रशिक्षण पूरा करने पर इन व्यक्तियों की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम रूप में दिए गए जा रहे ऋणों के ब्याज-दर में आर्थिक सहायता देने की एक

अन्य स्कीम विचाराधीन है। इन दो स्कीमों के लिए चौथी योजना में 3 करोड़ रुपय की व्यवस्था की गई थी जबकि 1970–71 में लगभग 9.5 लाख रुपये व्यय किए गए। 1971–72 में प्रशिक्षण स्कीम के लिए 30 लाख रुपये और ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता की स्कीम के लिए 10 लाख रुपए का संशोधित अनुमान है, 1972–73 में क्रमशः इन दो स्कीमों के लिए 50 लाख रुपये तथा 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

19. 1972–73 में, विशेष रोज़गार की स्कीमों के लिए 60 करोड़ रुपये का आवंटन करने का विचार है। इसमें से, 1971–72 में प्रारम्भ किए गए शिक्षित बेरोज़गारों के कार्यक्रमों को चलाने के लिए लगभग 13 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इस वर्ष, विशेष रोज़गार की स्कीमों को तैयार करने के लिए लगभग 47 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इस राशि के एक भाग का उपयोग, इंजीनियरों, शिल्पवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कार्मिकों को रोज़गार तथा प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने में किया जायेगा। इन स्कीमों में ये कार्य शामिल होंगे—अनुसंधान तथा विकास के प्रयासों में तेजी लाना, राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करना, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का प्रौद्योगिकी आधार और कार्मिकों को सुदृढ़ करना, देशी और आयात की जाने वाली दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन। ये स्कीमें उनके अलावा होंगी जिनका विवरण पहले दिया जा चुका है। बाकी राशि विभिन्न राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों में वितरित करने का विचार है। बेरोज़गारी संबंधी विशेषज्ञ समिति (भगवती समिति) ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। योजना आयोग द्वारा गठित एक अन्तःमंत्रालय दल द्वारा इस समय इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है, ताकि केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सके। साथ-साथ, राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे योजना आयोग द्वारा उन्हें सुझाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विशेष रोज़गार के कार्यक्रमों को तैयार करें। मंशा यह है कि राज्य सरकारें उतनी मात्रा में अतिरिक्त संसाधन जुटा लेंगी जितने की केन्द्रीय अंशदान के लिए उन्हें आवश्यकता है।

20. रोज़गार देने के लिए नई प्रकार की स्कीमें पहले ही आरम्भ कर दी गई हैं और जो स्कीमें 1972–73 में प्रस्तावित हैं उनसे 3.5 लाख से अधिक काम के इच्छुक शिक्षित व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की आवश्यकता है।

अध्याय 6

प्रारम्भिक शिक्षा

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में राज्यों को व्यादेश है। इसलिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई हैं। किन्तु, सभी को शिक्षा देने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत से प्रयत्न करने हैं। यह स्पष्ट है कि सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हुई है, ऐसा 1971 में हुई जनगणना से मालूम हुआ है।

2. सभी को प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए यह आवश्यक है कि तीन प्रकार के सु-समन्वित कार्य किये जायें। देश के सभी भागों में बहुत से स्कूल स्थापित करने होंगे, ताकि प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूल सुलभ हो सके। इससे यह कि स्कूल स्थापित करने के बाद यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उसमें केवल 6 से 14 आयु वर्ग तथा उस क्षेत्र के आसपास के बच्चों की भी प्रवेश मिले। अन्त में एसे कदम अवश्य उठाए जाएं जिससे कि दाखिल हुआ प्रत्येक बच्चा कम से कम 4 से 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करे ताकि वह फिर से निरक्षर न बन जाये।

3. द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण से पता चला कि 1965-66 में लगभग 95 प्रतिशत ग्रामीण जनता को प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5 तक) तथा लगभग 85 प्रतिशत को माध्यमिक कक्षाओं (6 से 8 तक) की सुविधायें प्रदान की गयीं। चूंकि स्थिति में निरन्तर सुधार हुआ है, अतएव यह बड़ी सरलता से माना जा सकता है कि प्रत्येक ग्रामीण बच्चे के लिए केवल एक मील की दूरी पर स्कूल उपलब्ध है। वर्तमान मानक के अनुसार माध्यमिक स्कूल तीन मील की दूरी पर हो सकता है और माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए विशेषकर लड़कियों के लिए आना-जाना सदैव सुविधाजनक नहीं हो सकेगा अतएव देश में और अधिक माध्यमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता है।

4. चौथी योजना के प्रारम्भ में 554.9 लाख बच्चे, 349.2 लाख लड़के तथा 205.7 लाख लड़कियां प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5) में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यह 6 से 11 वर्ष की आयु की जनसंख्या का 77.3 प्रतिशत था। इस आयु वर्ग में लड़कों की जनसंख्या का लगभग 95.2 प्रतिशत स्कूलों में था जबकि इसी आयु

वर्ग में लड़कियों का प्रतिशत 58.5 प्रतिशत था। जहां तक 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का संबंध हैं 122.7 लाख बच्चे माध्यमिक कक्षाओं—6 से 8 तक में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जिनमें 87.6 लाख लड़के तथा 35.1 लाख लड़कियां थीं। इस प्रकार दाखिल होने वालों की कुल प्रतिशत 32.3 थी जिनमें से लड़कों की प्रतिशत 45.4 तथा लड़कियों की प्रतिशत 18.8 थी।

5. इसलिए लड़के तथा लड़कियों के बीच जो दाखिलों की असमानता है इसको दूर करने की तुरन्त आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के दाखिलों की दर में भी ऐसी ही भारी असमानताएं है। केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा तमिलनाडु में 6 से 11 वर्ष की आयु के कुल दाखिले 90 प्रतिशत से अधिक थे, किन्तु बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी आयु वर्ग के कुल दाखिले 60 प्रतिशत से भी कम थे। 11 से 14 के आयु वर्ग में बिहार में दाखिले 20 प्रतिशत और केरल में 69 प्रतिशत थे। इस सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय असमानताएं भी हैं। प्रत्येक राज्य में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए कुछ एक जिले तथा जातियां विशेषकर अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां भी हैं।

6. प्राथमिक शिक्षा में अत्यधिक गतिरोध और अपव्यय एक गम्भीर समस्या है तथा इसका प्राथमिक शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कक्षा एक में जो 100 बच्चे प्रवेश लेते हैं तो उनमें से केवल 40 बच्चे कक्षा 4 में अपनी शिक्षा जारी रखते हैं। इसका कारण कुछ अंश तक सामाजिक–आर्थिक तथा कुछ अंश तक शिक्षा पद्धति में कमियों का होना है। इस तरह मध्याह्न भोजन तथा पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों की आर्थिक बाधाएं कुछ हद तक दूर की जा सकती हैं। लेकिन शिक्षा–पद्धति की कमियों की दूर करना कहीं अधिक मुश्किल है, क्योंकि यह कई एक बातों पर निर्भर करता है—जैसे शिक्षकों की पढ़ाने की योग्यता को बढ़ाना, स्कूलों के लिए उपयुक्त स्थान तथा उपकरण प्रदान करना, पाठ्यक्रमों में सुधार, पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षा देने के तरीके में सुधार करना आदि। जहां तक शिक्षा के गुण में सुधार करने का सम्बन्ध है, वह प्रशासनिक कुशलता तथा राज्यों, जिलों और खण्डस्तरों पर निरीक्षण करने वाले अभिकरणों पर अधिक निर्भर करेगा।

7. इस पृष्ठभूमि के आधार पर चौथी योजना में निम्नांकित कुछ विकास परिकल्पित किये गये हैं:—

(1) 6 से 11 तथा 11 से 14 वर्ष के आयु के दाखिलों में क्रमशः लगभग 138 लाख और 54.6 लाख की वृद्धि होगी तथा स्कूलों की प्रतिशतता क्रमशः 85.3 और 41.3 हो जाएगी ;

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के और अधिक लड़के तथा लड़कियों को दाखिल किया जायेगा। पिछड़े क्षेत्रों में सुविधाएं जुटाने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी ;

(3) राज्यों में शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित जो असमानताएं हैं उनको दूर किया जायेगा ;

(4) चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार भवनों तथा उपकरणों की कमियों को दूर किया जायेगा।

8. चौथी योजना में शिक्षा के लिए 824.24 करोड़ रूपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें से 234.74 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए तथा इसी राशि में से केवल 6.73 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजना के लिए तथा 228.01 करोड़ रुपये की बाकी राशि राज्यों तथा संघ शासित योजनाओं के लिए रखी गई है। योजना आयोग ने सभी राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए परिव्ययों की निर्धारित कर दिया है ताकि निर्धारित प्रयोजन से किसी अन्य क्षेत्र में परिव्यय लगाने की किसी भी सम्भावना का निराकरण किया जा सके।

9. चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की प्रगति में निम्नलिखित विशेषताएं देखने में आती है :--

(1) जहां योजना के प्रथम 3 वर्षों में शिक्षा पर कुल परिव्यय का 44.9 प्रतिशत अनुमानित व्यय होना था वहां इसी अवधि में प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में केवल 37.7 प्रतिशत व्यय होगा।

(2) चौथी योजना में 1 से 5 तक की कक्षाओं में 138 लाख बच्चों के कुल दाखिल होने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है किन्तु इन कक्षाओं में लड़कियों के लक्ष्य में दाखिले में कमी आने की सम्भावना है।

(3) 6 से 8 तक की कक्षाओं के प्रवेश में काफी कमी हो सकती है।

(4) दाखिले की प्रगति में राज्यों से विभिन्नता रही है तथा कुछ राज्यों में मुख्यतः वित्त के अपर्याप्त नियतन के कारण दाखिले में काफी कमी आई है।

(5) मध्याह्न भोजन स्कीम के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।

(6) इस संबंध में जितने दाखिले हुए हैं उनके अनुरूप प्रारम्भिक शिक्षा में धन नहीं लगाया गया है, अतएव शिक्षा व बच्चों के अनुपात में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

. . . . . .

(7) पढ़ाने के कमरों के निर्माण करने में कोई पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

10. संघ-सरकार द्वारा, यह निर्णय लिया गया है कि मध्यावधि मूल्यांकन से सामने आई कुछ मुख्य कमियों को दूर किया जावे। केन्द्र उन असंतुलनों को जिन्हें अकेला राज्य अपने प्रयत्नों से दूर नहीं कर सकता, दूर करने के लिए जोरदार प्रयत्न करेगा। तद्नुसार, 1971–72 के शिक्षित बेरोजगारी के कार्यक्रम के अन्तर्गत एक केन्द्रीय स्कीम तैयार करने का विचार किया गया था। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(1) राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को राज्य की वार्षिक योजना की सीमा में 30,000 शिक्षकों के लगाए जाने की संस्वीकृति दी गई थी। शिक्षकों के नियतन में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों तथा इसके बाद शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों पर अधिक बल दिया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में से जो बच्चे 1 से 8 तक की कक्षाओं से नहीं जा रहे हैं उनकी 1973–74 के लिए अनुमानित प्रतिशत के आधार पर सात राज्य तथा एक संघ-शासित क्षेत्र पिछड़े हुए निर्धारित किए गये हैं। ये हैं—राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा अरूणाचल प्रदेश। वर्तमान स्कीमों के अन्तर्गत मंजूर किये गये अतिरिक्त शिक्षकों में से दो तिहाई शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी है, जो कि इन क्षेत्रों में स्कूल न जाने वाले बच्चों के समानुपात में है। अतिरिक्त शिक्षकों में से एक तिहाई शिक्षकों को सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में बांट दिया गया है जोकि दसवीं तथा उससे ऊंची अर्हताओं वाले बेरोजगार व्यक्तियों के समानुपात में है।

(2) इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत शिक्षकों के कार्य का निरीक्षण करने के लिये स्कूलों के 240 सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई थी। 125 शिक्षकों के पीछे एक निरीक्षक रखे जाने की अनुमति दी गई है। इसमें सहायक निरीक्षक उच्चतम निरीक्षण करने में समर्थ हो सकेंगे और साथ ही दाखिलों में वृद्धि करने के लिए तथा स्कूल में अत्यधिक बच्चे लाने के लिए समुदाय से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।

(3) इस स्कीम के अन्तर्गत जिन 9 लाख अतिरिक्त बच्चों के दाखिल किए जाने की संभावना थी, उनमें मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण के लिए स्वीकृति दे दी गई थी। इसके साथ साथ 8.6 लाख बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां पर यह स्कीम अभी तक लागू नहीं की गयी मध्याह्न भोजन के लिए भी व्यवस्था की गई। ये दो उपाय, अनुसूचित

जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा आर्थिक दृष्टि से अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेंगे।

(4) देश में 1,000 माध्यमिक स्कूलों में कार्य-अनुभव के कार्यक्रम की आरम्भ करने के लिए 1,000 शिक्षकों को नियुक्त करने तथा आवश्यक उपकरणों को खरीदने के लिए मंजूरी दी गई थी। शिक्षित बेरोजगारों की दुर्दशा का एक कारण यह भी है कि दैनिक जीवन में जिस सामान्य कौशल की आवश्यकता है उससे वे अनभिज्ञ हैं। जैसा कि कोठारी आयोग द्वारा सुझाया गया था। स्कूलों में कार्यानुभव के कार्यक्रम को आरम्भ करके उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। यह एक दीर्घावधि कार्यक्रम है, और इस की सफलता विशेषतः समुचित प्रशिक्षित निरीक्षकों, उपकरणों तथा कर्मशालाओं (वर्कशेड) की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम से कृषि स्नातकों, आई० टी० आई० तथा बहुशिल्प (पालिटेकनिकल) प्रशिक्षित युवकों, जो कार्य की तलाश में हैं, को निरीक्षक के रूप में रोजगार मिल सकता है। 1971-72 में केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत 4.42 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई थी। यह राशि वित्तीय वर्ष के अन्तिम 4 महीनों के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई थी।

11. राज्यों को निम्नलिखित मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त भेजे गये थे :—

(1) इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता केवल तभी ही उपलब्ध होगी यदि राज्य तथा संघशासित क्षेत्र वार्षिक योजनाओं में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्धारित परिव्ययों का पूर्ण उपयोग कर लें।

(2) केन्द्रीय सहायता का उपयोग मुख्यतया पिछड़े जिलों में प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार में वृद्धि करने के लिए किया जायेगा।

(3) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता तथा जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में अधिकारियों तथा गैर-अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिये।

(4) इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्थानीय व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को भी प्राथमिकता दी जायेगी। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों तथा अन्य दुर्गम स्थानों में स्थित स्कूलों का सम्बन्ध है, उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो सामान्यतया उन्हीं क्षेत्रों के रहने वाले हों, चाहे वे सामान्यतः सबसे कम अर्हता पूरी भी न कर सकें।

(5) (क) जिन गांवों में अभी तक स्कूल नहीं हैं उनमें खोले गये नये प्राथमिक स्कूलों, (ख) उन वर्तमान स्कूलों के लिए जिनमें शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बहुत अधिक है---1 : 40 तथा इससे अधिक, तथा (ग) जिन क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूल पर्याप्त नहीं हैं उनमें प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर, बनाए गए साध्यमिक स्कूलों को, इस स्कीम के अन्तर्गत शिक्षकों के नियतन में प्राथमिकता दी जायेगी ।

12. 1972-73 में विशेष कल्याण योजनाओं के लिए समग्र नियतन के अन्तर्गत शिक्षा के लिए एक अलग केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। निम्नांकितों के लिए व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) 1971-72 में आरम्भ किए गये सम्पूर्ण कार्यक्रम को जारी रखने के लिए पूरे वर्ष में 12 करोड़ रुपये की लागत होगी ।

(2) 1971-72 में आरम्भ किए गये कार्यक्रम को दुगना किया जाना चाहिए अर्थात् 1971-72 वाली शर्तों के आधार पर 1972-73 के दौरान 30,000 अतिरिक्त शिक्षक, 240 अतिरिक्त निरीक्षक, पुस्तकों के लिए अनुदान, मध्याह्न भोजन और कार्य-अनुभव के लिए शिक्षकों की स्वीकृति की जानी चाहिए। चूंकि नई नियुक्तियां केवल 9 महीनों की अवधि के लिए होगी इसलिए वर्ष में लगभग 9 करोड़ रुपये व्यय हो जाएंगे ।

(3) शेष 9 करोड़ रुपये कक्षा कमरों के निर्माण के लिए राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों को सहायता देने के लिए अलग मे रखे जा सकेंगे ।

13. देश में अधिकतर सभी राज्यों में प्राथमिक स्कूलों के भवनों की दशा खराब हैं। जबकि विस्तार तेज प्रगति मे हो रहा है और बढ़ते हुए दाखिलों से निपटने के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं, फिर भी राज्य सरकारों अथवा गांव समुदायों की ओर से अतिरिक्त पढ़ाई के कमरों के निर्माण के लिए कोई भी तद्नुरूप प्रयास नहीं किए गये हैं। बस्ती के अन्दर एक साधारण स्कूल-भवन होने से स्कूल एक आधार बन सकेगा जिसमें अन्य कल्याणकारी गतिविधियों जैसे कि समाज कल्याण विभाग के लिए स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों को भोजन देने से सम्बन्धित कार्यक्रम को चलाना सम्भव हो सकेगा। इस कार्यक्रम में भोजन देने वाले केन्द्रों के लिए उपयुक्त स्थान न होने के कारण इस समय गम्भीर रुकावट आ गयी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल के कमरों के लिए 9 करोड़ रुपये की राशि को अलग से रख दिये जाने का प्रस्ताव है । निर्माण की आधी लागत को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता से पूरा किया जायेगा तथा बाकी लागत राज्य सरकारों और अथवा समुदाय द्वारा प्रदान की जायेगी। जनजातिय क्षेत्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा शहरी गन्दगी बस्तियों में पढ़ाई के कमरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी ।

14. इस नयी स्कीम द्वारा चौथी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में निम्नलिखित रूप से कार्य किए जाने की आशा है :—

(1) विभिन्न राज्यों के बीच शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में जो असमानताएं हैं उनको कम किया जायेगा। राज्यों में पिछड़े जिलों में और अधिक स्कूलों की व्यवस्था की जायेगी। माध्यमिक कक्षाओं अथवा प्राथमिक कक्षाओं से ऊपर वाली कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि की जायेगी। इस प्रकार यह स्कीम संविधानिक निदेश को जल्दी ही पूरा करने में सहायक होगी ।

(2) पिछड़े क्षेत्रों में सुविधायें जुटाने की व्यवस्था तथा मध्याह्न भोजन और मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के लिए की जा रही पर्याप्त व्यवस्था पर बल दिए जाने को दृष्टि- गत रखते हुए यह आशा की जाती है कि नये दाखिले होने वालों में अधिक संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियां की होगी। इस स्कीम से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा ।

(3) यह स्कीम शिक्षकों तथा बच्चों के अनुपात को सुधारने तथा 1972-73 तक लगभग 2,000 स्कूलों में कार्य अनुभव आरम्भ होगा। के अन्त लगभग 30,000 अतिरिक्त पढ़ाई के कमरे बनाए जायेंगे। ये शिक्षा के गुण में सुधार तथा अपव्यय को कम करेंगे ।

(4) 1972-73 के दौरान इस स्कीम से 30,000 शिक्षकों, 240 सहायक निरीक्षकों तथा 1,000 कार्य-अनुभव वाले शिक्षकों को रोजगार मिल सकेगा ये रोजगार, में इसी तरह के सृजित रोजगार के अतिरिक्त होंगे । 30,000 कक्षा के कमरों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा ।

अध्याय 7

पोषाहार कार्यक्रम

पोषाहार कार्यक्रम में इस बात पर विचार किया गया है कि अधिक खाद्य-सामग्री की व्यवस्था करना पोषण की दिशा में प्रथम पग हैं । पशु पालन और मत्स्य पालन के विकास के साथ कृषि के विकास के राष्ट्रव्यापी प्रयत्न को पोषाहार के समस्त प्रयासों का आधार समझा जाना चाहिए। जनता की कुछ पिछड़ी श्रेणियों, विशेषतः बच्चों और धाय और गर्भवती महिलाओं में व्याप्त कुपोषण का अभी भी समाधान होना शेष है।

2. सम्पूर्ण पोषाहार प्रयासों के एक अंश के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 39 योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा। इन महत्वपूर्ण भोजन कार्यक्रमों में स्कूल के बच्चों को दोपहर का खाना, स्कूल जाने की आयु से पूर्व के बच्चों को विशेष पोषाहार कार्यक्रम, गर्भणियों और धाय माताओं तथा बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम, सामुदायिक विकास तथा समाज कल्याण विभाग के प्रायोगिक पोषाहार कार्यक्रम और संकलित पोषाहार कार्यक्रम शामिल हैं । ऐसा अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों पर 300 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। समाज कल्याण विभाग के विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए 1971-72 के 10 करोड़ रुपये की तुलना में 1972-73 के बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। बालाहार के उत्पादन के लिए 1971-72 के 122 लाख रुपये की तुलना में 1972-73 में 140 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। जैसा कि अनुबन्ध 1 में दिखाया गया है कि 1971-72 के समस्त पोषाहार कार्यक्रमों में कुल 18 करोड़ रुपये का परिव्यय है किन्तु 1972-73 में यह परिव्यय बढ़कर 30 करोड़ रुपये हो जायेगा ।

3. समाज कल्याण विभाग ने जन-जाति क्षेत्रों तथा नगरों तथा कस्बों की गंदी बस्तियों में रहने वाले स्कूल जाने से पूर्व आयु के 0—6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक विशेष पोषाहार कार्यक्रम तैयार किया है । यह योजना 1970-71 में शुरू की गई थी । उस समय 4 करोड़ रुपये के परिव्यय द्वारा इस योजना को 6·8 लाख, 3·4 लाख जन-जाति क्षेत्रों के तथा 3.4 लाख गन्दी बस्तियों के बच्चों पर लागू करना था। 1971-72 में इस कार्यक्रम में विस्तार करके इसमें जन-जाति विकास खण्डों, नगरों की गन्दी बस्तियों और एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सम्भावित तथा धाय माताओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है। ऐसा अनुमान था कि 1971-72 के दौरान इस कार्यक्रम को 20 लाख लाभ प्राप्तकर्ताओं पर लागू किया जा सकेगा। 1972-73 के दौरान

30 लाख लाभ-प्राप्तकर्ताओं पर इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार अत्यधिक जरूरतमंद चिरकाल से सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर इस योजना को लागू किया जा रहा है। 1972-73 में इस कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम की निम्नानुसार पुनर्स्थापना की जा रही है :—

(1) विशेष भोजन कार्यक्रम को स्वास्थ्य अनुरक्षण, निरापदता, पोषाहार, शिक्षा और बाल कल्याण सेवाओं के एक समुचित संकलित प्रयास से दृढ़ किया जायेगा। ऐसी गुणात्मक उन्नति देश के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में चुने हुए प्रयोगों के माध्यम से की जायेगी।

(2) सरकारी और स्वयंसेवी दोनों प्रकार की आधारभूत सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग किया जायेगा। जहां कहीं कार्यक्रम के और अधिक विकास के लिए संगठनात्मक आधार की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वहां बुनियादी आधार के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे।

(3) योजना आयोग द्वारा गठित एक अन्तर विभागीय दल द्वारा अध्ययन करने के पश्चात्, छोटे बच्चों को सम्पूरक सेवाओं के लिए खण्ड/ग्राम स्तर पर प्रशासनिक और कार्यात्मक नमूनों का विकास किया जायेगा।

4. लाभ-प्राप्तकर्ताओं के लिए निम्नलिखित खाद्य की पूरक मदें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है :—

(1) 0—1 वर्ष तक के शिशुओं के लिए	दूध और अर्ध-भारी तत्वों से सुसंगत भोजन और एक वर्ष में 300 दिन के लिए 200 कैलोरिया और 12 ग्राम प्रोटीन तिदिन।
(2) 1—6 वर्ष वर्ग के बच्चे	एक वर्ष में 300 दिन के लिए 300 कैलोरिया और 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की दर सर देने वाला साधित या तैयार भोजन।
(3) गर्भवती महिलायें	500 कैलोरिया तथा 16—20 ग्राम प्रोटीन युक्त साधित/तैयार भोजन और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन फोलिक अम्ल और लौह तत्व तथा प्रति दूसरे दिन बहु-विटामिन गोलियां।
(4) दूध पिलाने वाली महिलाएं	500 कैलोरियों तथा 20—25 ग्राम प्रोटीन युक्त साधित/तैयार भोजन तथा प्रति दूसरे दिन बहु-विटामिन गोलियां।

पोषाहार कार्यक्रम

5. चौथी पंचवर्षीय योजना में पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिसम्बर, 1970 में किया गया था। इस योजना को भारतीय बाल कल्याण परिषद्, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि 1970-71 के अन्त तक 19,000 बच्चों को इस योजना से लाभ पहुंचेगा। 1972-73 के लिए 1.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस भोजन कार्यक्रम की प्रति बालक लागत 25 पैसा प्रति दिन है, इसमें ईंधन तथा अन्य मदों की लागत, जो स्थानीय अंशदान द्वारा पूरी की जाती है, भी सम्मिलित है। योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों के लिए पोषक भोजन के दोनों कार्यक्रमों को संयुक्त कर दिया जाय।

स्कूलों में भोजन की व्यवस्था

6. चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन का कार्यक्रम केन्द्र की सहायता से राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा स्कूली बच्चों को एक शैक्षिक वर्ष में 200 दिन दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। आजकल इस कार्यक्रम पर असम, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा नागालैंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में अमल किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 117.5 लाख है। चौथी योजना अवधि में 1.4 करोड़ लाभ प्राप्तकर्ताओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यों द्वारा 1971-72 में इस योजना के लिए किया गया कुल परिव्यय लगभग 6.4 करोड़ रुपये था।

पोषक-खाद्य का उत्पादन बालाहार

7. संशोधित चौथी योजना में 2.5 लाख मीट्रिक टन बालाहार का उत्पादन करने के लिए 7.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है। 1972-73 के लिए 140 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, 1972-73 में मुख्यतः स्कूलों में भोजन देने के कार्यक्रमों के लिए 55,000 मीट्रिक टन बालाहार के उत्पादन का कार्यक्रम है। यह प्रतिबिम्बित करता है कि पूरक भोज्य पदार्थों में प्रयुक्त खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश कितना प्रयत्नशील है।

दूध-छुड़ाई खाद्य

8. दूध छुड़ाने वाले खाद्य की तुलना पोषक गुणों की दृष्टि से बालाहार से की जा सकती है। परन्तु इसमें एक लाभ यह है कि यह पहले से ही पकाया हुआ होता है तथा अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। यूनिसैफ और संयुक्त राज्य सहायता द्वारा कैरा जिला

दुग्ध सहकारी एकक, आनन्द के सहयोग से कम लागत का पहले से ही पकाया हुआ दूध छुड़ाने वाला खाद्य तैयार करने के लिए एक यूनिट का विकास किया गया है। वार्षिक योजना में इस उत्पादन के विपणन से संबंधित अध्ययन को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रोटीन रहित टोंड दूध

9. इस परियोजना का उद्देश्य प्रोटीन रहित टोंड दूध के प्रयोग को प्रोत्साहित करना और देश में दूध की पूर्ति को बढ़ाना तथा उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार दुग्धशाला और केन्द्रीय खाद्य-प्रौद्योगिक संस्थान, मैसूर के सहयोग से टोंड दूध का उत्पादन बंगलौर में प्रारम्भ किया जा चुका है। इसमें 500 लीटर दूध के प्रतिदिन आरम्भिक उत्पादन को बढ़ाकर 1,000 लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। दो और केन्द्रों पर उत्पादन एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है। 1972-73 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

10. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दुर्बल वर्गों के पोषाहार कार्यक्रम में निम्नलिखित योजनाएं सम्मिलित हैं :—

(क) विटामिन 'ए' की कमी

अंधेपन को रोकने के लिए एक वर्ष से 5 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले बच्चों को छः महीनों में एक बार विटामिन 'ए' की भारी मात्रा दी जाती है। 1970-71 के दौरान 7.34 लाख रुपये की कुल लागत से विटामिन 'ए' नुस्से की लगभग 48 लाख खुराकें प्राप्त की गईं। 1972-73 में इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) पोषाहार और खून की कमी

यह योजना मातृ एवं बाल कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के माध्यम से संभावित माताओं तथा बच्चों में पोषाहार के अभाव में रक्त की कमी को फैरस सल्फेट (लौह) और फोलिक अम्ल के उपयोग द्वारा रोकने से सम्बन्धित है। 1972-73 में इस योजना के लिए 60 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) पूरक आहार

वर्तमान में केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने इन आहार योजनाओं की कार्न साया दूध के साथ स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से व्यवस्था की है। प्रत्येक लाभ प्राप्तकर्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में, जैसे कि खांड से मीठा किया गया दलिया या उप्पमा 80 ग्राम सी०एस०एम० और 8 ग्राम सलाख तेल दिया जाता है। तमिलनाडु में इस कार्यक्रम से 20,000 लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। केरल में लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 1.4 है।

अनुबन्ध 1

1972-73 की वार्षिक योजना के लिए सिफारिश की गई पोषाहार योजनाओं की व्यवस्था

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	योजना	1971-72 के अनुमान	1972-73 की वार्षिक योजना
0	1	2	3
	खाद्य विभाग		
1	मूंगफली के आटे तथा सोयाबीन से बनने वाले पदार्थों का उत्पादन . . .	20.00	20.00
	(क) उज्जैन में विलायन निस्सारण संयंत्र (सोलवेन्ट एक्सट्रैक्शन प्लांट) की खरीद . .	—	—
	(ख) पन्त नगर में सोयाबीन उत्पादनों के विकास के लिए एक पायलट-संयंत्र की स्थापना . .	10.00	—
2	प्रोटीन रहित टोण्ड दूध के लिए संयंत्र . .	10.00	15.00
3	नमक का पुष्टीकरण	4.00	3.00
4	सचल खाद्य और पोषाहार विस्तार केन्द्र . .	12.50	15.00
5	कैटरिंग तकनीकी संस्थान और व्यावहारिक पोषाहार .	18.20	20.00
6	अनुसंधान योजना . . .	0.50	4.00
7	बालाहार और कम लागत के प्रोटीन भोजन का उत्पादन .	122.60	140.00
8	फल उत्पादन तथा शीत भंडारण . . .	2.00	5.00
9	मूंगफली से मक्खन का उत्पादन . . .	—	—
10	गेहूं का पुष्टीकरण	24.60	40.00
11	दृश्य-श्रव्य सहायता एवं प्रचार . . .	2.92	10.00
12	स्वयं सेवी अभिकरणों के माध्यम से विस्तार कार्य .		

अनुबन्ध 1 (जारी)

0	1	2	3
13	दुग्ध छुड़ाई खाद्य का उत्पादन	10.00	5.00
14	सामुदायिक फलों को डिब्बों में बन्द करने और संरक्षण करने वाले केन्द्र	11.40	15.00
15	मोर्डन बेकरी के वाणिज्यिक श्रोतों के माध्यम से पोषाहार शिक्षा	5.00	—
16	कपास के बीजों का आटा	—	3.00
17	मक्का, दालों तथा मोटे अनाजों पर प्रक्रिया	1.25	—
18	खाद्य तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र	1.00	9.00
19	रोटियों का पुष्टीकरण	—	—
20	पोषाहार भोजन सर्वेक्षण	—	3.00
21	पोषाहारों की लोकप्रियता से सम्बन्धित अध्ययन	1.00	2.00
22	मूंगफलियों को सुखाना और एफ्लेटोक्सीन का नियंत्रण	—	1.58
23	पारम्परिक तकनीकी के माध्यम से कम लागत के भोजन का उत्पादन	—	0.86
24	(क) प्रयोगशालाओं की प्रमोन्नति (ख) निदेशन सम्बन्धी व्यय	6.44	7.53
	जोड़	263.41	318.97
सामुदायिक विकास विभाग			
1	व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम	225.00	195.00
2	स्त्रियों तथा स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों के लिए संयोजित कार्यक्रम		
	(1) महिला मंडलों के माध्यम से पोषाहार शिक्षा[1]		
	(2) महिला कार्यक्रमों से सम्बन्धित सर्वेक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना[1]		
	(3) वाणित भोजन (4) महिला मंडलों द्वारा आर्थिक गतिविधियों का विस्तार	50.00	83.00
	(5) सहायक महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	4.00	4.00
	जोड़	279.00	282.00

[1]ये योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

अनुबन्ध 1 (जारी)

0)	1	2	3
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग		
1	मुख्य खाद्य पदार्थों के विटामिनों और खनिजों द्वारा पुष्टिकरण की व्यवहार्यता परीक्षा . . .	0.44	3.00
2	राज्य पोषाहार कार्यालय के माध्यम से पोषाहार शिक्षा के लिए पायलट परियोजना	—	1.00
3	माताओं और बच्चों में पोषक रक्त की कमी को रोकने के लिए रोग निरोधक कार्य	40.00	60.00
4	विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों को होने वाले दृष्टि-हीनता को रोकने के लिए . . .	8.00	20.00
	जोड़	48.44	83.10
	शिक्षा विभाग		
11	स्कूलों में भोजन व्यवस्था	106.00[2]	104.87[2]
	सामाज कल्याण विभाग		
1	बालवाड़ियों के माध्यम से स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को पोषाहार भोजन	102.00	
2	0—6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए तथा गन्दी बस्तियों और जनजाति क्षेत्रों में रह रही संभावित और धाय माताओं के लिए विशेष पोषाहार[3] . .	1000.00	2150.00
	जोड़	1102.00	2150.00
	1972-73 की वार्षिक योजना में शामिल की गई खाद्य विभाग की नई योजनाएं		
1	भारतीय खाद्य निगम द्वारा यूनिसेफ की सहायता से स्थापित किया जाने वाला सोयाबीन प्रक्रिया संयंत्र . .	—	15.00
2	पोषणधन (न्यूटरीक्यूब) विकास और परीक्षण . .	—	5.00

[2] राज्य सरकारों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में प्रस्तावित ।

[3] यह योजना चौथी योजना के कागजातों में सम्मिलित नहीं की गई थी । अब इसको सम्मिलित किया जा रहा है ।

अनुबन्ध 1 (जारी)

0	1	2	3
3	साबूदाने से दूध छुड़ाने वाले भोजन का उत्पादन और विकास तथा परीक्षण	—	2.00
4	चाय का पुष्टीकरण	—	0.50
5	एक्सट्रूडर पकाने की प्रक्रिया . . .	—	10.00
6	तमिलनाडु पोषाहार अध्ययन . . .	—	4.00
	जोड़	—	36.50
	कुल जोड़	1798.85	2975.44

अध्याय 8

नगर विकास, आवास तथा गन्दी बस्तियों का सुधार

1971 की जनगणना से पुनः स्पष्ट हो गया है कि भारत में नगरीकरण निरन्तर कितना विस्तार पा रहा है। 1961 से 1971 के दशक में आबादी 790 लाख से बढ़कर 1019 लाख हो गई है। इस प्रकार वृद्धि की दर लगभग 38 प्रतिशत पहुंच गई है। इस अवधि के दौरान, नगरीय आबादी कुल आबादी की तुलना में 18 से 20 प्रतिशत तक बढ़ी। 100,000 तक इससे अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 113 से बढ़कर 142 हो गई है। शहरों की आबादी बढ़ने को रोकने के साथ-साथ शहरी आबादी के लिए जलपूर्ति, स्वच्छता, परिवहन तथा आवास जैसी प्राथमिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

2. कलकत्ता महानगरीय जिला, बृहत बम्बई, मद्रास महानगरीय क्षेत्र तथा दिल्ली के मामले में समेकित महानगरीय योजना पहले ही आरम्भ की जा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार लगभग 10 से 15 लाख की आबादी के लिए थाना क्रीक के आस-पास दो अन्तः सम्बन्ध शहरों का विकास कर रही है। दिल्ली के बाह्य अंचल में फरीदाबाद तथा गाजियाबाद के विकास में हरियाणा और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार मद्रास के आस-पास 3 उपनगर बसाना चाहती है।

3. नगर विकास तथा संसाधन जुटाने के उपायों दोनों दृष्टि से बड़े शहरों में भूमि बड़े पैमाने में अर्जन तथा विकास को उच्च अग्रता दी जा रही है। चौथी योजना में अनर्जित आय के बढ़ने के बड़े साधनों में से एक के रूप में शहरी भूमि के मूल्यों को बढ़ाने की उक्ति दी गई है। इन साधनों को सामाजिक उद्देश्यों के लिए जुटाना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में कुछ काम किया है और अन्य राज्यों को इसी प्रकार की व्यवस्था करने पर विचार करना होगा।

कलकत्ता

4. कलकत्ता महानगरीय जिले की शहरी समस्या इतनी बड़ी है कि कलकत्ता के विकास को उच्चतम प्राथमिकता देनी होगी। पश्चिमी बंगाल की पंचवर्षीय योजना में, जलापूर्ति, जल-मल विकास, जल निकासी, परिवहन तथा बस्ती सुधार के लिए 42.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस शहर की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया था कि योजना अवधि में यह व्यवस्था कुछ खर्चे बाद 160 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिये। बढ़े हुये खर्चे की पूर्ति, कर लगाकर अतिरिक्त साधनों, बाजार-ऋण तथा केन्द्र की विशेष सहायता से की जा रही है। कलकत्ता

महानगरीय विकास प्राधिकरण अपने काम में तेजी ला रहा है । 1969-70 में कुल व्यय 3.14 करोड़ रुपये रहा । 1970-71 में यह बढ़कर 10.53 करोड़ रुपये हो गया । 1971-72 के दौरान 35 से 40 करोड़ रुपये के आसपास खर्च होने की संभावना है । इस प्रवृत्ति से यह विश्वास करने के कारण है कि योजना अवधि के दौरान 160 करोड़ रुपये के बढ़ाये गये योजना लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे ।

आवास तथा नगर विकास निगम

5. 1970-71 में जो अन्य काम शुरू किया गया है वह केन्द्रीय आवास तथा नगर विकास निगम की स्थापना है । योजना में आवास तथा नगर विकास निगम (एच०यू०डी०सी०ओ०) के शेयर पूंजी (ईक्वटी कैपीटल) के रूप में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निगम, वित्तीय संस्थानों तथा बाजार ऋण के अंशदान से एक आवर्ती निधि की व्यवस्था करेगा। जीवन बीमा निगम ने भी निगम को 10 करोड़ रुपये का ऋण देने का कार्य हाथ में लिया है। यह जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए प्रत्यक्ष आवास ऋण के अतिरिक्त होगा। आशा है कि यह ऋण 1972-73 में वापिस किया जायेगा । वर्ष 1971-72 के दौरान निगम 4 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी (ईक्वटी कैपीटल) के रूप में प्राप्त करने के अलावा 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पत्रों की व्यवस्था भी की । इसने विभिन्न राज्यों में 62.45 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत की आवास तथा नगर विकास की 12 मिश्रित स्कीमों को स्वीकृत किया है और विभिन्न कार्यान्वियन प्राधिकरणों की वित्तीय आवश्यकता अनुसार उपयुक्त किश्तों पर ऋण के रूप में 34.86 करोड़ रुपये देने का कार्य हाथ में लिया है। 1971-72 में 6.5 करोड़ रुपये की राशि पहले ही मुक्त की जा चुकी है । आवास तथा नगर विकास निगम की नीति नगर विकास की उन मिश्रित स्कीमों को, जिनमें गन्दी बस्तियों का उन्मूलन तथा सुधार का काम भी शामिल है को वरीयता देने की है । ऐसी स्कीमों को दी जाने वाली सहायता पर अपेक्षाकृत कम दर पर ब्याज लिया जायेगा।

गन्दी बस्तियों का सुधार

6. सरकार ने भी यह मान लिया है कि गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों में, जलापूर्ति जल-मल निकास, जल निकासी, गलियों को पक्की करना, गलियों में रोशनी लगाना तथा अनिवार्य स्वच्छता की व्यवस्था जैसे परम-आवश्यकीय परिसरीय सुधार लाने के लिए ठोस तथा प्रत्यक्ष प्रयत्न करने की आवश्यकता है । तद्नुसार कलकत्ता में 1970-71 के बस्ती सुधार के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसके मुताबिक 1972-73 के बजट में एक स्कीम, कलकत्ता सहित 11 शहरों, जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 8 लाख से ऊपर हो, में लागू की जायेगी।

इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 1972-73 में 20 करोड़ रुपये के कार्य क्रमों की आरम्भ करना संभव होगा। राज्य इस धन का उपयोग जहां भी आवश्यक हो गन्दी बस्ती वाले क्षेत्र के अर्जन तथा अधि-रचना की स्कीम के लिए कर सकते हैं। विशेषकर शहरों के विशेष क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। नई स्कीमों से प्राप्त होने वाला धन, गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों के पुनर्विकास तथा गन्दी बस्ती वाली आबादी के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों तथा आवास तथा नगर विकास निगम और जीवन बीमा निगम जैसे संस्थागत संसाधनों से धन में बढ़ोत्तरी करेगा। नई स्कीमों से प्राप्त होने वाली सहायता की व्यवस्था केन्द्र से प्राप्त होने वाले 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में की जायेगी। स्कीम के अन्तर्गत आने वाले 11 शहरों की कुल आबादी 280 लाख है जो कि भारत के नगरों की कुल आबादी का 27 प्रतिशत के लगभग है। इस लिए यह नया काम इस समस्या को सुलझाने में एक ठोस एवं महत्वपूर्ण प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करता है।

निर्बल वर्गों के लिए अन्य आवास स्कीमें

7. राज्य क्षेत्रों के आवास कार्यक्रमों में, औद्योगिक आवास, गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार जैसी आर्थिक सहायता प्राप्त स्कीमें सम्मिलित है। सामान्य तथा इन्हें स्वीकृत उच्चतम सीमा के 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। निर्माण व्यय की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, निर्माण तथा आवास मंत्रालय के द्वारा नियुक्त समिति ने सिफारिश की है कि ऐसी स्कीमों के लिए व्यय की उच्चतम सीमा में संशोधन कर, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। यह संशोधित उच्चतम व्यय गोदी मजदूर बोर्ड के द्वारा संचालित, गोदी मजदूर आवास के लिए केन्द्रीय स्कीमों पर भी लागू होगा। इस योजना में आर्थिक सहायता को 20 से 25 प्रतिशत तथा ऋण की राशि 35 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा कर वित्तीय सहायता की पद्धति को पहले ही सरल बनाया गया है और इस प्रकार गोदी मजदूर बोर्ड का अंशदान का शेयर 45 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो गया है।

ग्रामीण आवास

8. ग्रामीण आवास के क्षेत्र के अन्तर्गत एक ग्रामीण आवास परियोजना चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत मकान के निर्माण के लिए 3,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। जैसा कि गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों के मामले में हुआ है उसी भांति सरकार राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर डाला गया है कि वे गांवों में पर्यावरणीय सुधार के लिए अनुदान देने के लिए इन व्यवस्थाओं में वृद्धि करें।

9. 1971-72 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को मकान के लिए जमीन देने की व्यवस्था के लिए एक केन्द्रीय स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत 1972-73 के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 1972-73 की वार्षिक योजना में भूमिहीन परिवारों को आवंटन के लिए जलपूर्ति, जल निकासी, गलियों को पक्का करने जैसी अनिवार्य सेवाओं सहित 100 से 150 वर्ग गज के भूखण्डों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। आरम्भिक चरणों में, राज्य सरकारों को खण्डवार आधार पर विशिष्ट परियोजनाएं प्रतिपादित करने को कहा गया है। स्कीम में इस बात की भी परिकल्पना की गई है कि राज्य, सहायता उपलब्ध होने से पूर्व इस प्रकार के परिवारों को, आवासीय भूमि का अधिकार प्रदान करने से सम्बन्धित कानून भी बनायेंगे।

10. बागवानी मजदूर ग्रामीण जनसंख्या का एक विशेष अंग है। 1970-71 में बागवानी मजदूर आवास स्कीम राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र में स्थानान्तरित की गई थी, और आर्थिक सहायता को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत करके वित्तीय सहायता की पद्धति को सरल बनाया गया। ऋणों में स्वीकृत व्यय का आधा भाग वहन किया जाता है और बागवानी मालिक को कुल व्यय का केवल ढाई प्रतिशत ही वहन करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रगति संतोषजनक बताई जा रही है। समस्त चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस स्कीम के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि 1972-73 के लिए 75 लाख रुपये रखे गये हैं।

अध्याय 9

ग्रामों में जल-आपूर्ति

पहली पंचवर्षीय योजना में गांवों में जल-आपूर्ति का एक विशेष कार्यक्रम सम्मिलित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता कार्यक्रम 1954 से प्रारम्भ हुआ। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा के लिए ग्रामों के चयन हेतु प्राथमिकताओं के निर्धारण, स्तर तथा प्रतिमानों का निर्धारण, और अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत तक केन्द्र द्वारा सहायता के रूप में प्रदान करने के लिए एक समान काम करने का प्रयत्न किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, स्थानीय विकास कार्यों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के माध्यम से भी ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों को प्रारम्भ किया गया था। अनुमान है कि अप्रैल, 1969 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 16 लाख हैण्डपम्पों तथा कुंओं की व्यवस्था की जा चुकी थी अथवा उनकी मरम्मत की जा चुकी थी और 17,000 ग्रामों में नलों से पानी पहुंचाया जा रहा था। इन कार्यों पर 130 करोड़ रुपये खर्च हुए।

2. पहली योजना अवधि के दौरान, केन्द्र तथा राज्यों, दोनों में ही धन की सीमित उपलब्धता के अतिरिक्त ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के क्रियान्वयन में जो मुख्य समस्याएं आड़े आई वे थीं: सामग्री की कमी, परिवहन का अपर्याप्त होना, अनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी कर्मचारियों की पर्याप्तता तथा ग्रामीण जल-आपूर्ति समस्याओं के आंकड़ों तथा जल स्रोतों का समुचित रूप में उपलब्ध न होना। बाद की योजनाओं में इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया। तथापि अभावग्रस्त तथा चट्टानी क्षेत्रों में पानी के निश्चित स्रोतों की खोज प्रौद्योगिकी की सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः खोज अधूरी है।

3. राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की चौथी योजना में ग्रामीण जल-आपूर्ति के लिए जो प्रावधान किया गया था वह 125 करोड़ रुपया बैठता है। राज्य वार्षिक योजनाओं में ग्रामीण जल-आपूर्ति के लिए परिव्ययों को पहले से ही अलग करके रख लिया जाता है। चौथी योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस प्रावधान के अधिकांश भाग का अत्यधिक अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में उपयोग किया जाय तथा दूसरे क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों, पिछड़े वर्गों के कल्याण अथवा

स्थानीय प्रयत्नों के माध्यम से काम किया जाय। चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में राज्यों द्वारा, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए जो परिव्यय मंजूर किया गया था, या, उससे अधिक खर्च किया जा चुका है।

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए	
	मंजूर परिव्यय	वास्तविक/ प्राक्कलित व्ययव्यय
1	2	3
1969-70	13.10	19.466
1970-71	21.58	25.288
1971-72	28.25	31.100

इस दर से, चौथी योजना में ग्रामीण जल आपूर्ति पर 150 करोड़ रुपये का व्ययय होगा। अनुमान है कि चौथी योजना अवधि में लगभग 13,000 ग्रामों को पाइपों से जल-आपूर्ति की जा सकेगी तथा लगभग 60,000 कुंए अथवा हैण्डपम्प लगाये जा सकेंगे।

4. जीवन बीमा निगम के ऋण लेकर राज्य अपने योजना स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र ने पहले से ही जीवन बीमा निगम से 1970-71 में 44.37 लाख रु० तथा 1971-72 में 192.80 लाख रुपये ले लिए हैं। अन्य राज्य जैसे केरल, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं।

5. विभिन्न राज्यों को उनके केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केन्द्रीय स्कीमों के माध्यम से केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ताकि वे इन कार्यक्रमों को प्रभावशाली एवं योजनाबद्ध रूप से चला सकें। तीसरी योजना के आरम्भ से ही एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत विशेष जांच प्रभाग खोले गये हैं। इन प्रभागों का कार्य स्थायी रूप से असुविधाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति की समस्याओं के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करना तथा सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना है। इन प्रभागों को हाल ही में काफी सुदृढ़ किया गया है तथा नये राज्यों में नये एककों की स्थापना की गई है। इस उद्देश्य के लिए योजना प्रावधान को 2 करोड़ रुपये

से बढ़ाकर 3.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1972-73 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 90 लाख रुपये है ।

6. एक अन्य केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कठोर चट्टानी क्षेत्रों के लिए उप युक्त, अधिक तेजी से बरमाने वाली 100 रिगों के रूप में यूनिसेफ सहायता प्राप्त की जा रही है । इन रिगों को राज्यों द्वारा अधिक कठिन क्षेत्रों में तेजी से छोटे बोर बनाने के कार्य में प्रयोग किया जायेगा जिससे कि इन बोरों के ऊपर सादे हैण्डपम्प लगा कर इन क्षेत्रों में पड़ने वाले ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। रिगों का मूल्य अनुमानतः 5.70 लाख रुपये है । आशा है कि लगभग 50 रिग चालू वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जायेंगे तथा अन्य 35 रिग 1972-73 में प्राप्त होने की आशा है । इस स्कीम में माल लेने, उपकरणों को जोड़ने, स्थानीय परिवहन, परीक्षण आदि पर होने वाले स्थानीय व्यय एवं आयातित रिगों के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों पर होने वाले व्यय की भी व्यवस्था है।

7. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनी एक नई स्कीम इस वर्ष प्रारम्भ कर दी गई है। इसके अन्तर्गत, ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के लिए विस्तृत योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार करने हेतु राज्यों में आयोजना तथा डिजाइन एककों की स्थापना कर दी गई है। इनका क्रियान्वयन पांचवीं योजना में आरम्भ किया जायेगा और यदि संभव हुआ तो आंशिक रूप से चौथी योजना में क्रियान्वित किया जायेगा । इन स्कीमों के लिए चौथी योजना में 1.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 43 लाख रुपये 1972-73 के लिए रखे गये हैं ।

8. राज्यों तथा केन्दीय सरकार द्वारा उत्तरोत्तर अधिक ध्यान दिए जाने के बावजूद भी, अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है । ऐसा अनुमान है कि कुल 5.67 लाख ग्रामों में से समस्या ग्रामों की संख्या प्रारम्भ में इस प्रकार थी :—

(1) 90,656 गांव ऐसे थे जो कि एक मील के फासले के अन्दर अथवा धरती में नीचे 50 फुट की गहराई तक पेयजल का कोई सुनिश्चित स्रोत न होने के कारण वे पेयजल के अभाव से ग्रस्त थे।

(2) 33,867 ग्राम ऐसे थे जो कि हैजा स्थानिकमारी क्षेत्र में पड़ते थे।

(3) 3,184 ग्राम ऐसे थे जो कि नहरवा से ग्रस्त क्षेत्र में पड़ते थे।

(4) 24,778 ग्राम ऐसे थे जो कि अत्यधिक फ्लूराइड्स, पानी में खारा-पन अथवा लोहा होने के कारण अन्य प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से ग्रस्त थे ।

ऐसा अनुमान है कि 1973-74 के अन्त तक उपर्युक्त कुल 1.53 लाख ग्रामों में से लगभग 2,800 ग्राम ग्रामीण जल आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं के कार्यक्षेत्र में आ जायेंगे। 1.25 लाख ग्राम ऐसे रह जायेंगे जिन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सामान्य कार्यक्रम के अलावा कार्य किया जायेगा। शेष बचे ग्रामों के सम्बन्ध में यह अनुमान है कि उनमें पेयजल के सुनिश्चित तथा सुरक्षित स्रोतों की व्यवस्था के लिए लगभग 564 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

9. विशेष कल्याण स्कीमों की समग्र बजट व्यवस्था के अन्तर्गत 1972-73 में ग्रामीण जल-आपूर्ति कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम तैयार की जा रही है। इस विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा 1972-73 में कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। अभावग्रस्त गांवों और हैजा अथवा नहरुआ संक्रमण या अन्य विशेष समस्याओं से आक्रान्त गांवों की संख्या के अनुसार आवश्यकताओं का तखमीना लगाकर राज्यों को धन का आवंटन किया जायेगा। विभिन्न क्षेत्रों में जल-आपूर्ति पर आने वाले खर्च को भी ध्यान में रखा जायेगा। राज्यों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे जहां तक हो सके सघन क्षेत्र आधार पर स्कीमें तैयार करें। जनजातियों, हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे कमजोर वर्गों को जल सम्भरण करने के काम को वरीयता दी जायेगी।

10. राज्यों में ग्रामीण जल संभरण संबंधित लगभग 31 करोड़ रुपये के राज्यों के वर्तमान व्यय के अलावा 20 करोड़ रुपये के कार्यक्रम में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आशा है कि राज्यों में केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत विशेष अन्वेषण प्रभागों द्वारा जो अन्वेषण कार्य किया गया है उसके कारण यह बढ़ी हुई धनराशि खर्च हो जायेगी। इस स्कीम से प्राप्त अनुभव पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए सम्बन्ध कार्यक्रम बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

MGIPRRND—1 PC/72—NS. II.—5-8-72—1,500.